दैनिक
नव प्रदेश
आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्
प्रदेश के साथ पूरा देश...

अंदर के पृष्ठों पर ❖❖ 3 | राजधानी 4 | अभिव्यक्ति 8 | आंचलिक 11 | खेल/बिजनेस

RNI NO.CHHHIN/2015/62431 बिलासपुर, शुक्रवार 12 जनवरी 2024, वर्ष-9 अंक- 281 पृष्ठ-12 मूल्य-4 रुपए रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित www.navpradesh.com

आज बेबाक

किसी भी परिवारवादी पार्टी का वही हश्र होता है। जो शिवसेना उद्धव गुट का हुआ है। पहले चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दिया और पार्टी का चुनाव चिन्ह दे दिया। अब महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने भी एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाकर उद्धव ठाकरे को जोर का झटका जोर से दे दिया है। अब उनके नेता खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं। इस फैसले पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। इस फैसले के खिलाफ वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन वहां भी खता खाएंगे तो क्या करेंगे। हवन करेंगे हवन करेंगे।

रायपुर समेत पांच निकायों को स्वच्छता पुरस्कार, राज्यों में तीसरे नंबर पर हम

रायपुर/नवप्रदेश। केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम जारी किए। देश के स्वच्छ राज्यों की कैटेगरी में इस बार महाराष्ट्र को पहला, मध्य प्रदेश को दूसरा और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। पिछली बार मध्य प्रदेश पहले स्थान पर था, लेकिन एक नंबर से फिसल कर दूसरे स्थान पर पहुंच गया। छत्तीसगढ़ के पांच नगरीय निकायों को भी अलग-अलग केटिगिरी में स्वच्छता पुरस्कार दिए गए। केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण-2023 में छत्तीसगढ़ को तीसरा स्थान मिलने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेन्शन सेंटर में आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया। सूबे के मुखिया विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरूण साव ने यह पुरस्कार प्राप्त किए। इस दौरान केन्द्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सचिव मनोज जोशी और

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की निदेशक रूपा मिश्रा भी समारोह में शामिल हुईं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और उप ■ शेष पृष्ठ 6 पर

50 हजार की आबादी में महासमुंद पहले नंबर पर

महासमुंद नगर पालिका को पूर्वी जोन में 50 हजार से एक लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। देश के पूर्वी जोन में कुम्हारी नगर पालिका को 25 हजार से 50 हजार तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में और आरंग नगर पालिका को 15 हजार से 25 हजार तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है। सर्वे में रायपुर नगर निगम को एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। गारबेज फ्री सिटी में रायपुर को फाइव स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है।

छग ऐसे बना देश का तीसरा सबसे स्वच्छ राज्य

शहरों को स्वच्छ रखने प्रदेश में हो रहे लगातार अच्छे कार्यों के कारण छत्तीसगढ़ को देश के तीसरे सबसे स्वच्छ राज्य का दर्जा मिला है। स्वच्छ सर्वेक्षण के परिणामों के मुताबिक गारबेज फ्री सिटी के अंतर्गत प्रदेश के दो शहरों को फाइव स्टार रेटिंग, 23 शहरों को थ्री स्टार रेटिंग और 47 शहरों को सिंगल स्टार रेटिंग मिला है। राज्य में ओडीफ प्लस प्लस वाले 164, ओडीफप्लस वाला एक और ओडीएफवाले तीन शहर हैं। प्रदेश के एक नगरीय निकाय को वाटर प्लस का दर्जा मिला है।

किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि राम मंदिर हमारा : पायलट

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट गुरूवार दोपहर दो दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे। प्रदेश कांग्रेसाध्यक्ष दीपक बैज और नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत और कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर जोशीला स्वागत किया गया। इस दौरान पायलट ने मीडिया से बात कर उनके सवालों का जवाब दिया। सचिन पायलट ने लोकसभा में जीत की हुंकार भरते हुए कहा कि इस बार लोकसभा के परिणाम अभूतपूर्व होंगे। वहीं रायपुर के राजीव भवन में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। मीडिया संबोधन के पहले पायलट ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पम्पलेट का विमोचन भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ेगा। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि राम मंदिर हमारा है। भाजपा को भी यह नहीं सोचना चाहिए, ■ शेष पृष्ठ 6 पर

हार हुई है तो यह संगठन की जिम्मेदारी है

2023 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर सचिन पायलट ने कहा कि हार किसी एक व्यक्ति की नहीं होती। संगठन चुनाव लड़ता है। अगर हार हुई है तो यह संगठन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमने आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी विभागों की बैठक लेकर सभी प्रकार की बातचीत की है। हार की समीक्षा की गई है। हम भले ही विधानसभा चुनाव हार गए है, लेकिन लोकसभा में हम जीतेंगे। लोकसभा चुनाव अलग होता है। इसमें राष्ट्र में मुद्दे होते है। चुनौती यही है कि एमपी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हारने से कार्यकर्ता हतोत्साहित हैख उनको रिचार्ज करेंगे। हम जीतेंगे।

महबूबा समेत सुरक्षा अधिकारी सड़क दुर्घटना में बाल-बाल बचे

श्रीनगर (वार्ता)। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती गुरुवार को उस समय बाल-बाल बच गयीं जब उनका वाहन राज्य के अनंतनाग जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सुश्री मुफ्ती अनंतनाग में अग्निपीड़ितों से मिलने जा रही थीं। इसी दौरान संगम बिजबेहरा के समीप उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में किसी के घायल होने की रिपोर्ट नहीं है।

इतिहास ने जब भी करवट ली, कांग्रेस ने हमेशा बहिष्कार किया : भाजपा

नई दिल्ली (वार्ता)। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को कहा कि देश के इतिहास ने जब भी करवट ली, कांग्रेस ने उसका साथ देने की बजाय बहिष्कार किया और इसीलिए जनता चुनाव-दर-चुनाव कांग्रेस का बहिष्कार कर रही है। भाजपा के प्रवक्ता एवं सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने यहां पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं के नहीं जाने के फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी और उनकी मानसिकता पर कड़ा प्रहार किया। श्री त्रिवेदी ने कहा, भारत का इतिहास जब भी करवट लेता है तब उस अवसर में

शामिल होने या फिर उसका साथ देने के की जगह कांग्रेस पार्टी उसका बहिष्कार करती है। नए संसद भवन के निर्माण ,जी 20 की भारत की अध्यक्षता, जीएसटी कर संरचना, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद या फि र वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का अभिभाषण हो, कारगिल विजय दिवस का मनाने की बात हो, 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण हो, या फिर उन्हीं के पार्टी के नेता रहे पूर्व राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी को भारत रत्न प्रदान किये जाने की बात हो, कांग्रेस पार्टी सभी का बहिष्कार करती आई है। और आज राममंदिर उद्घाटन की बात क्यों ना हो इस मौके पर भी कांग्रेस पार्टी इसका बहिष्कार कर रही है। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के इसी बहिष्कार-बहिष्कार के चलते जनता अब कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी प्रवृति के अनुरुप चल रही है और उसी के हिसाब से कार्य कर रही है, जो कि कांग्रेस पार्टी के सिकुड़ती मानसिकता को दर्शा रहा है।

केंद्रीय मंत्री प्रमाणिक की अग्रिम जमानत पर सुको में सुनवाई आज

नई दिल्ली (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि वह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निसिथ प्रमाणिक के खिलाफ 2018 में दर्ज हत्या के प्रयास के एक मामले में दायर उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर 12 जनवरी को विचार करेगा। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने केंद्रीय राज्य मंत्री की याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब-तलब किया। श्री प्रमाणिक ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की जलपाईगुड़ी सर्किट पीठ के चार जनवरी के आदेश को चुनौती दी, जिसमें उन्हें मामले में अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया गया था। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के दिनहाटा

पुलिस स्टेशन क्षेत्र में 2018 में एक समूह ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी की थी, जिसमें एक व्यक्ति को कथित तौर पर गोली मार दी गई और वह घायल हो गया। इस मामले में श्री प्रमाणिक के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। शीर्ष अदालत ने आज श्री प्रमाणिक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील पी एस पटवालिया से राज्य के वकील को याचिका की प्रति सौंपने को कहा। श्री प्रमाणिक के वकील ने अदालत के समक्ष दलील दी कि उनका मुवक्किल संसद सदस्य एवं मंत्री है। उच्च न्यायालय ने चार जनवरी को उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। अदालत के समक्ष वकील ने कहा कि पहले वह तृणमूल कांग्रेस में थे। अब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ हैं, इसीलिए मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। वरिष्ठ वकील ने अदालत से उन्हें सुरक्षा देने की गुहार लगाई। इस पर पीठ ने पूछा कि जब उनकी याचिका अभी भी उच्च न्यायालय में लंबित है तो वह वहां क्यों नहीं जा सकते।

राजौरी और पुंछ में आतंकवादी हमले से सेना प्रमुख पांडेय चितिंत

नई दिल्ली (वार्ता)। जम्मू-कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिले में पिछले कुछ महीनों के दौरान आतंकवादी हमलों की घटनाओं में वृद्धि के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने गुरुवार को कहा कि राजौरी और पुंछ जिलों में स्थिति चिंता का विषय है और सेना इससे निपटने के लिए अनेक कदम उठा रही है। सेना प्रमुख ने कहा कि उत्तर में चीन के साथ लगती सीमा पर स्थिति स्थिर लेकिन संवेदनशील बनी हुई है। जनरल पांडे ने गुरुवार को यहां सेना दिवस से पहले वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में सवालों के जवाब में कहा कि पिछले पांच छह महीने के दौरान की आतंकवादी घटनाएं चिंता का विषय हैं। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में वर्ष 2017-18 तक शांति

की स्थिति थी लेकिन सीमा पार से छद्म युद्ध के तहत विभिन्न तंजीमों को उकसाया जा रहा है और पड़ोसी देश की सेना इस क्षेत्र में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पिछले वर्ष 70 से अधिक आतंकवादी मारे गए और 27 सैनिक शहीद हुए जिनमें से 20 अकेले राजौरी और पुंछ में शहीद हुए हैं। उन्होंने माना कि इन क्षेत्रों में आतंकवादी घटनाएं बढ़ने का कारण खुफिया जानकारी की कमी और स्थानीय लोगों के साथ सेना के जुड़ाव में कमी है। उन्होंने कहा कि इन कमियों को दूर करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं और क्षेत्र में तैनात विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के साथ भी तालमेल बढ़ाया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम की स्थिति कायम है। उन्होंने कहा कि घुसपैठ की घटनाएं होती रहती है लेकिन सेना उनका मुंहतोड़ जवाब देती है और उन्हें विफ ल भी करती है। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भी ड्रोन प्रणाली के द्वारा तस्करी की कोशिशें को विफ ल किया जा रहा है।

ईडी के सामने पेश नहीं हुए जम्मू के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला

श्रीनगर (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रें स के नेता फ ारूक अब्दुल्ला गुरुवार (11 जनवरी) को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश नहीं हुए। जांच एजेंसी ने फ ारूक को गुरुवार को श्रीनगर में पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी ने जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फ ंड में अनियमितताओं को लेकर यह कार्रवाई की है। ईडी और सीबीआई दोनों इस मामले की जांच कर रही है। ईडी ने इस मामले में साल 2022 में चार्जशीट दायर की थी। फ ारूक से इस मामले में पहले भी पूछताछ हो चुकी है। इसके मुताबिक, 86 साल के फारूक अब्दुल्ला 2001 से 2012 तक जेकेसीए के अध्यक्ष थे। 2004 और 2009 के बीच जेकेसीए के अधिकारियों

सहित कई लोगों ने क्रिकेट एसोसिएशन के फं ड को अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में ट्रांसफ र किया था। ईडी ने एसोसिएशन के अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई की ओर से 2018 में दायर चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की थी। फ ारूक पर आरोप है कि उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया। उन्होंने जेकेसीए में नियुक्तियां कीं, ताकि बीसीआईआई के स्पॉन्सर्ड फंड में हेरफेर किया जा सके।

गरमा-गरम

दौरा... आज महाराष्ट्र के दौरे पर प्रधानमंत्री, 30 हजार 500 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात

देश के सबसे लंबा समुद्री ब्रिज अटल सेतु का आज पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

मुंबई (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (12 जनवरी) को मुंबई में देश के सबसे लंबे समुद्री ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। 21.8 किलोमीटर ब्रिज का नाम अटल सेतु रखा गया है। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी 30 हजार 500 करोड़ के कई विकास कार्यों का उद्घटना कर राष्ट्र को समर्पित करेंगे और आधारशिला रखेंगे। पीएमओ की ओर से बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 12 जनवरी को दोपहर करीब 12:15 बजे नासिक पहुंचेंगे, जहां वे 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। दोपहर करीब 3:30 बजे प्रधानमंत्री मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी-न्हावा शेवा अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। लगभग ■ शेष पृष्ठ 6 पर

नवी मुंबई में सार्वजनिक कार्यक्रम में होंगे शामिल

प्रधानमंत्री नवी मुंबई में आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रम में 12,700 करोड़ रुपये से अधिक लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री ईस्टर्न फ्रीवे के ऑरेंज गेट को मरीन ड्राइव से जोड़ने वाली भूमिगत सड़क सुरंग की आधारशिला भी रखेंगे। 9.2 किलोमीटर लंबी सुरंग 8700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाई जाएगी और यह मुंबई में एक महत्वपूर्ण बुनियादी ■ शेष पृष्ठ 6 पर

अटल सेतु की खासियत

- अटल सेतु 6 लेन समुद्री लिंक है। यानी दोनों तरफ 3-3 लेन में वाहनों चल सकेंगे। दोनों तरफ1-1 इमरजेंसी लेन भी है।
- ब्रिज की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। समुद्र पर 16.5 किमी और तट के पास लैंड पर 5.5 किमी पर यह ब्रिज बना है।
- ब्रिज से मुंबई और नवी मुंबई के बीच की दूरी केवल 20 मिनट में तय हो सकेगी। फिलहाल 2 घंटे लगते हैं।
- ब्रिज की कुल लागत 17 हजार 843 करोड़ रुपए है।
- ब्रिज को बनाने में करीब 2 लाख मीट्रिक टन स्टील और 5 लाख मीट्रिक टन सीमेंट लगा है।
- ब्रिज पर प्रतिदिन 70 हजार वाहन गुजर सकते हैं।
- ब्रिज पर 400 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
- पक्षियों की सुरक्षा के लिए ब्रिज पर साउंड बैरियर लगाए गए हैं।
- ब्रिज पर एडवांस लाइटिंग की गई है। इससे लाइट्स का फोकस सिर्फ ब्रिज पर पड़ेगा। समुद्री जीवों का नुकसान नहीं होगा।

दैनिक

नव प्रदेश

प्रदेश के साथ पूरा देश...

राम रोम में बसने वाले राम...

जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी

त्रेता युग में भगवान राम को पार कराई थी सरयू, अब उनके वंशज भक्तों को देंगे सौगात

नई दिल्ली। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। वहीं, नाविकों ने कहा है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन 22 जनवरी को भक्तों को मुफ्त में नौका यात्रा कराएंगे। वाराणसी के नाविक समाज ने गंगा घाट पर एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को निशुल्क सेवा देने का फैसला लिया है।

'मां गंगा निषाद राज सेवा न्यास' के संगठन मंत्री शम्भू साहनी ने पीटीआई भाषा को बताया,'' निषाद समाज का प्रभु श्री राम से अटूट रिश्ता रहा है। वन गमन के समय निषाद राज ने प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता को अपनी नाव से बिना शुल्क लिए नदी पार करायी थी।'' उन्होंने कहा कि इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए नाविक समाज की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि 22 जनवरी को बनारस के सभी 84 घाट पर गंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मुफ्त नाव सेवा प्रदान की जाएगी।

साहनी ने बताया कि 22 जनवरी को ही दिन में बनारस के राजघाट से निषादराज घाट तक भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता जानकी के नाम से एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल होंगे। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले नेपाल से 21 हजार पुजारी अयोध्या आने वाले हैं। यह 21 हजार पुजारी 14 से 25 जनवरी तक अयोध्या में सरयू नदी के तट पर 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंगों की स्थापना के लिए आयोजित एक भव्य 'राम नाम महायज्ञ' में शामिल होंगे।

इस महायज्ञ को नेपाल के 21,000 पुजारी ही संपन्न करेंगे। इसके लिए 1008 झोपड़ियां पहले से ही बनकर तैयार हैं, जिसमें एक भव्य यज्ञ मंडप भी शामिल है और इसमें 11 परतों की छत है। जिसके लिए राम मंदिर से 2 किलोमीटर दूर सरयू नदी के रेत घाट पर 100 एकड़ में टेंट सिटी बसाई गई है। महायज्ञ का आयोजन आत्मानंद दास महात्यागी उर्फ नेपाली बाबा द्वारा किया जाएगा, जो अयोध्या के रहने वाले हैं मगर अब वह नेपाल में बस गए हैं। महायज्ञ समाप्त होने के बाद 1008 शिवलिंगों को पवित्र सरयू नदी में विसर्जित किया जाएगा। हर दिन 50,000 भक्तों के ठहरने की व्यवस्था की जा रही है और प्रति दिन लगभग 1 लाख भक्तों के लिए भोज का आयोजन किया जाएगा।

श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा अति उत्साह में हो सकती है गड़बड़ी

अयोध्या। श्रीरामजन्मभूमि का चिर प्रतीक्षित निर्माण पूरा होने को है। श्रीरामलला की प्राण-प्रतिष्ठा तिथि घोषित हो चुकी है। घर-घर अक्षत, न्योता पहुँच रहा है। आस्था के इस पावन प्रसंग को राष्ट्रीय गौरव बनाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उ.प्र. के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को है। इस उल्लास को जन-जन के मन तक पहुँचाने का श्रेय मीडिया के विभिन्न संस्थानों और उसके अनेक आयामों को है।

प्रसन्नता के इस प्रसार के बीच कई ऐसे सन्दर्भ भी दृष्टि में आ रहे हैं, जो अति उत्साह के कारण भ्रम पैदा कर रहे हैं। पूजा-पद्धति, प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, विग्रह का चयन, आमंत्रित अतिथियों के विवरण तथा इससे जुड़े अनेक विषयों पर अपुष्ट सूचनाएं और समाचार दिख रहे हैं। एक ओर इस आयोजन के व्यवस्थित निरूपण के लिए मीडिया के सुयोग्य लोग लगे हैं तो दूसरी ओर हवाई खबरों का भी बाजार गरम होता दिखाई देता है।

कोई लाखों रुपए वेतन वाले अर्चक की आजीवन नियुक्ति करा दे रहा है तो कोई उनके जाति-गोत्र का हिसाब लगा रहा है। यह आतुरता न केवल आस्थावान समाज को दिग्भ्रमित करती है बल्कि यह पत्रकारिता के मान को भी कम करती है।

निवेदन यह है कि श्रीरामलला की प्राणप्रतिष्ठा सम्पूर्ण देश की भावना से जुड़ा हुआ आयोजन है। बहुसंख्य समाज बड़ी उत्कंठा से इसे देख रहा है। इन सबके बीच 'रहे असुर छल छोनिप बेषा' के अनुसार भेष बदलकर विघ्नकारी तत्त्व भी सक्रिय हैं। अतः इस विषय में कुछ बोलते-लिखते हुए अधिक संयम बरती जाए, सूचनाओं को परखा जाय। विशेष रूप से वे लोग, जो अयोध्या पुरी की मौलिकता से परिचित नहीं हैं और अति उत्साह में चमत्कार करने की कोशिश में लगे हैं, उनसे प्रार्थना है कि धैर्य धारण करें। यह आयोजन इतिहास, भूगोल, संस्कृति और अध्यात्म की गम्भीर अवधारणाओं से प्रकट हुआ है अतः इसके बारे में लिखते-बोलते हुए मर्यादा का ध्यान रखें, यह भी कि टीआरपी का यह खेल अभी मर्यादा पुरुषोत्तम का ही प्रसाद है।

श्रीरामलला की प्राण-प्रतिष्ठा का यह महान् अवसर धर्मप्राण देश को उसकी अस्मिता में प्रतिष्ठित करे.. सभी अपने कर्त्तव्य और प्राप्तव्य के योग्य हों।

अयोध्या में राम भक्तो के ठहरने के लिए दस करोड़ की लागत से बनेगी टेंट सिटी

अयोध्या। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत राम कथा की शुरुआत हो चुकी है। वहीं, 14 जनवरी से 24 मार्च तक होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में देश-विदेश के लगभग पांच हजार कलाकार शामिल होंगे। इनके ठहरने के लिए संस्कृति विभाग यहां दस करोड़ रुपये से टेंट सिटी बनाएगा। विभाग ने इसके लिए वित्तीय स्वीकृति दे दी है। नया बस स्टैंड के पास बन रही टेंट सिटी में रोज लगभग पांच सौ लोगों के ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। यहां कलाकारों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत 14 से 22 जनवरी तक प्रदेश भर के मंदिर, धार्मिक व आध्यात्मिक स्थलों पर भजन-कीर्तन, रामकथा प्रवचन और रामायण व सुंदरकांड का पाठ होगा। राम कलश यात्रा भी निकाली जाएंगी। वहीं, अयोध्या में 14 जनवरी से 24 मार्च तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।

इसमें नेपाल, कंबोडिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड व इंडोनेशिया के भी कलाकार आ रहे हैं। देश-विदेश के कलाकारों को बेहतर मूलभूत सुविधाएं देने व उनके रुकने आदि की व्यवस्था संस्कृति विभाग की ओर से की जा रही है।

श्रीरामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना सौभाग्य की बात : भागवत

नई दिल्ली। विश्व हिन्दू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार एवं मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा प्राणप्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत को दिया। इस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ''यह सौभाग्य का अवसर है कि मैं इस भव्य आयोजन का गवाह बन सकूँगा। हर कोई नहीं आ पाएगा, सिर्फ वही आ पाएँगे जिन्हें निमंत्रण मिला है आएँगे, लेकिन देश के एक हिस्से में उत्साह है। यह बड़ा सौभाग्य का योग है कि ऐसे भव्य प्रसंग पर प्रत्यक्ष उपस्थिति का अवसर मिला है क्योंकि श्रीराम का मन्दिर यह केवल एक पूजा की दृष्टि से अपने आराध्य का मन्दिर, केवल ऐसा प्रसंग नहीं है। इस देश की पवित्रता और इस देश की मर्यादा की स्थापना पक्की होने का यह प्रसंग है। श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। हम स्वतंत्र हुए तो स्वतंत्रता में जो 'स्व' है, वो हमारी मर्यादा है। उस 'स्व' के कारण हमारा जीवन पवित्र है। उस 'स्व' के कारण हमारी दुनिया भर में प्रतिष्ठा है। उसका एक प्रगटीकरण, सम्पूर्ण विश्व में यह घोषणा कि भारत अपने 'स्व' पर खड़ा हुआ है और अपने मर्यादा सम्पन्न जीवन से पूरे विश्व में मांगल्य और शान्ति की स्थापना करने के लिए आगे बढ़ेगा। इस प्रसंग पर सब लोग तो आ नहीं पाएँगे, कुछ को निमंत्रण मिला है वो आयेंगे, परन्तु, गाँव-गाँव में, घर-घर में इसका उत्साह है। उसका कारण है कि इतने वर्षों के बाद भारत के 'स्व' के प्रतीक का पुनर्निर्माण हमने किया और वह हमारे पुरुषार्थ के आधार पर किया; दूसरी बात है कि जो अपनी एक दिशा होनी चाहिए, उसको पकड़ने का प्रयास भी अनेक दशकों से हम लोग कर रहे थे, वो हमें मिल गयी है और स्थापित भी हो गयी है। एक विश्वास सबके मन में स्थापित हुआ है, उसके कारण सम्पूर्ण देश का वातावरण मंगलमय बना है और ऐसे में हम प्रत्यक्ष वहाँ उपस्थित रहेंगे, उस प्रसंग को देखेंगे, उसमें सहयोगी बनेंगे। यह कहीं किसी जन्म में पुण्य हुआ होगा उसी का फल हमको मिल रहा है।

हरि अनंत, हरि कथा अनंता की गवाह बनेगी अयोध्या

- **सिंगापुर, कंबोडिया, श्रीलंका, थाइलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों के रामदल मंच पर सजीव करेंगे राम का जीवन**

लखनऊ। राम सबके हैं। अलग-अलग रूपों में वह सबके लिए आदर्श हैं। परिवार, समाज, पुत्र, भाई, पति और राजा के रूप में। इन्हीं खूबियों के नाते वह मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनकी व्यापकता और स्वीकार्यता की भी यही वजह है। इसी नाते भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में राम अपने अलग-अलग स्वरूप में देखे जाते हैं।

'सबके राम' का यह स्वरूप अयोध्या में जीवंत हो रहा है। इसका जरिया बन रहे हैं देश और विदेश के वे कलाकार जो 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर राम के पूरे जीवन को मंच पर सजीव करेंगे। इसका सिलसिला शुरू भी हो गया है। मंगलवार को उत्तराखंड की रामलीला का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से अयोध्या में श्रीरामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर सिंगापुर, कंबोडिया, श्रीलंका, थाइलैंड और इंडोनेशिया आदि देशों के कलाकारों को मंचन के लिए आमंत्रित किया गया है।

कई राज्यों के रामदल भी मंच पर प्रदर्शित करेंगे श्रीराम का उदात्त चरित्र

दुनिया के अलग-अलग देशों के अलावा देश के कई राज्यों यथा मध्य प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, कर्नाटक, सिक्किम, केरल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के रामदल भी श्रीराम के उदात्त चरित्र को मंच पर सजीव करेंगे। यह सिलसिला शुरू हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी यह जारी रहेगा।

दुनिया के 3500 कलाकारों का अयोध्या में होगा संगम

इस बाबत अयोध्या देश और दुनिया के करीब 3500 कलाकारों का संगम बनेगी। हर रोज अलग-अलग रामदलों के करीब 500 कलाकार मंच पर रामकथा का मंचन कर गोस्वामी तुलसीदास के रामचरित मानस की इन पंक्तियों, 'हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहिं, सुनहिं बहुविधि सब संता' को मूर्त रूप देंगे।

टूटेगी भाषा और मजहब की दीवार

श्रीराम का चरित्र इतना आदर्श है कि कोई समाज इसकी अनदेखी कर ही नहीं सकता। यही वजह है कि भाषा और मजहब की सारी हदों से परे आज भी दुनिया के कई देशों में रामलीलाओं का मंचन होता है। मसलन 86 फीसद मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया और अंग्रेजी भाषी त्रिनिदाद में भी रामलीलाओं का मंचन होता है। बौद्धिस्ट देश श्रीलंका, थाइलैंड और रूस भी इसके अपवाद नहीं हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित माउंट मेडोना स्कूल में पिछले 40 वर्षों से जून के पहले हफ्ते में रामलीला का मंचन होता है। आजादी के पहले पाकिस्तान स्थित कराची के रामबाग की रामलीला मशहूर है।

राम मंदिर में स्थापित किया जाएगा 500 किलो का नगाड़ा

नई दिल्ली। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने 500 किलो के नगाड़े को राम मंदिर प्रांगण में स्थापित किए जाने पर कहा कि यह भारत की एक कला है, हमारी कोशिश है कि यह जिंदा रहे और इसे प्रोत्साहन मिले... अब हम देखेंगे कि इसे प्रांगण में कहां स्थापित किया जाए...।

चंपत राय ने नगाड़े बनाने वाले समूह के बारे में कहा कि ये लोग लंबे समय से ये काम कर रहे हैं और रामलला को 500 किलो का नगाड़ा भेंट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे कि इसे मंदिर में कहां पर स्थापित किया जा सकता है। अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। रामलला को अलग-अलग समुदाय और अलग-अलग राज्यों से भेंट आ रही हैं।

धूल और पालिथीन मुक्त होगी अयोध्या

लखनऊ। 14 जनवरी को अयोध्या में योगी प्रारंभ करेंगे स्वच्छता अभियान पॉलिथीन मुक्त अयोध्या होगी। अयोध्या में लागू होगा स्वच्छता का 'कुंभ मॉडल' 25- 50 एकड़ में भव्य टेंट सिटी तैयार होगी। पहले से ही तय हो जाएंगे वीवीआईपी के विश्राम स्थल, बेहतर आतिथ्य के होंगे इंतजाम। 22 जनवरी को सभी सरकारी भवनों को साज- सज्जा कराई जाएगी। आतिशबाजी के भी प्रबंध होंगे। अयोध्याधाम आने वाले श्रद्धालुओं/पर्यटकों को अयोध्या की महिमा से परिचय कराने तैनात किए जाएंगे टूरिस्ट गाइड ।

प्राण प्रतिष्ठा में महकेगा कन्नौज का इत्र

कन्नौज। अयोध्या में 22 जनवरी को प्रभु श्री रामलला के भव्य व दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है। इत्र नगरी कन्नौज के लोगों ने अयोध्या को महकाने के लिए इत्र भेजा जा रहा है। इसके लिए इत्र व्यवसाइयों ने अच्छे से अच्छा इत्र चुनकर एक इत्र रथ भी बनाया है। इसे आज अयोध्या के लिए रवाना किया गया है।

इत्र व्यवसाइयों का कहना है कि वह श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए स्पेशल इत्र भेज रहे हैं। इसके लिए वे एक रथयात्रा लेकर अयोध्या जाएंगे और उस रथयात्रा में इत्र का पूरा कलेक्शन होगा। अयोध्या पहुंचकर इसे भगवान श्री राम लला के चरणों में समर्पण किया जाएगा। इत्र रथ को आज गुरुवार सुबह 9 बजे अयोध्या के लिए रवाना किया गया है।

इत्र संगठन के अध्यक्ष पवन त्रिवेदी ने बताया कि कन्नौज के सभी व्यापारियों ने इत्र इकट्ठा किया है। जिसमें कई प्रकार के इत्र शामिल हैं। यह इत्र रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में इस्तेमाल किया जाएगा ।

राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर उज्जैन में बन रही 51 किलो की अगरबत्ती

अयोध्या। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए विभिन्न स्तर पर तैयारी चल रही है। उज्जैन के उन्हेल रोड पर ग्राम सोंडग में 51 किलो की बड़ी अगरबत्ती बनाई जा रही है। इस अगरबत्ती को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अंगारेश्वर मंदिर में प्रज्वलित किया जाएगा। विनोद शर्मा ने बताया कि सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण किया जा रहा है। जिसका विधिवत लोकार्पण उद्घाटन 22 जनवरी को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में देश के प्रमुख साधू-संतों, गणमान्यों की उपस्थिति में किया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में प्रत्येक सनातन प्रेमी स्वेच्छा व सामर्थ्य के अनुसार अपना योगदान दे रहा है। उज्जैन स्थित विधि अगरबत्ती प्रोडक्टस भी अपना योगदान दे रहा है। यह एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार की स्फूर्ति योजना के अंतर्गत बनाए गए अवंतिका प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड द्वारा संचालित उपक्रम है।

लम्बे संघर्षों के बाद विराजमान होंगे रामलला, इस सुखद दिन के लिए सनातन धर्म ने लंबी लड़ाई लड़ी

नई दिल्ली। पांच सौ सालों के लम्बे संघर्षों के बाद रामलला पुनः अपने मंदिर में 22 जनवरी 2024 को विराजमान होंगे। भव्य राम मंदिर के गर्भ गृह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में पूरी दुनिया जहां एक ओर गवाह बनेगी, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं रामलला की प्रथम आरती करेंगे। इस सुखद दिन तक पहुंचने के लिए सनातन धर्म ने एक लम्बी लड़ाई लड़ी है और उसका एक लम्बा इतिहास है। इतिहासकारों के मुताबिक, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण सन् 1528 में हुआ था, जबकि हिन्दू संगठनों ने 1813 में पहली बार इस जमीन पर अपना दावा पेश किया था। उनका दावा था कि अयोध्या में राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई गई थी। इसके 72 साल बाद वर्ष 1885 में यह मामला उस वक्त पहली बार किसी अदालत में पहुंचा, जब महंत रघुबर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की याचिका दायर की, जिसे फैजाबाद की जिला अदालत ने ठुकरा दिया था। इसके बाद एक-एक कर हिन्दू और मुस्लिम पक्षकार आते गए और कानूनी दांव-पेच में यह मामला उलझता चला गया। इसके बाद फैजाबाद जिला अदालत में 102 साल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में 23 साल और सुप्रीम कोर्ट में 9 साल पहले यह मामला पहुंचा। इस तरह 134 साल से तीन अदालतों में सुनवाई के बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में 9 नवम्बर 2019 को फैसले तक पहुंचा।

हालांकि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के निर्माण के समय को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों के मुताबिक, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वर्ष 1528 में इब्राहिम लोदी से युद्ध करने भारत आया था। उसने पानीपत में यह लड़ाई लड़ी थी। फिर बाबर के मुगल बादशाह बनने के बाद उसके कहने पर उसके सूबेदार मीरबाकी ने वर्ष 1528 में अयोध्या में मस्जिद बनवाई। इसे बाबरी मस्जिद नाम दिया गया। इसके बाद से यह आरोप भी लगाया जाने लगा कि यहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई गई है। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल (1517-26 ईस्वी) में ही यह मस्जिद बनकर तैयार हो गई थी। निर्माण से संबंधित मस्जिद में एक शिलालेख भी पाया गया था, जिसका जिक्र एक ब्रिटिश अफसर ए. फ्यूहरर ने कई जगह किया है। फ्यूहरर के मुताबिक, वर्ष 1889 तक यह शिलालेख बाबरी मस्जिद में मौजूद था। बहरहाल, मुगल शासन के दौरान यह स्थिति ऐसी ही बनी रही। उस दौरान की घटनाओं के प्रमाण नहीं मिलते हैं।

वर्ष 1813 में पहली बार हिन्दू संगठनों ने दावा किया था कि बाबर ने सन् 1528 में राम मंदिर तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने वर्ष 1855 में ही अपनी रिपोर्ट में इस मस्जिद में हिन्दू मंदिर जैसी कलाकृतियां मिलने का जिक्र किया था, जिसके बाद यह दावा किया गया। पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुणाल ने अपनी किताब 'अयोध्या रीविजिटेड' में इस वाकये का जिक्र करते हुए लिखा है कि वर्ष 1813 में मस्जिद में मौजूद शिलालेख के साथ जब छेड़छाड़ हुई, तभी से यह कहा जाने लगा कि मीर बाकी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई। कुणाल ने इस किताब में लिखा है कि मंदिर सन् 1528 में नहीं तोड़ा गया, बल्कि औरंगजेब की ओर से तैनात फिदायी खान ने सन् 1660 में इसे तोड़ा था। हिन्दुओं के दावे के बाद से विवादित जमीन पर नमाज के साथ-साथ पूजा भी की जाने लगी। मंदिर-मस्जिद विवाद के चलते सन् 1853 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में साम्प्रदायिक हिंसा भडकी। बावजूद इसके, सन् 1855 तक दोनों पक्ष एक ही स्थान पर पूजा और नमाज अदा करते रहे। 1855 के बाद मुस्लिमों को मस्जिद में प्रवेश की इजाजत मिली, लेकिन हिन्दुओं को अंदर जाने की मनाही कर दी गई। ऐसे में हिन्दुओं ने मस्जिद के मुख्य गुम्बद से 150 फीट दूर बनाए गए राम चबूतरे पर ही पूजा शुरू कर दी। इसके बाद सन् 1859 में ब्रिटिश सरकार ने विवादित जगह पर तार की बाड़ लगवा दी। इसके बाद से ये मामला यूं ही चलता रहा। सन् 1855 से 1885 तक फैजाबाद के अंग्रेज अफसरों के रिकॉर्ड में मुस्लिमों की ओर से की गई शिकायतों का ब्योरा मिलता है, जिनमें विवादित जमीन पर हिंदुओं की गतिविधियां बढने की शिकायतें की गई थीं।

निर्मोही अखाड़े ने दाखिल की याचिका

अयोध्या विवाद की असल शुरुआत 23 दिसंबर 1949 को हुई, जब विवादित स्थल पर भगवान राम की मूर्तियां पाई गईं। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन हिन्दुओं की भावनाओं के भडक़ने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई गई।

न्यूज गैलरी

वॉटर मीटर में बदलाव, अब लगेंगे प्लास्टिक के मीटर

रायपुर/नवप्रदेश। शहरी पेय जल आपूर्ति की योजना के अंतर्गत घरों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर की चोरी की शिकायत को देखते हुए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने अपने प्रोजेक्ट में लगाए जाने वाले वॉटर मीटर में बदलाव किया है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 130 करोड़ रूपए की लागत से शहर के 15 वार्ड में 170 किमी पाइप लाइन बिछाकर 2.50 लाख घरों तक 24 घंटे पेयजल की सुविधा प्रदान करने की योजना का क्रियान्वयन अपने एरिया बेस्ड प्लान के तहत किया जा रहा है। घरों में लगने वाले मीटर के चोरी होने की शिकायत लगातार मिलती रही हैं। इसे देखते हुए अब तांबे मिश्रित वॉटर मीटर की जगह प्लास्टिक के मीटर लगाए जा रहे है। इस व्यवस्था से मीटर चोरी की आम शिकायतें दूर होगी, क्योंकि प्लास्टिक मीटर की कीमत चोरों के लिए नगण्य होने के कारण मीटर चोरी की घटनाएं रूकेंगी। शहर में संचालित अमृत एवं स्मार्ट सिटी मिशन के 24 घंटे जलापूर्ति योजना में मीटर चोरी की शिकायत लगातार मिल रही थी। इसे देखते हुए यह बदलाव किया गया है।

आखिरकार गिरफ्त में आ ही गया चोरी का आरोपी 'गजनी'

रायपुर/नवप्रदेश। मकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाला आरोपी भूपेंद्र पटेल उर्फगजनी को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया चोरी का शातिर आरोपी गजनी। आरोपी गजनी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की सोने, चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम 51,300 रूपये जुमला कीमती लगभग 1,31,300/- रूपये भी बरामद किया गया है। प्रार्थी राहुल जोशी निवासी प्रोफेसर कॉलोनी पुरानी बस्ती रायपुर ने थाना पुरानी बस्ती में रिपोर्ट दर्ज कराया था। किसी अज्ञात चोर प्रार्थी के सूने मकान का ताला तोड़कर कमरे में आलमारी में रखें सोने, चांदी के जेवरात एवं नगदी रकम को चोरी कर ले गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 493/ 2023 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। जांच टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा गोपियापारा पुरानी बस्ती निवासी भूपेंद्र पटेल उर्फ गजनी की पतासाजी कर उसे धरदबोचा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर घटना के संबंध में भूपेंद्र पटेल उर्फगजनी से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया।

दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने केंद्रीय मंत्रियों से की मुलाकात

रायपुर/नवप्रदेश। गुरूवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नई दिल्ली के दौरे पर रहे। वे डिप्टी सीएम अरूण साव के साथ स्वच्छता पुरस्कार का सम्मान लेने दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने संबंधित मंत्रियों के विभागीय गतिविधियों के बारे में चर्चा की। सीएम साय ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, श्रम शक्ति भवन में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव, मध्यप्रदेश के नगरीय विकास, आवास और संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। इसके अलावा आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) के अध्यक्ष संजय कुलश्रेष्ठ ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से छत्तीसगढ़ सदन, नई दिल्ली में आज सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हुडको से संबंधित गतिविधियों के संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा भी की।

देश और समाज के निर्माण में समर्पण के साथ कार्य करें : राज्यपाल हरिचंदन

रायपुर/नवप्रदेश। भारत स्काउट्स और गाइड्स छत्तीसगढ़ द्वारा राज्यस्तरीय अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। राजभवन में संपन्न हुए इस समारोह में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने राज्य के सर्वश्रेष्ठ स्काउटर, गाइडर, रोवर, रेंजर, एवं स्काउट-गाइड को राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया।

सभी को प्रमाण पत्र के साथ 10-10 हजार रूपए की राशि राज्यपाल की ओर से प्रदान की गई। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिचंदन ने कहा कि स्काउट गाइड का मुख्य उद्देश्य देश की सेवा करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ''युवा आवाज विकसित भारत /2047'' नामक एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान को सफल बनाने में आप लोगों की महती भूमिका है। आप आगे बढ़ें और देश व समाज को आगे बढ़ाने के लिए समर्पण भाव से कार्य करें। उन्होंने कहा कि स्काउटिंग एक ऐसी विधा है, जो नई-नई चीजें सीखने में मदद करती है और विभिन्न परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए प्रेरित करती है। स्काउटिंग विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उच्च चरित्र मूल्यों और आदर्शों का पालन करते हुए अपना काम आसानी से करना सिखाता है। कैंपिंग, लंबी पैदल यात्रा, ट्रैकिंग, आपदा प्रबंधन, साहसिक कार्यक्रम, पर्वतारोहण, प्रकृति अध्ययन आदि कार्यक्रमों के माध्यम से युवा लड़कों और लड़कियों के समग्र विकास में योगदान देता है। प्रतिज्ञा लेने के तुरंत बाद स्काउट्स और गाइड्स को पहले अपने, फि र अपने परिवार के लिए उपयोगी होने की सीख दी जाती है और उन्हें अनुशासित और समर्पित तरीके से राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

स्वर्ण कला बोर्ड का होगा गठन

सीएम ने दिया आश्वासन

रायपुर/नवप्रदेश। कैलाश सोनी राज्यसभा सांसद मध्यप्रदेश के मार्गदर्शन एवं सोनी समाज के प्रदेश अध्यक्ष संजीव सोनी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन विष्णु देव साय से स्वर्ण कला बोर्ड के गठन की मांग की सोनार सामाज द्वारा की गई। इसकी सैद्धांतिक सहमति मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। जिससे प्रदेश स्वर्णकार समाज में हर्ष व्याप्त है। शीघ्र ही यह बोर्ड कार्यशील होकर सभी स्वर्णकारों के हित में कार्य करेगा। यह बोर्ड अन्य राज्यों में सोनार समाज के आभूषण निर्माताओं एवं सराफा कारोबारियों के हिट में कार्यशील है। ज्ञात हो की छत्तीसगढ़ में स्वर्णकार समाज स्वर्ण कला की विशिष्ट जानकारी रखने वाला गरीब तबके का कारीगर होता है जिसकी ढेर सारी व्यवसायगत एवं पारिवारिक समस्याएं हैं। ये शासन की सुविधाओं से अब तक वंचितरहे हैं अतः उनके हित के लिए इस शासन ने इसे विस्तृत चर्चा उपरांत संज्ञान में लिया है इसके लिए मुख्यमंत्री एवं छत्तीसगढ़ शासन के प्रति यह समाज अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है। इस इस समूह को प्रोत्साहित एवं जीवंत करने में कैलाश सोनी सांसद राज्यसभा का विशेष योगदान रहा; जबकि संजीव सोनी अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष सोनी सभा छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा समय-समय पर विगत कई वर्षों से यह माँग उठाई जा रही थी।

उद्यानिकी विवि के कुलपति को हटाने अभाविप लामबंद

- **सहायक प्राध्यापकों की भर्ती में लगाया गड़बड़ी का आरोप**

रायपुर/नवप्रदेश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मंगलवार को महात्मा गांधी उद्यानिकी विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और सहायक प्राध्यापक के पदों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगाते हुए कुलपति को हटाने प्रदर्शन किया। परिषद के कार्यकर्ताओं ने इसके साथ सहायक प्राध्यापक नियुक्ति में गड़बड़ी के संबंध में राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। अभाविप प्रदेश मंत्री यज्ञदत वर्मा ने कहा महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के 35 पदों की भर्ती प्रक्रिया में भारी अनियमितता बरती गई है।

पदों लिए बनाए गए स्कोर कार्ड में भारी गड़बड़ी सामने आयी है। यूजीसी के गाइड लाइन के अनुसार, पीएचडी और नेट की परीक्षा के लिए पृथक-पृथक अंक देना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके कारण बड़ी संख्या में पीएचडी उम्मीदवार के स्थान पर गैर पीएचडी अभ्यर्थियों का चयन व नियुक्ति की गई। वहीं सहायक प्राध्यापक की चयन समिति के गठन में भी दोषपूर्ण प्रक्रिया अपनाए जाने का आरोप लगाया गया। परिषद के कृषि छात्र कार्य संयोजक निखिल तिवारी ने कहा कि चयन समिति में कुलसचिव द्वारा साक्षात्कार के अंक दिए गए थे, परंतु कुछ अभ्यर्थियों के चयन में कुलसचिव को अंक देने से रोक दिया गया था। साथ में सहायक प्राध्यापक की नियुक्तियों को अनुमोदन देने वाले प्रबंध मंडल का गठन भी त्रुटिपूर्ण किया गया था। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नामांकित व्यक्ति एवं विशेषज्ञ विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुरूप नहीं थे. इससे छत्तीसगढ़ प्रदेश के पात्र एवं पीएचडी उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में कम अंक देकर अन्य प्रदेश के उम्मीदवारों की नियुक्ति की गई थी। परिषद ने इसके साथ विश्वविद्यालय कुलपति पर सहायक प्राध्यापक के अभ्यर्थियों को बैक डेट पर ज्वाइनिंग करवाने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए उनकी बर्खास्त की मांग की गई. मांग नहीं माने जाने पर चरणबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दी गई।

मंदिरों में 22 जनवरी को पूजा-अर्चना एवं आरती का होगा विशेष आयोजन

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी के ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए राज्य के सभी जिलों और ब्लॉक स्तर पर सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह आरती और पूजा एवं इस दिन शाम को गंगा आरती का आयोजन किया जायेगा। श्री अग्रवाल ने मंत्रालय में संस्कृति और पर्यटन विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए कल अधिकारियों को 22 जनवरी को सभी शासकीय भवनों में आकर्षक रोशनी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।उन्होने अधिकारियों को श्री रामलला दर्शन योजना में प्रदेशवासियों को अध्योया ले जाने के लिए व्यवस्थित और सुविधापूर्ण कार्ययोजना भी तैयार करने कहा।

उन्होंने उज्जैन और बनारस में बनाये गए भव्य कॉरीडोर की तर्ज पर राजिम मंदिर परिसर को विकसित करने के लिए भव्य कॉरीडोर निर्माण के बारे में अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि राजिम मंदिर परिसर के भव्य आकर्षक और गरिमामय ढंग से विकसित करने के लिए कॉरीडोर बनाने के दिए कॉन्सेप्ट प्लान बनाने के काम शुरू किया जाए। राजिम कुंभ की तैयारियों और इसके व्यवस्थित आयोजन को लेकर अधिकारियों से चर्चा की और राजिम कुंभ के भव्य आयोजन के लिए पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति विभाग को मिलकर काम करने के निर्देश दिए। संस्कृति मंत्री ने चारधाम यात्रा की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण धार्मिक आस्था के केन्द्रों को शक्तिपीठ परियोजना के तहत विकसित करने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि सूरजपुर के कुदरगढ़, चन्द्रपुर के चन्द्रहासिनी मंदिर, रतनपुर के महामाया मंदिर, डोंगरगढ़ के बम्लेश्वरी मंदिर और दंतेवाड़ा के दंतेश्वरी मंदिर में इस योजना के तहत विभिन्न सुविधाओं के विकास के लिए कार्ययोजना तैयार कर चरणबद्ध ढंग से सुविधाएं विकसित करने का काम किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को गरियाबंद जिले के भूतेश्वर महादेव, जतमई घटारानी जलप्रपात, शिवमहापीठ, सिरकट्टी आश्रम और कोपरा के कोपेश्वर महादेव को ट्रॉयबल परिपथ के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए।

सुबह ही कलेक्टर साहब ने किया था निरीक्षण, शाम को छज्जा गिर गया

रायपुर/नवप्रदेश। रायपुर कलेक्टोरेट बिल्डिंग कई जगह से जर्जर हो गई है। कल सुबह ही नए कलेक्टर साहब ने परिसर के सभी विभागों का निरीक्षण किया था और शाम को इसका छज्जा भरभराकर गिर गया। तीन मंजिला बिल्डिंग का कई हिस्सा जर्जर हो गया है। इसके कारण इस बिल्डिंग की कई दीवारों में दरारें आ गई हैं । हादसे के कुछ घंटे पहले कलेक्टर डा. गौरव सिंह भी विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण के दौरान इसी बरामदे से होकर खनिज विभाग के दफ्तर पहुंचे थे। गनीमत है कि छज्जा जिस समय गिरा, उस दौरान बरामदे में न ही कलेक्टर मौजूद थे और न ही अधिकारी- कर्मचारी या आम लोग,

नहीं तो हादसे में उन्हें भी चोट लग सकती थी। कलेक्टोरेट की तीन मंजिला बिल्डिंग का कई हिस्सा जर्जर हो गया है। इसके कारण इस बिल्डिंग की कई दीवारों में जहां दरारें आ गई हैं। कलेक्टोरेट में 5 मंजिला नई कंपोजिट बिल्डिंग का निर्माण होना है। 29 करोड़ से अधिक लागत से बनने जा रही इस बिल्डिंग की डिजाइन से लेकर टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, लेकिन इसके बाद भी इसका निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो पाया है। नई बिल्डिंग के कारण जर्जर हो रही पुरानी बिल्डिंग की मरम्मत भी नहीं कराई जा रही है।

बिल्डिंग में कई विभागों के दफ्तर संचालित :तीन मंजिल बिल्डिंग में अधिकारियों के कोर्ट के साथ खनिज विभाग, आबकारी विभाग, भू-अभिलेख, योजना एवं सांख्यिकी, खाद्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, समग्र शिक्षा सहित अन्य विभागों के दफ्तर संचालित होते हैं। इन दफ्तरों में अपर कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कर्मचारी ड्यूटी करते हैं।

ब्रिज टूर्नामेंट में छग की टीम ने मारी बाजी

रायपुर/नवप्रदेश। राजधानी में आयोजित 45वीं अखिल भारतीय विद्युत ब्रिज टूर्नामेंट के डुप्लीकेट स्पर्धा में छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी की टीम विजयी रही। छत्तीसगढ की टीम ने डुप्लीकेट स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। मास्टर पीयर स्पर्धा में तमिलनाडु के एस श्रीधर व एम तमिल सेल्वम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। रायपुर के जेएन सिकदर- संचारनाथ की जोड़ी ने द्वितीय एवं आंध्रप्रदेश के जी रविकुमार- जीवीएन शिव कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी के केंद्रीय क्रीड़ा एवं कला परिषद ने 45वीं अखिल भारतीय विद्युत ब्रिज टूर्नामेंट का आयोजन राजधानी के एक होटल में किया है। इसमें पांच राज्यों के खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। दूसरे दिन ब्रिज के डुप्लीकेट स्पर्धा में

छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनी की टीम ने 74 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की टीम तथा तीसरे स्थान पर आंध्रप्रदेश एपी इलेक्ट्रिसिटी की टीम रही।

मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का संभाग कमिश्नर ने लिया जायजा

रायपुर/नवप्रदेश। संभागायुक्त डॉ संजय अलंग और कलेक्टर डॉ गौरव सिंह ने लोकसभा सभा चुनाव-2024 के परिपेक्ष्य में राजधानी के विभिन्न मतदान केन्द्रों में मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम का कार्य चल रहा है। उन्होंने ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के स्वामी आत्मानंद प्राथमिक शाला लालपुर, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के आरडी तिवारी स्कूल, उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बीपी पुजारी स्कूल एवं दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के संत कवरराम शासकीय कन्या शाला में स्थित मतदान केन्द्र पहुंच कर निरीक्षण किया। कमिश्नर डॉ अलंग और कलेक्टर डॉ गौरव ने वहां उपस्थित कर्मचारियों से चर्चा की और फ टोटोयुक्त निर्वाचक नामावली का विषेश पुनरीक्षण की जानकारी ली। डॉ अलंग ने कहा कि फोटोयुक्त मतदाता सूची

में नाम जोड़ने, कटवाने, नाम शुद्धिकरण का कार्य गंभीरता से करें। जो नए मतदाता है उनसे बीएलओ संपर्क कर मतदाता सूची मे नाम जोंडे। साथ ही ऐसे मतदाता जिनका देहांत हो गया है या संबंधित विधानसभा से अन्य विधानसभा में शिफ्ट हो चुके है उनका नाम पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए हटा दें। साथ ही जो मतदाता अन्य विधानसभा से संबंधित विधानसभा में आए हैं, जैसे-विवाह स्थानांतरण इत्यादि कारणों से उनका नाम नियमानुसार जोड़े। मतदाताओं को फॉर्म 6-8 की जानकारी दें। जिससे मतदाता सूची में नाम जोड़ने व हटाने का काम आसानी से कर सकें। उन्होंने वहॉ उपस्थित बीएलओ से फार्म 6, 7 और 8 के उपयोग की जानकारी ली और मतदाता सूची में नए मतदाता जोड़ने ओर संसोधन के कार्य को सावधानीपूर्वक करने के निर्देश दिये। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं का नाम भी मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। इसके लिए जिले में मतदाता सूची पुनरीक्षण का संक्षिप्त कार्यक्रम 06 जनवरी से शुरू हो गया है। मतदान केन्द्रों में 13 एवं 14 जनवरी को विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे।

15 जनवरी से 14 फरवरी तक मनाया जाएगा सड़क सुरक्षा माह

रायपुर/नवप्रदेश। प्रदेश में नागरिकों और सड़क उपयोगकर्ताओं को सड़क सुरक्षा की गंभीरता और चुनौती के बारें में जागरूक करने के लिये सड़क सुरक्षा माह का आयोजन 15 जनवरी से 14 फरवरी तक किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा माह के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, नगरीय प्रशासन, परिवहन, पुलिस विभाग, एनसीसी एवं एनएसएस, स्काउट गाइड्स सहित स्वंयसेवी/समाजसेवी संस्थाओं द्वारा विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सहयोग से सड़क उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से वाहन चालकों, विद्यार्थियों का प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमीनार, नेत्र जांच शिविर सहित सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों से आयोजन होगा।

लोगों को सड़क सुरक्षा की समस्याओं और समाधान का प्रचार-प्रसार सड़क दुर्घटना में होनें वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या

कम करने के उदेश्य से किया जा रहा है। अंतर्विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा के अध्यक्ष संजय शर्मा ने जानकारी दी है कि सड़क सुरक्षा माह 2024 के दौरान जनजागरूकता हेलमेट रैली, सड़क सुरक्षा पर, वाहन चालकों का प्रशिक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण, आंखों की जांच, स्कूल दिवस में स्कूली बच्चों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने स्लोगन, निबंध, चित्रकला, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजना करना, ई-रिक्शा वाहन चालकों का प्रशिक्षण, बस वाहन चालकों का प्रशिक्षण, गणतंत्र दिवस समारोह में सड़क सुरक्षा पर झांकी एवं बैनर पोस्टर फ्लैक्स, एम्बुलेंस ड्रायविंग ट्रेनिंग, वाहनों का फिटनेस रेडियम स्ट्रीप्स आदि की जांच एवं संधारण, शराब सेवन कर वाहन चालन से नुकसान पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। ग्राम चौपाल में जन जागरूकता, गंभीर सड़क दुर्घटना स्थलों को चिन्हित करना, सड़क सुरक्षा मितानों का प्रशिक्षण, युवाओं के लिये एरोबिक्स जुम्बा के माध्यम से स्वस्थ शरीर रखे प्रोत्साहन स्वरूप टाफ ी वितरण सहित स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विविध कार्यक्रम आयोजित होगे। इस संबंध में राज्य के सभी जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों से अनुरोध किया गया है।

कार्यालय प्रबंध संचालक, जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित कटघोरा वनमण्डल कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)
Tel:07815-299441, E_Mail: tpkatghora@gmail.com

प्रबंधक नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों में दावा-आपत्ति

जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित, कटघोरा के अन्तर्गत आने वाली प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति मर्यादित, बांधाखार के रिक्त प्रबंधक पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे । उक्त आवेदन पत्रों में पात्र-अपात्रों की सूची जिला यूनियन कार्यालय, कटघोरा वनमंडल कटघोरा एवं समिति कार्यालय में चस्पा की गई है। यदि किसी आवेदक को उक्त सूची में दावा-आपत्ति हो तो कार्यालयीन समय में दिनांक 15.01.2024 से 22.01.2024 के मध्य दावा-आपत्ति मय अभिलेख सहित जिला यूनियन कार्यालय, कटघोरा वनमंडल कटघोरा में प्रस्तुत कर सकते है । निर्धारित तिथि पश्चात दावा-आपत्ति मान्य नहीं होगी।

संवाद-39337/3

प्रबंध संचालक
जिला वनोपज सहकारी संघ मर्यादित
कटघोरा

संपादकीय

शिवसेना उद्धव गुट को लगा झटका

महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने उद्धव गुट की याचिका को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित उनके गुट के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना के 55 विधायकों में 37 विधायक हैं इसलिए उनके नेतृत्व वाला गुट असली शिवसेना हैं। चुनाव आयोग ने भी एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना है और इसी गुट को पार्टी का चुनाव चिन्ह तीर धनुष आवंटित किया है इसलिए उद्धव गुट की याचिका खारिज की जाती है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की सदस्यता बरकरार रखी जाती है। उन्होंने अपने फैसले में यह भी साफ कहा है कि शिवसेना का 1999 का संविधान ही सर्वोपरी है हम 2018 का संविधान स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि यह संशोधित संविधान चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर का यह फैसला उद्धव ठाकरे गुट के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस फैसले को लेकर उद्धव ठाकरे और उनके गुट के संजय राउत सहित अन्य नेताओं ने हाय तौबा मचानी शुरू कर दी है। उद्धव ठाकरे ने तो इस निर्णय को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है और इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने तो इस निर्णय को धोखा कहा है और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी भी कर डाली है। संजय राउत के विवादास्पद बयान को लेकर अब भाजपा ने उनके खिलाफ विशेषाधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव लाने की घोषणा की है। गौरतलब है कि उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत पहले भी इसी तरह के विवादास्पद बयान देते रहे हैं। उनके बड़बोलेपन के कारण ही शिवसेना डेढ़ साल पूर्व दोफाड़ हुई थी। इसके बावजूद संजय राउत अपने बड़बोलेपन से बाज नहीं आ रहे हैं। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने भाजपा के साथ मिलकर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसमें उसे 55 सीटें मिली थी। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के लिए अड़ गए थे और जब भाजपा ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया तो उन्होंने भाजपा से नाता तोड़कर अपने धुर विरोधी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस जैसे राजनीति दलों के साथ हाथ मिलाकर महाविकास अघाड़ी सरकार बना ली और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। उनके इस फैसले से शिवसेना में ही असंतोष के स्वर उठने लगे थे। लेकिन उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों की मंशा के विपरीत सरकार चलाते रहे नतीजतन डेढ़ साल पूर्व शिवसेना में बगावत हो गई और 57 साल पुरानी पार्टी शिवसेना विभाजित हो गई एकनाथ शिंदे के साथ 39 विधायक अलग हो गए और उन्होंने खुद को असली शिवसेना बताकर पार्टी के चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोक दिया। चुनाव आयोग ने बहुमत के आधार पर एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना माना और उसे पार्टी का चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया। इसके बाद से ही दोनों गुटों के बीच राजनीतिक लड़ाई चली आ रही है। और अब महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में फैसला देकर उद्धव ठाकरे गुट की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब उद्धव ठाकरे स्पीकर के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कर रहे हैं और यह उम्मीद लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा और वहां से उनके पक्ष में ही फैसला आएगा लेकिन ऐसा होना संभव नहीं दिखता क्योंकि विधायकों को योग्य या आयोग्य करार देने का निर्णय विधानसभा के स्पीकर के हाथों में होता है। महाराष्ट्र के स्पीकर ने जो फैसला दिया है उसके लिए उन्होंने अकाट्य तर्क दिए हैं। जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के बाद भी उद्धव ठाकरे को राहत मिलने की उम्मीदें बेहद कम हैं। बहरहाल स्पीकर के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से बवाल मच गया और लोकसभा चुनाव सामने हैं। ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे गुट के लिए बड़ी चुनौती सामने आएगी।

उच्च गुणवत्ता में भारत को दुनिया में अग्रणी बनाना है

श्री. पीयूष गोयल
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

विनिर्माण क्षेत्र में 'जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट' के संबंध में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के अनुरूप उच्चतम वैश्विक मानकों को पूरा करने वाले उच्च गुणवत्ता के उत्पाद उपलब्ध कराने में भारत दुनियाभर में अग्रणी बनने की दिशा में अग्रसर है। प्रतिस्पर्धी दरों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के प्रधानमंत्री के मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है कि 'मेड इन इंडिया' ब्रांड गुणवत्ता की गारंटी हो, जो भारतीय और विदेशी उपभोक्ताओं के लिए आनंद का परिचायक बने। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि एक लाभदायक बाजार तभी कायम रह सकता है जब उत्पादकों और उपभोक्ताओं के हितों में संतुलन हो। इस रणनीति का एक प्रमुख घटक गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) पर जोर देना है। इसके जरिये क्यूसीओ यह सुनिश्चित करता है कि सभी उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हों। यह उन उपभोक्ताओं के लिए एक वरदान है, जिससे उपभोक्ताओं को उत्पादों तथा व्यवसायों के संबंध में विश्वसनीय, सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता का भरोसा प्राप्त होता है।

इसके जरिये घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती मांग व उपभोक्ताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की डिजिटल इंडिया पहल ने 140 करोड़ भारतीयों के परिवार को दुनिया से जुड़ने और सर्वोत्तम उत्पादों व व्यवहारों के बारे में जानने में मदद की है। वे किसी उत्पाद को खरीदने से पहले नियमित रूप से प्रदर्शन, स्थायित्व और निर्भरता के लिए ग्राहक समीक्षाओं की जांच करते हैं। यदि वे उत्पाद से असंतुष्ट हैं, तो वे सार्वजनिक रूप से कमियों को उजागर करते हैं। इसलिए, उत्पाद की गुणवत्ता, कीमत और नवीनता के बीच संतुलन बनाना समय की मांग है। मोदी सरकार सुरक्षित, विश्वसनीय व बेहतर गुणवत्ता वाले सामान उपलब्ध कराने और भारतीय उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत गुणवत्ता इको-सिस्टम विकसित करने पर केंद्रित है। मई 2014 से पहले, 106 उत्पादों को कवर करने वाले केवल 14 क्यूसीओ जारी किए गए थे। सूची को अब 653 उत्पादों को कवर करते हुए 148 क्यूसीओ तक बढ़ा दिया गया है। इनमें एयर कंडीशनर, खिलौने और जूते जैसे घरेलू उत्पाद शामिल हैं।

निर्यात पर गुणवत्ता नियंत्रण– क्यूसीओ ने 'मेक इन इंडिया फार द वर्ल्ड' के मिशन को गति दी है। क्यूसीओ के तहत कई उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है। कच्चा लोहा उत्पाद, सौर डीसी केबल, दरवाजे की फिटिंग, छत के पंखे, हेलमेट, स्मार्ट मीटर, हिंजेस, एयर कूलर और एयर फिल्टर गुणवत्ता-नियंत्रित उत्पाद हैं, जो आयात किए जाने की तुलना में कहीं अधिक निर्यात किए जाते हैं। क्यूसीओ द्वारा कवर किए गए कास्ट आयरन उत्पादों का पिछले साल 535 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हुआ था, जबकि आयात मुश्किल से 68 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। लगभग 25 क्यूसीओ में ऐसे उत्पाद शामिल हैं, जहां आयात से अधिक निर्यात होता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि क्यूसीओ भारत में मजबूत गुणवत्ता चेतना के निर्माण पर केंद्रित हैं। इससे देश में खराब गुणवत्ता वाले सामानों की डंपिंग को कम करने में भी मदद मिलती है। उल्लेखनीय है कि सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं तक पहुंच हमारे अमृत काल में प्रत्येक भारतीय नागरिक का अधिकार है। क्यूसीओ लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण आग लगने, खिलौनों में जहरीले रसायनों के कारण बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने और बिजली के शॉर्ट-सर्किट जैसे जोखिमों के कारण घटिया उत्पाद घरों के लिए बेहद खतरनाक हो सकते हैं।

शानदार उदाहरण– गुणवत्ता-नियंत्रण कैसे उपभोक्ताओं और निर्माताओं की मदद के लिए विनिर्माण को आमूल रूप से उन्नत कर सकता है, इसका एक शानदार उदाहरण खिलौना उद्योग है। इस क्यूसीओ के कार्यान्वयन से पहले, भारतीय खिलौना बाजार सस्ते, घटिया उत्पादों से भरा पड़ा था। वर्ष 2019 में भारतीय गुणवत्ता परिषद के एक सर्वेक्षण से पता चला कि मुश्किल से एक-तिहाई खिलौने प्रासंगिक बीआईएस मानकों का पालन करते हैं, और उनमें से अधिकांश बच्चों के लिए खतरनाक थे। यह मोदी सरकार के लिए पूरी तरह से अस्वीकार्य था, जिसने एक जनवरी, 2021 से इस क्षेत्र के लिए क्यूसीओ के साथ तेजी से हस्तक्षेप किया था। इससे भारत में खिलौनों की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ। एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि भारतीय बाजार में 84 प्रतिशत खिलौने बीआईएस मानकों का पालन करते हैं। क्यूसीओ ने न केवल भारतीय बच्चों को सुरक्षित, उच्च गुणवत्ता वाले खिलौने उपलब्ध कराए हैं, बल्कि 2018-19 की तुलना में 2022-23 में उनके निर्यात में 60 प्रतिशत की वृद्धि भी हुई है।

राष्ट्रीय युवा दिवस

युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद

डॉ.संजय शुक्ला

पाश्चात्य और महानगरीय संस्कृति के अंधानुकरण के चलते युवक और युवतियों की बड़ी जनसंख्या नशाखोरी के गिरफ्त में आ रही है जो कल के भारत की खतरनाक तस्वीर पेश कर रहा है। नशाखोरी के चलते नयी पीढ़ी अनेक शारीरिक और मानसिक रोगों का शिकार होकर अपराध और अनैतिक व्यवसाय में संलिप्त हो रहे हैं। आज के युवाओं में अनुशासन जो कि पूरे जीवन का आधार है की सबसे ज्यादा कमी देखी जा रही है। युवाओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया के जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उनमें एक चीज समान थी और वह है कड़े अनुशासन का पालन।आज की पीढ़ी अनुशासन के प्रति बेहद लापरवाह है। नयी पीढ़ी में अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा जैसे बुनियादी गुणों के बीजारोपण के लिए स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों को एनसीसी और एनएसएस अनिवार्य करने के साथ ही स्कूली पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा को शामिल करने की महति आवश्यकता है। गौरतलब है कि दुनिया के अन्य देशों में युवा पर्यावरण संरक्षण और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में शामिल रहते हैं लेकिन भारत के युवा इस दिशा में उदासीन हैं युवाओं को इन गंभीर मसलों पर भी सचेत होना चाहिए।

आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है जिसे समूचा देश राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाता है। विवेकानंद ने युवाओं को लक्ष्य प्राप्ति के लिए मूलमंत्र दिया था कि उठो,जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए।÷ वे युवाओं को राष्ट्रनिर्माण का प्रमुख ध्वजवाहक मानते थे।किसी भी देश और समाज की दशा और दिशा उस राष्ट्र के युवा तय करते हैं, दुनिया में जितने भी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक बदलाव हुए हैं उनके सूत्रधार युवा ही रहे हैं। दरअसल युवा ही किसी देश के वर्तमान और भूतकाल के सेतु होते हैं जिनके सकारात्मक ऊर्जा से बदलाव संभव हो पाता है। राष्ट्र और समाज के निर्माण में युवाओं की इन महति भूमिका के बावजूद भारत के राजनीतिक और सामाजिक विकास युवाओं की भागीदारी सीमित है। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है जहां 45 फीसदी आबादी 25 साल से कम उम्र का है जबकि चीन में यह आंकड़ा 30 फीसदी है। भारतीयों की औसत आयु 28 वर्ष है जो चीन के औसत आयु 39 वर्ष में से 11 वर्ष कम है। चीन की आबादी बड़ी तेजी से बुजुर्ग हो रही है फलस्वरूप उसकी आर्थिक वृद्धि दर भी घट रही है जबकि भारत में बढ़ते वर्कफोर्स के चलते आने वाले 10 वर्षों में देश की औसत विकास दर में काफी बढ़ोतरी की संभावना है।

युवाओं के कंधों पर ही मुल्क की राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की जिम्मेदारी है। देश इन दिनों अनेक राजनीतिक सामाजिक और सांस्कृतिक चुनौतियों से जूझ रहा है जिसका मुकाबला सिर्फ युवा ही कर सकते हैं।लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में कोई भी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलाव चुनावों के जरिए ही संभव है। युवा किसी भी राष्ट्र या समाज की रीढ़ होते हैं इसलिए उन्हें स्वहित को त्याग कर राष्ट्रहित में अनेक संकल्प लेने होंगे। विडंबना है कि देश में युवाओं का एक समूह अपने लक्ष्य से भटक कर धार्मिक और जातिवादी कट्टरपंथी मुहिम में अपनी ऊर्जा और भविष्य गंवा रहा है। दूसरी ओर नई पीढ़ी में पनप रही नशाखोरी और पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण उनके चरित्र निर्माण में भी बाधक बन रहा है। युवाओं के बीच प्रगतिशीलता का मायने ही उपरोक्त विसंगतियां बन रही है जो देश और समाज के लिए घातक है। युवाओं को एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लेना होगा जहां धर्म,जाति, लिंग,क्षेत्र या आय का कोई भेदभाव न हों लेकिन यह तब संभव है जब युवा खुद को एक भारतीय समझें। भारत के युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद आज भी सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हैं जिनका जीवन उन्हें अनुशासन, नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा, समानता और सहजीवन की सीख देती है।आजादी के सात दशकों बाद भी देश शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास और समानता के अनेक मानकों में काफी पिछड़ा हुआ है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में जितने भी राजनीतिक , सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव हुए हैं उसे युवाओं ने ही अंजाम दिया है लेकिन भारत के युवा अपनी बुनियादी चिंताओं के निराकरण और सामाजिक जवाबदेहियों के प्रति लगातार उदासीन नजर आ रहे हैं। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, अशिक्षा, गरीबी, आर्थिक विषमता ऐसी समस्या है जिसके प्रति सरकार के साथ साथ समाज भी बेपरवाह है। अनियमित खानपान और दिनचर्या के कारण किशोरों और युवाओं की एक बड़ी संख्या बहुत तेजी से जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों का शिकार हो रही है वहीं ड्रग्स एवं अन्य मादक पदार्थों के सेवन के चलते युवा अपराध, अनैतिक व्यापार, अवसाद और आत्महत्या जैसे त्रासदी भोग रहे हैं। आजकल के युवाओं में पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण के चलते इतना खुलापन आ गया है कि वे तमाम सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने में भी नहीं हिचक रहे हैं? आश्चर्यजनक तौर पर युवतियां भी इन मामलों में पीछे नहीं हैं। अहम सवाल यह कि युवाओं में पनप रही अपसंस्कृति आखिरकार देश और समाज को कहां ले जाएगी? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में भारत की पहचान उसकी संस्कृति और परंपरा भी है जिसके प्रति पश्चिम आकर्षित होते रहा है। बहरहाल जब युवा भटकाव की राह पर हैं तो तब उनके लिए आत्ममंथन का भी समय है कि आखिरकार वे अपने लक्ष्य प्राप्ति में कैसे सफल हों? बिलाशक इसके लिए उन्हें विवेकानंद को ही अपना रोल मॉडल बनाना होगा। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को धैर्य, व्यवहारों में शुचिता,आपस में नहीं लड़ने, पक्षपात नहीं करने और हमेशा संघर्षरत रहने का संदेश दिया था। वे ईश्वर और सत्य को आत्मविश्वास जागृत करने का सबसे बड़ा साधन मानते थे,उनका मानना था कि दुनिया एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। आज के गलाकाट प्रतिस्पर्धा के दौर में विवेकानन्द के संदेश युवा पीढ़ी को उनके लक्ष्य प्राप्ति में बेहतर राह दिखा सकते हैं। विवेकानंद के विचार युवाओं को समाज में व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन के लिए सदैव प्रेरित करते हैं।वे युवाओं के ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देने के पक्षधर थे। विवेकानंद का मानना था कि युवाओं को शोषणमुक्त सामाजिक परिवर्तन की दिशा में आगे आना चाहिए तथा सामाजिक कुरीतियों के निवारण में अपनी सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करना चाहिए।

बहरहाल आज जब देश राजनीतिक और धार्मिक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है तब युवाओं की महति जिम्मेदारी है कि वे विवेकानंद सिद्धांतों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण के लक्ष्य में आगे आएं।देश आज भी रूढ़िवादी परंपराओं के बेड़ियों में जकड़ा हुआ जिससे आजादी सिर्फ युवा ही दिला सकते हैं। गरीबी और पितृसत्तात्मक व्यवस्था के कारण महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में लगातार पिछड़ रही हैं। हमें स्मरण में रखना होगा कि इस आधी आबादी ने अंतरिक्ष से लेकर राजनीति, आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। युवाओं से अपेक्षा है कि नये साल में वे समाज में महिलाओं के बारे में प्रचलित दकियानूसी सोच को बदलने और उनके सशक्तिकरण की दिशा में आगे आएं। देश के युवाओं के सामने अच्छी शिक्षा के बाद अच्छा रोजगार एक बड़ी चुनौती है लेकिन सरकारी और निजी क्षेत्रों में बेरोजगारों के अनुपात में नौकरी नहीं है लिहाजा युवाओं को स्वरोजगार और कुटीर उद्योगों की ओर प्रेरित होना चाहिए ताकि वे खुद रोजगार प्रदाता बनें।

आज का इतिहास

नई दिल्ली(वार्ता)। 1701 नीदरलैंड में ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया। भारतीय दार्शनिक स्वामी विवेकानंद का 1863 में जन्म कोलकाता में हुआ। 1872 योहंस चतुर्थ अक्सुम में इथियोपिया सम्राट का ताज बनाया गया, जो 500 वर्षों में उस शहर का पहला शासक था। 1875 गुआंग्सू अपने चचेरे भाई के उत्तराधिकार में 4 साल की उम्र में चीन के 11 वें किंग राजवंश का सम्राट बना।1908 पेरिस स्थित एफिल टॉवर से पहली बार लंबी दूरी का वायरलेस संदेश भेजा गया। 1911 रूस के वियर्न शहर में भूकंप आने से 250 से ज्यादा लोग मारे गए। 1915 संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि मंडल ने महिलाओं को वोट देने का प्रस्ताव खारिज कर किया। 1916 न्यूयॉर्क नौसेना यार्ड में अमेरिकी नौसेना के पनडुब्बी यूएसएस ई -2 पर एक विस्फोट में चार सैनिक मारे गए।1997 टाइगर वुड्स ने मर्सिडीज चैंपियनशिप जीती और यह उनके लिए एक अच्छी जीत थी। 1998 उन्नीस यूरोपीय राष्ट्र मानव क्लोनिंग को मना करने के लिए सहमत हुए। 2004 दुनिया के सबसे बड़े समुद्री जहाज, आरएमएस क्वीन मैरी 2 ने अपनी पहली यात्रा की शुरूआत की।

QUIZ TIME

1) भारत को किस समय जोन में रखा गया है?

2) हाल ही में किस देश ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों की मौत की सजा को बदल दिया है?

3) किस मुगल सम्राट को हिन्दी गीतों की रचना का श्रेय प्राप्त है?

4) भारत के किस पुरातात्विक स्थल में एक प्राचीन क्रिस्टल क्वार्ट्ज वजन इकाई पाई गई है?

5) भारत का पहला स्वदेशी ई-ट्रैक्टर प्राइमा ईटी11 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) समय जोन-1 (2) कतर (3) शाहजहाँ (4) [illegible] (5) [illegible]

आज का पंचांग

सूर्योदय : 07:21, सूर्यास्त : 05:48, चन्द्रास्त : 17:20

अयन : उत्तरायणे (दक्षिणगोलीय)

ऋतु : शिशिर, शक सम्वत : 1945 (शोभकृत), विक्रम सम्वत : 2080 (पिंगल), मास : पौष, पक्ष : शक्ल, तिथि : प्रतिपदा, नक्षत्र : उत्तराषाढ, योग : हर्षण, प्रथम करण : नाग (17:26 तक), द्वितीय करण : किंस्तुघ्न (27:56 तक)

शुभाशुभ मुहूर्त विचार

अभिजित मुहूर्त : 12:04 से 12:45, अमृत काल : 13:15 से 14:43, विजय मुहूर्त : 14:08 से 14:50, गोधूलि मुहूर्त : 17:32 से 18:00, सायाह्न सन्ध्या : 17:35 से 18:57, निशिता मुहूर्त : 23:57 से 24:52, राहुकाल : 12:00 से 13:30, यमगण्ड : 07:14 से 08:32, होमाहुति : सूर्य, दिशाशूल : दक्षिण, अग्निवास : पृथ्वी, चन्द्रवास : पूर्व (दक्षिण 23:05 से), शिववास : गौरी के साथ (17:26 से श्मशान में)

शुभ यात्रा दिशा

दक्षिण-पूर्व (दही का सेवन कर यात्रा करें), आज जन्मे शिशुओं का नामकरण, आज जन्मे शिशुओ का नाम उत्तराषाढ नक्षत्र के प्रथम , द्वितीय , तृतीय एवं चतुर्थ चरण अनुसार क्रमशः (भे, भो, जा, जी) नामाक्षर से रखना शास्त्रसम्मत है।

आज का राशिफल

ज्योतिषाचार्य वास्तुविशेषज्ञ डॉक्टर देवव्रत गुरुजी

मेषः आज के दिन व्यर्थ की भाग-दौड़ अधिक रहेगी व्यावसायिक कारणों से भी यात्रा के योग बनेंगे परन्तु अंत समय मे निरस्त भी हो सकते है।

वृषः आज का दिन आपको शांति से बिताने की सलाह है पराये काम अथवा धन से दूरी बना कर रहें आज परोपकार के बदले अपशब्द सुनने को मिलेंगे।

मिथुनः आज का दिन आपके लिए आनंद दायक रहेगा। आप आज प्रत्येक कार्य को जांच पड़ताल कर ही करेंगे जिससे सफलता का प्रतिशत अधिक रहेगा।

कर्कः आज के दिन आपको मिलाजुला फल देगा। दिन के आरंभ से मध्यान तक आर्थिक एवं पारिवारिक कारणों से मन बेचैन रहेगा।

सिंहः आज का दिन आप आपके लिए परिश्रम वाला रहेगा घरेलू एवं व्यावसायिक कार्य एक साथ आने पर थोड़े असहज भी रहेंगे।

कन्याः आज दिन के मध्यान तक का समय व्यर्थ की बहसबाजी में खराब होगा। स्वभाव में भी अहम रहने से स्वयंजन से टकराव की स्थिति बनेगी।

तुलाः आज का दिन भी आपके लिए लाभदायी रहेगा बीते कल के अधूरे कार्य आज पूर्ण होने से धन की आमद होगी।

वृश्चिकः आज का दिन सामान्य ही रहेगा। आज आप के मन मे कुछ ना कुछ तिकड़म लगी रहेगी परन्तु साधनों की कमी के कारण कल्पनाओं को साकार रूप नही दे पाएंगे।

धनुः आज का दिन आपके लिए खर्चीला साबित होगा। रिश्तेदारी के साथ ही घरवालों की जिद पूरी करने में धन खर्च होने पर बजट गड़बड़ायेगा।

मकरः आज दिन का पूर्वार्ध जितना बेचैनी भरा रहेगा दिन का अंतिम भाग उतना ही राहत वाला रहेगा।

कुंभः आज के दिन आपकी किसी मनोकामना की पूर्ति होने से प्रसन्न रहेंगे।

मीनः आज का दिन सरकारी अथवा अन्य कागजी कार्यवाही के लिए उत्तम है।

शब्द सागर

शब्द सामर्थ्य -301

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं :
1. अनुचित, असत्य, जो ठीक न हो 3. बेवजह, बिनाकारण, व्यर्थ 4. हल्फीनींद, चकमा, धोखा 6. शक्कर पानी आदि का मीठा घोल 10. सोते से उठाना, सावधान करना, प्रदीप्त करना 11. चरमसीमा, सीमांत 14. पानी, आंसू 15. बैठा हुआ, विराजित 16. नृत्य 17. मृतप्राय, मृत्यु के करीब 19. जल, अम्बु 22. उपहार, भेंट 23. खबर, संदेश।

ऊपर से नीचे
1. गणपतिजी, 2. मांगनेवाला, पाने की इच्छा करने वाला 3. मिट्टी के रंग का, मटमैला 5. चला आता हुआ क्रम प्रथा, प्रणाली, रीति-रीवाज, 7. निशाचर, रात में विचरण करने वाला 8. पेड़ का धड़ा जहां से शाखाएं निकलती है, 9. मिठाई, खाने की मीठी चीज 12. शासन, गुब्बारा 13. श्रद्धा, स्त्री, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य 15. विपत्तिग्रस्त, दुखी, अभागा 16. प्रसिद्ध, नामवर 18. स्वप्न, ख्वाब 20. करीब, नजदीक, समीप 21. सुबह, प्रातः, सवेरा।

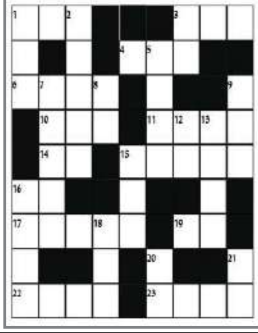

शब्द सामर्थ्य क्रमांक300का हल

अ	भि	षे	क	■	प	स	■	■
जा	त	■	श्र	प	श्र	पा	ना	■
य	र	का	नी	■	भ्र	■	र	श्मि
ब	घा	र	■	क	ष्ट	प्र	द	■
■	त	ना	त	नी	■	बं	■	ब
अ	■	मा	■	ज	मा	त	■	ल
स	जा	■	■	■	■	क	ज	रा
बा	■	बे	स	हा	रा	■	ग	म
ब	गु	ला	■	रा	ज	दू	त	■

पहली बार बिना थीम का व्यापार मेला, न उद्योग- व्यापार के लिए कुछ न ग्राहकों को कोई छूट

व्यापार मेले में पीएम मोदी का स्टार्टअप भी नदारद

विक्रम सिंह ठाकुर / विनोद चंद्रा

बिलासपुर/ नवप्रदेश। स्थानीय साइंस कालेज मैदान में आयोजित व्यापार मेले का कोई थीम ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्टार्टअप भी कहीं नहीं है। आत्म निर्भर भारत बनाने, नवाचार के साथ नए व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने स्टार्टअप को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। व्यापार मेले में इसकी कोई झलक दिखाई नहीं देती। व्यापार मेले ऐसे प्रयासो में सहायक होते है लेकिन इस मेले में ऐसा कोई प्रयास होता नहीं देखा जा सकता। व्यापार मेला के आयोजकों द्वारा मनमानी करते हुए शासन की योजनाओं का भी परवाह नहीं किया जा रहा है।

करीब तीन सौ स्टॉल्स वाले इस मेले में ऑटोमोबाइल्स इलेक्ट्रीक बाईक, स्कूल एवं कोचिंग, फुड जोन एवं मनोरंजन के अनेक स्टॉल्स लगे हुए हैं। मुख्य अतिथि धरमलाल कौशिक ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में खेती के बाद रोजगार देने वाला दुसरा क्षेत्र व्यवसाय है। और कोविड -19 के समय व्यापार व्यवसाय को हुए नुकसान को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साहस व आत्मविश्वास से उपर उठाया। व्यापार किस तरह से कोविड-19 से उबर पाया और यदि कोई ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो व्यापारियों को कैसे निपटना है, इसकी दूसरी तैयारी रहनी चाहिए। कृषि प्रधान राज्य होने के बाद भी कृषि पर आधारित मेला में किसी नवाचार के दर्शन नहीं होते है।

मेले में शहर सहित आसपास के गांवों से लोगों सहित खेती व्यवसाय से जुडे किसान भी आते है। ऐसे में किसानों को मेले में खेती के नवाचार पर आधारित स्टॉल दिखना चाहिए। नए व्यापारियों के लिए इस व्यापार मेला में सीखने के लिए कुछ भी है। दरअसल मेले का कोई थीम ही नहीं है। मेले में स्टाल की शुल्क व्यवस्था ही आयोजकों का उद्देश्य रह गया और व्यापारियों सहित मेले का आनंद लेने वाले लोगों को किसी प्रकार कोई छूट न देकर उनके भी जेबे खाली किया जाना ही उद्देश्य रह गया है।

जिन्हे मेले का अतिथि बनाया नहीं पहुंचे

बीएनआई द्वारा जिले में पहली बार आयोजित व्यापार मेले में तीन वरिष्ठ विधायक धरमजीत सिंह ठाकुर, अमर अग्रवाल, दिलीप लहरिया, युवा विधायक अटल श्रीवास्तव सहित महापौर रामशरण उद्घघाटन में नहीं पहुंचे। मेले की व्यवस्था पर शायद अतिथियों ने भी भरोसा नहीं किया। मेले का पहला दिन, मेले के शुभारंभ के लिए प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया गया था। उनकी अनुपस्थिति भी मेले में दर्शकों को खली। आयोजन समिति द्वारा शुभारंभ के पहले कार्यक्रम को भव्य बनाने का प्रयास किया गया था लेकिन ऐसा नहीं हो सका।

आयोजको से चर्चा करूंगा

मेला में लगे विभिन्न स्टॉलों सहित स्टार्टअप योजना पर शहर के वरिष्ठ विधायक अमर अग्रवाल ने 'नवप्रदेश' से चर्चा करते हुआ कहा कि व्यापार मेला नए व्यापारियों को प्रोत्साहित करने और नए उद्योग व्यापार के अवसरों पर मुख्यरूप से आधारित होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा तो पूरे देश में है। इसकी झलक तो मेले में दिखाई देनी ही चाहिए थी।

नवाचार को मिलना चाहिए प्रोत्साहन

बेलतरा क्षेत्र के वरिष्ठ युवा भाजपा नेता विक्रम सिंह ठाकुर ने 'नवप्रदेश' से चर्चा कर कहा की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सपना आत्म निर्भर भारत बनाना है इस दिशा में नवाचार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नए व्यापार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। व्यापार मेला में आयोजको को यह सब भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए था।

ऐसी हुई योजना की शुरूआत

स्टार्टअप एक अभियान था, जिसका जिक्र पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किला, नई दिल्ली में अपने संबोधन में किया था। यह अभियान भारत सरकार के द्वारा देश में 75 से अधिक स्टार्टअप सपोर्ट हब विकसित करने की पहल के साथ शुरू किया गया था। सरकारी योजनाओं को व्यापार शुरू करने के इच्छुक लोगों तक पहुंचान था। स्टार्टअप इंडिया योजना एक महत्वपूर्ण सरकारी अभियान है, जिसे 16 जनवरी 2016 को बैंक वित्त पोषण प्रदान करके भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

पीएम आवास सहित विभिन्न योजनाओं का मिल रहा लाभ

बिलासपुर/नवप्रदेश। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत शिविर के माध्यम से केंद्रीय योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सिलसिला लगातार जारी है। शिविर में पीएम आवास योजना सहित केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलने से हितग्राहियों के सपने साकार हो रहे है। योजनाओं से छूटे हुए हितग्राही पीएम आवास, उज्जवला योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन कर रहे है। इसी क्रम में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी मस्तूरी ब्लॉक के ग्राम पंचायतों में पहुंची।

मस्तूरी विकासखण्ड के ग्राम पचपेड़ी, धूर्वाकारी, सरगंवा, और मुड़पार खो में शिविर का आयोजन किया गया। यहां ग्रामीणों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर के माध्यम से आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम जनधन योजना, वन अधिकार पत्रक, जाति प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना एवं राशन कार्ड संबंधित लाभ पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जा रहा है। इस दौरान योजनाओं से लाभांवित हितग्राहियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के जरिए उनके जीवन एवं परिवार कल्याण में आये सुधारों व मिले लाभों की जानकारी साझा किया। शिविर में नन्हें-नन्हें स्कूली बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। शिविर में 121 लोगों का आयुष्मान कार्ड, 755 लोगों का टीबी जांच, 306 लोगों का शुगर जांच एवं 422 लोगों का सिकलसेल जांच किया गया। विकासखंड मस्तूरी में अभी तक लगभग 1 लाख 13 हजार 318 लोगों ने शिविर का लाभ लिया है।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से समस्त खण्ड स्तरीय विभागीय अधिकारी, जनपद पंचायत पदाधिकारी, संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच, पंच और सचिव, सभी ग्राम पंचायत के नोडल अधिकारी, जनपद पंचायत के कर्मचारी, पंचायत मीडिया प्रभारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

रामलला के दर्शन करने अयोध्या तक की पद यात्रा

बिलासपुर/नवप्रदेश। श्री रामलला के दर्शन करने डोंगरगढ़ के रहने वाले मेहुल लखानी डोंगरगढ़ से अयोध्या के लिए निकलें है। 12 दिन की यात्रा करने के बाद आज वे बिलासपुर पहुंचे। मेहुल के अनुसार यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय चेतना का संदेश देना और प्रभु श्री राम के प्रति अगाध आस्था प्रकट करना है।

बिलासपुर के सीपत चौक पहुंचे मेहुल लखानी एक अनूठी यात्रा पर निकलें है। उनकी यात्रा पैदल चलते हुए डोंगरगढ़ से प्रभु श्री राम के धाम अयोध्या तक पहुंचना है। मेहुल ने बताया कि रायपुर पहुंचने पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने भी उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी है। मेहुल का कहना है कि वे उल्टे चल कर समाज में चेतना का प्रयास कर रहें है और राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए ये पद यात्रा शुरू की गई है। उन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार की रामलला दर्शन योजना की सराहना करते हुए कहा कि इससे श्री राम के प्रति आस्था रखने वाले सामान्य परिवार के लोग भी श्री राम मंदिर का दर्शन कर पुण्य लाभ कमा पाएंगे।

पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान

317 वाहन चालकों का 1.35 लाख का चालान काटा

बिलासपुर/नवप्रदेश। शराब पीकर वाहन चलाने वाले कुल 3 वाहन चालकों के विरुद्ध 185 एमवी एक्ट की कार्यवाही की गई ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों से वसूला गया ?1,35,600 जुर्माना पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष कुमार सिंह के निर्देशानुसार , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीमती अर्चना झा, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन संदीप कुमार पटेल नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली पूजा कुमार (भापुसे), नगर पुलिस अधीक्षक चकरभाटा कृष्णा पटेल, एसडीओपी कोटा श्री सिद्धार्थ बघेल, उप पुलिस अधीक्षक यातायात श्री संजय साहू, के मार्गदर्शन में बिलासपुर शहर के प्रमुख चौराहों में, सभी ग्रामीण थानो में सरप्राइज चेकिंग लगाकर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव, ब्लैक फिल्म लगाने वाले कार, बिना नंबर गाड़ी, तीन सवारी आदि यातायात नियमों को नहीं मानने वाले की जांच कर कार्यवाही की गई है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों का मौके पर ही ब्रेथ एनालाइजर मशीन से चेक किया गया व नियत सीमा से अधिक शराब पी कर गाड़ी चलाने वालों की गाड़ियों को जप्त किया गया है, 185 एक्ट के अंतर्गत कुल 3 वाहनों को जप्त किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल 317 वाहनों पर एमवी एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गई है। वाहनों की सरप्राईज चेकिंग का उद्देश्य अपराधिक गतिविधि वाले व्यक्तियों पर अंकुश लगाना तथा ड्रिंक एंड ड्राइव से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाना है।

दो लापता लड़कियां रायगढ़ से बरामद, परिजनों के सुपुर्द

मुस्कान अभियान के अंतर्गत कोटा पुलिस की तत्परता से लापता 2 नाबालिग लडकियों को रायगढ़ से बरामद किया गया। दोनों को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। जिले में गुम बालक-बालिकाओं की तलाश हेतु जिले में मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस कोटा सिद्धार्थ बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोटा टीएस नवरंग के नेतृत्व में लगातार गुम बच्चों की तलाश की जा रही है। कोटा थाने में 2 बालिकाओं के अपहरण की रिपोर्ट के 24 घंटे के अंदर दोनों को रायगढ़ से बरामद किया गया। सीताबाई बिंझवार निवासी बाकीघाट तथा राधिका बिंझवार निवासी धरमपुरा थाना ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इनकी नाबालिग लड़कियां एक का उम्र 14 साल निवासी बाकीघाट तथा दूसरे का उम्र 16 साल घर में बिना बताए कहीं चली गई है। रिपोर्ट पर थाना प्रभारी कोटा श्री टी.एस.नवरंग द्वारा मामले को गंभीरतापूर्वक लेकर तत्काल पुलिस टीम गठित कर दोनों नाबालिक बच्चों की पतासाजी हेतु लगाया गया।

31 पाव अंग्रेजी शराब के साथ आरोपी पकड़ाया

निजात अभियान को ध्यान में रखते सिविल लाईन पुलिस द्वारा किया गया अवैध रूप से शराब बिक्री करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए रोहित सैनी पिता अजय सैनी उम्र 32 वर्ष निवासी मिलन चैक कुदुदड, दीपांशु ठाकुर पिता सुरेश ठाकुर उम्र 19 वर्ष मिलन चैक कुदुदंड से 31 नग सीलबंद अंग्रेजी शराब जब्त किया गया। निजात'' के दौरान थाना प्रभारी सिविल लाईन प्रदीप आर्य को जरिये मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि कुदुदंड में सुलभ शौचालय के सामने दो व्यक्ति खड़े होकर एक पीले रंग के झोला में अंग्रेजी शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री कर अवैध लाभ अर्जित कर रहे हैं कि सूचना से तत्काल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संतोष कुमार सिंह अवगत कराया गया।

83 लीटर महुआ शराब के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

थाना कोनी पुलिस टीम द्वारा निजात अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 3 प्रकरणों में 3 आरोपियों के कब्जे से 83 लीटर कच्ची महुआ शराब जप्त कर आरोपी माधव प्रसाद सूर्यवंशी पिता स्व अमरनाथ सूर्यवंशी उम्र 40वर्ष जलसों, लक्ष्मीनारायण सूर्यवंशी पिता फेकूलाल उम्र 47 वर्ष जलसों, अजय वर्मा पिता ऋषि वर्मा उम्र 31 वर्ष निवासी धुरीभाठा जलसों आबकारी एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पेश किया गया है। थाना कोनी जिला बिलासपुर(छ.ग.) मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पुलिस

अधीक्षक बिलासपुर संतोष कुमार सिंह द्वारा जिले में अवैध शराब, गांजा एवं नशीली दवाई के विरुद्ध विशेष अभियान (निजात) चलाकर अधिक-से अधिक कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके परिपालन में थाना कोनी की सयुक्त पुलिस टीम बनाकर थाना कोनी क्षेत्रों में सतत् निगाह रखी गई, मुखबिर सूचना के आधार पर हमराह स्टाफ एवं गवाहों के साथ ग्राम जलसों में दबिश देकर माधव सूर्यवंशी के कब्जे से 25 लीटर लक्ष्मी सूर्यवंशी के कब्जे से 30 लीटर एवम अजय वर्मा के कब्जे से 28 लीटर अवैध रूप से कच्ची महुआ शराब उपरोक्त आरोपियो से कुल जुमला 83 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 24,900 रुपए पृथक-पृथक जप्त कर आरोपियों पर कार्रवाई की गई।

■ न्यूज गैलरी

सीएम विष्णुदेव साय से एसईसीएल सीएमडी डॉ मिश्रा ने की भेंट

बिलासपुर/नवप्रदेश। राजधानी रायपुर स्थित पहुना राजकीय अतिथि गृह में आज एसईसीएल सीएमडी डॉ प्रेम सागर मिश्रा ने माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री विष्णुदेव साय से सौजन्य भेंट की । इस अवसर पर सीएमडी एसईसीएल ने छत्तीसगढ़ के सर्वोन्मुखी विकास में एसईसीएल की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि एसईसीएल परिवार, सतत आपके मार्गदर्शन व सहयोग का आकांक्षी है। उन्होंने सीएसआर , रेल कॉरिडोर परियोजनाओं , एफ़एमसी प्रोजैक्ट्स आदि के ज़रिए किए जा रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों की भी जानकारी दी । गत वर्ष एसईसीएल ने राजकोष में लगभग 5000 करोड़ रुपये का राजस्व जमा कराया था जो इस वर्ष बढ़कर लगभग 6000 करोड़ रुपये होने की आशा है। पिछले पाँच वर्षों सीएसआर के अंतर्गत एसईसीएल ने छत्तीसगढ़ के विकास पर लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत की परियोजनाएँ कार्यान्वित की है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी विकास आदि कई क्षेत्रों से सम्बंधित हैं। लगभग 10, 000 करोड़ की लागत से विकसित की जा रही एसईसीएल की रेल कॉरिडोर परियोजनाएँ राज्य के सुदूर अंचलों में विकास के अग्रदूत बनेंगे । इसके ज़रिए 300 किलोमीटर से अधिक के रेल नेटवर्क का विकास किया जा रहा है । सतत धारणीय विकास अंतर्गत सूरजपुर ज़िले में बिश्रामपुर एवम् भटगाँव क्षेत्र में विकसित की जा रही 40 मेगावाट की ग्राउण्ड माउण्टेड ग्रिड कनेक्टेड सोलर परियोजना कोयलांचल के सबसे बड़े सोलर प्रोजैक्ट्स में से एक हैं । कोरबा कोलफ़ील्ड्स में 3 नए ईको पार्क की स्थापना की जा रही है वहीं मानिकपुर पोखरी को ईको टूरिज्म साईट के रूप में विकसित किया जा रहा है । मुख्यमंत्री ने राज्य शासन की ओर से सतत सहयोग का आश्वासन देते हुए प्रगति की शुभकामनाएँ दी ।

नववर्ष मिलन एवं सम्मान समारोह

बिलासपुर। इंटरनेशनल हुमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल फोरम के तत्वावधान में नववर्ष मिलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया,इस समारोह में आर्यावर्त ब्राह्मण महासभा के छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी समाजसेवी रेखेंन्द्र तिवारी को उनके व्दारा समाजसेवा में किये गए कार्यों एवं योगदान हेतु सम्मानित किया गया रेखेंन्द्र तिवारी के साथ ही विभिन्न कार्यक्षेत्रों में योगदान देने वाले समाजसेवी एवं गणमान्य नागरिकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पर संस्था के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

थर्ड लाइन के चलते ट्रेनों का परिचालन प्रभावित

बिलासपुर/ नवप्रदेश। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के कार्यों को शीघ्र पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी संदर्भ में अधोसंरचना विकास हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के अंतर्गत अनूपपुर स्टेशन में तीसरीलाइन कनेक्टीविटी हेतु प्री-एनआई व एनआई का कार्य किया जा रहा है । इस कार्य के फलस्वरूप कुछ यात्री गाड़ियों का परिचालन प्रभावित है। इसी कड़ी में निम्न गाड़ियों का परिचालन भी प्रभावित रहेगा। 11 जनवरी से 16 जनवरी तक अम्बिकापुर से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18756 अम्बिकापुर, शहडोल एक्सप्रेस अनूपपुर स्टेशन में समाप्त होगी तथा अनुपपुर शहडोल के मध्य रद्द रहेगी। इसी प्रकार 11 जनवरी से 16 जनवरी तक शहडोल से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 18755 शहडोल - अम्बिकापुर एक्सप्रेस अनूपपुर से प्रारम्भ होगी तथा शहडोल अनूपपुर के मध्य रद्द रहेगी। 11 जनवरी से 16 जनवरी 2024 तक कटनी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 06617 कटनी चिरमिरी मेमू पैसेंजर स्पेशल अमलाई स्टेशन में समाप्त होगी तथा अमलाई चिरमिरी के मध्य रद्द रहेगी । इसी प्रकार दिनाँक 12 जनवरी 2024 से 17 जनवरी 2024 तक चिरमिरी से रवाना होने वाली गाड़ी संख्या 06618 चिरमिरी - कटनी मेमू पैसेंजर स्पेशल अमलाई से प्रारम्भ होगी तथा चिरमिरी अमलाई के मध्य रद्द रहेगी।

मानवाधिकार सहायता संघ की बैठक सम्पन्न

बिलासपुर। मानवाधिकार सहायता संघ अंतर्राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ सोनू सिंह के आदेशानुसार छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रामु राव और नारी शक्ति महिला प्रदेश अध्यक्ष संगीता शर्मा जी के द्वारा बिलासपुर मे इंडियन कॉफी हॉउस मे मीटिंग रखा गया था जिसमे संघ के कार्य और प्रदेश और सभी जिला मे अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई जिसमे संघ के प्रदेश प्रमुख डॉ बसंत अंचल प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश साहू प्रदेश कोषाध्यक्ष रामु दास लहरे, प्रदेश अध्यक्ष अक्षय सिंह, जिला मंहासचिव बिलासपुर वीरेंद्र साहू एवं अमित पाण्डेय जिला संगठन मंत्री दुर्ग श्री बद्री प्रसाद यदु, जिला मंत्री दुर्ग संदीप सिंह आदि शामिल थे।

रेलवे | वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के स्टॉल का अर्ध शतक, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में पूरा हुआ आत्म निर्भरता का 50वां स्टॉल

46 स्टेशनों में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के आउटलेट

बिलासपुर/नवप्रदेश। वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने, स्थानीय/स्वदेशी प्रोडक्ट के लिए एक मार्केट प्रदान करने और स्थानीय उत्पादको के लिए अतिरिक्त आय के अवसर जुटाने के उद्देश्य से रेलवे ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम शुरू की है । रेलवे की व्यापक पहुंच और महत्व को ध्यान में रखते हुये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों पर स्थानीय कपड़ों, हस्तशिल्प, मिटटी से निर्मित वस्तुएं, हथकरघा, बांस के उत्पाद, वनोपज आदि को बढ़ावा देने की योजना बनायीं गई है । स्थानीय उत्पादों को बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नाम मात्र शुल्क के साथ स्थानीय उत्पादों को 15-15 दिनों के लिए यह व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि छोटे स्टेशनों पर यह अवधि बढ़ाकर 3 माह भी किया जा सकता है ।

इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में ÷वन स्टेशन वन प्रोडक्ट÷ योजना के 46 स्टेशनों में लगभग 50 स्टाल लगाए गए है, जिसमें स्थानीय स्तर पर निर्मित एवं प्रसिद्ध वस्तुओं की बिक्री प्रारंभ की गई है । इन स्टेशनों में बिलासपुर रेल मण्डल के अंतर्गत 15 स्टेशन - बिलासपुर, अनुपपुर, चांपा, कोरबा, पेंड्रारोड, रायगढ़, शहडोल, सक्ती, नैला, उसलापुर, अंबिकापुर, बुढ़ार, बिसरामपुर स्टेशन हैं । रायपुर रेल मण्डल के अंतर्गत 15 स्टेशन ङ्क रायपुर, दुर्ग, भिलाई पावर हाउस, मरौदा, दल्लीराजहरा, भाटापारा, बिलहा, निपनिया, हथबंध, सिलयारी,

उरकुरा, तिल्दा, भिलाई नगर, मंदिर हसौद, बालोद, भानुपरतापपुर स्टेशन हैं । नागपुर रेल मण्डल के अंतर्गत 16 स्टेशन ङ्क इतवारी, गोंदिया, नैनपुर, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, तुमसर रोड, भंडारा रोड, बालाघाट, घंसौर, ग्वारीघाट, नागभीड़, सौसर, तिरोरा, वारासिवनी, वडसा एवं छिंदवाड़ा स्टेशन शामिल हैं । इन स्टालों में उपलब्ध कलाकृतियों एवं सामानों के माध्यम से स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए इन विलक्षण कलाकारी से यात्री परिचित हो रहे हैं साथ ही आवश्यकतानुसार इसकी खरीददारी भी कर रहे हैं तथा इनकी कारीगरी की तारीफ भी कर रहे हैं । बिलासपुर स्टेशन में हर्बल मैडिसिन एवं हैंडिक्राफ्ट प्रॉडक्ट, कोरबा मे पैरा आर्ट, रायगढ़ में हर्बल प्रॉडक्ट, अनुपपुर में ट्राइबल आर्ट, शहडोल में हनी, अम्बिकापुर में हर्बल मैडिसिन, दुर्ग में होम मेड बरी, पापड़, अचार, रायपुर में होम मेड डेकोरेटिव आइटम्स, डोंगरगढ़ में होम मेड मशाला, राजनन्दगाँव में मिलेट्स, गोंदिया में बम्बू आर्ट आदि स्थानीय उत्पादों के आउटलेट्स लगाए गए हैं । इस योजना के तहत रेलवे छोटे किसानों और उद्यमों के लिए कुशल लॉजिस्टिक्स विकसित करेगा। प्रत्येक रेलवे स्टेशन को एक स्थानीय उत्पाद के लिए प्रचार केंद्र की तरह देखा जा सकता है। यह किसानों और कृषि एवं उसके सहयोगी उद्यमों के लिए अधिक कुशल विकसित करने में मदद करेगा और स्टेशनों से गुजरने वाले व्यापक दर्शकों, यानी रेलवे यात्रियों के लिए अद्वितीय क्षेत्रीय उत्पाद पेश करेगा । इसका उद्देश्य रेलवे का उपयोग करके स्थानीय उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाना है । इसके लिए कियोस्क स्टॉल का निर्माण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद द्वारा किया गया है । स्टेशन पर कियोस्क रेलवे अपने खर्च पर लगाकर देगा । उत्पादकर्ता को पंद्रह दिनों के लिए कियोस्क दिया जाएगा । रेलवे के इतिहास में पहली बार होगा कि कियोस्क लगाने के लिए लोगों द्वारा आवेदन किए जा रहे हैं । कियोस्क का ढांचा रेलवे देगा, जबकि जिसे यह अलाट होंगे, वे सामान रखकर बेच सकेंगे। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना में प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उत्पादकों के लिए है।

न्यूज गैलरी

शिक्षकों का स्कूल हेल्थ कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण

कोंडागांव/नवप्रदेश। आयुष्मान भारत के स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तत्वाधान में पांच-पांच दिवसीय शिक्षकों का प्रशिक्षण कोंडागांव जिले के सभी विकासखंडों में संचालित है। जिला मीडिया प्रभारी शिक्षक शैलेंद्र ठाकुर ने बताया कि विकासखंड कोंडागांव में प्रशिक्षण हेतु 120 शिक्षकों का बैच चतुर्थ बैच का प्रशिक्षण 8 जनवरी से 12 जनवरी तक संचालित हो रहा है, माकड़ी में 90 शिक्षकों का तृतीय बैच संचालित है,केशकाल में 90 शिक्षकों का द्वितीय बैच संचालित है, बड़ेराजपुर में 90 शिक्षकों का प्रथम बैच संचालित है। प्रशिक्षण में लगभग ग्यारह मॉड्यूल जिसमें स्वास्थ्य,पारस्परिक संबंध,मूल्य और जिम्मेदार,नागरिकता,जेंडर समानता,पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता,पदार्थ के दुरुपयोग की रोकथाम और प्रबंधन,स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना,प्रजनन स्वास्थ्य और एचआईवी की रोकथाम,हिंसा और चोट के खिलाफ सुरक्षा,इंटरनेट और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देना आदि बिंदुओं पर शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।प्रशिक्षण के मॉनिटरिंग के तौर पर जिला स्तरीय टीम का गठन भी किया गया है,ये सभी ट्रेनर सभी मॉड्यूल पर विस्तृत जानकारियां देते हैं। कार्यक्रम को सफल बनाने में शिवचरण साहू,हरीश ठाकुर,नीरज ठाकुर,तिलक कश्यप,उमेश साहू,निरंजन पोयाम,सहदेव मरकाम उपरोक्त सभी शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में जुड़े हुए हैं। जिले में अब तक 834 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

मेश्राम भारतीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष चुने गए

कोण्डागॉव/नवप्रदेश। अखिल भारतीय बौद्ध महासभा जिला शाखा कोंडागांव का ग्राम लंजोड़ा में जिला कार्यकारिणी का गठन किया गया। सर्व सहमति से भारतीय बौद्ध महासभा के नियमानुसार 21 सदस्यों की कार्यकारिणी निर्वाचित की गई। जिसमें जिलाध्यक्ष सी एल मेश्राम,जिला महा सचीव रमाकांत महाजन ,कोषाध्यक्ष,आर. सोनपिपरे ,जि श्रीमति रमा तुरकर ,सचिव नरेंद्र मेश्राम, भागीरथी सोनपीपरे ,योगेश खापर्डे ,श्रीमति सुनीता साहरे, जिला सहसचिव कौशल सावरकर, राकेश वासनिकर ,जिला संगठक राजकुमार रामटेके ,आडिटर जयंत वासनिकरकानूनी सलाहका योगेश खापर्डे जी जिला संस्कार प्रमुख अजय वासनिकर संतोष सोनपिपरे जिला मिडिया प्रभारी संदीप वासनीकर जिला सामान्य सदस्य पवन खापर्डे पूरन मेश्राम सहित सभी सदस्यों को पदभार सौंपा गया।

हर 15 दिन में लगेगा आरटीओ कैंप: कलेक्टर

बिलाईगढ़/नवप्रदेश। वाहन चालकों के हड़ताल करने की सूचना पर कलेक्टर के एल चौहान ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राइस मिल एसोसिएशन, व्यापारियों, आरटीओ, वाहन संघ जिला अध्यक्ष, पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक ली। श्री चौहान ने कहा कि जिले में बुनियादी सुविधाएं पीडीएस राशन, पेट्रोल, डीजल, दूध, धान खरीदी, समिति से धान उठाव आदि प्रभावित नहीं हो। इसके अलावा श्री चौहान ने आरटीओ को निर्देशित किया कि जिले के नागरिकों की सुविधा के लिए लाइसेंस, ट्रायल और वाहन फिटनेस के लिए आरटीओ के अधिकारियों को जिले में माह में 2 दिन, 15 दिन में एक बार आरटीओ कैंप रायगढ़ रोड में स्थित हरदी हवाई पट्टी में आयोजित किया जाए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर निष्ठा पाण्डेय तिवारी, एसडीएम डॉ स्निग्धा तिवारी, वासु जैन, डीएसपी मनीष कुंवर, आरटीओ बलौदाबाजार से अधिकारी भूपेंद्र कुमार, निरीक्षक कौशिल्या रात्रे, खाद्य अधिकारी चित्रकांत ध्रुव, डीएमओ मनोज यादव, सहायक राजस्व अधीक्षक कमलकांत स्वर्णकार उपस्थित थे।

16 गांव पहुंचेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा आज

कांकेर/नवप्रदेश। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 12 जनवरी को जिले के विभिन्न विकासखंड के 16 गांव में केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी आईईसी वैन के माध्यम से दी जाएगी और हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित भी किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 12 जनवरी को जिले के अंतागढ़ विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कलगांव एवं हिन्दूबिनापाल, भानुप्रतापपुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत डोंगरगांव एवं कुरी, चारामा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत कानापोड एवं चिनौरी, दुर्गूकोंदल के साधुमिचगांव एवं सुरुंगदोह, कांकेर विकासखण्ड के पटौद एवं बेवरती तथा नरहरपुर विकासखण्ड के ग्राम पंचायत श्रीगुहान एवं उमरादाह में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर आयोजित की जाएगी।

कलेक्टर ने परिवहन और वाहन चालक संघ की ली बैठक

घायल की जान बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता

कांकेर/नवप्रदेश। कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आज विभिन्न ट्रांसपोर्ट यूनियन और वाहन चालक संघ के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर जानकारी देते हुए कहा कि हिट एंड रन के नवीन एक्ट को लेकर किसी भी तरह से भयभीत या आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह कानून अभी लागू नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने गृह मंत्रालय भारत सरकार के पत्र का हवाला देते हुए बताया कि आगे जब भी यह धारा लागू होगी, उसके पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ परामर्श करने के बाद ही आम सहमति से उचित निर्णय जाएगा। बैठक में कलेक्टर ने परिवहन संघ के प्रतिनिधियों एवं वाहन चालकों के प्रति आभार जताते हुए कहा कि हड़ताल वापसी के ऐतिहासिक निर्णय से आवश्यक सेवाओं निर्बाधित होंगी व आमजनता को काफी राहत मिलेगी। कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आज शाम 5.30 बजे आयोजित बैठक में कलेक्टर ने उपस्थित ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रतिनिधियों व वाहन चालकों को समझाइश देते हुए कहा कि धारा 106(2) के संबंध में किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें तथा औरों को भी इसकी उचित जानकारी देने में सहयोग करें। कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में कहा कि वाहन चालक मानवीय पहलुओं को भी ध्यान रखकर सोचें। यदि कोई वाहन चालक स्वयं को घायल की जगह रखकर सोचे, तो उस समय उनकी पहली प्राथमिकता क्या होगी। उन्होंने आगे कहा कि घायल की जान बचे, इसके लिए उसे तात्कालिक या आपातकालीन चिकित्सा मुहैया हो, यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि किसी की जान से बढ़कर दुनिया में कोई भी चीज नहीं हो सकती। 'हिट एंड रन' एक्ट को लेकर कलेक्टर ने स्पष्ट करते हुए बताया कि इसके लागू किए जाने की तिथि का उल्लेख नहीं है अतः इसके लागू होने को लेकर किसी प्रकार से आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है।

भैरमगढ़ में ब्लॉक स्तरीय 'अंगना मा शिक्षा प्रशिक्षण'

बीजापुर/नवप्रदेश। ब्लॉक स्तरीय ÷अंगना मा शिक्षा प्रशिक्षण÷ के तहत पोटा केबिन पुसनार (भैरमगढ़) में 8 जनवरी को 33 संकुल शैक्षिक समन्वयक व 33 नोडल शिक्षिकाओं को श्रीमती उमेश्वरी साहू (छन्नू) एवं प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन से कमलाकांत महतो (जिला समन्वयक बीजापुर) के द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजन एवं सरस्वती वंदना से हुआ। कार्यक्रम के उद्घेाषण में बीआरसी श्री ओयाम ने कि कहा कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से माता उन्मुखीकरण पर बल देता है। यह कार्यक्रम तभी सफल होगा जब हम ब्लॉक के प्रत्येक स्कूलों में अध्यनरत प्रत्येक बच्चों की माताओं तक इसके उद्देश्य को पहुंचायेंगे । तत्पश्चात सहायक विखं शिक्षाधिकारी श्री शोरी ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि माताएं प्रथम गुरु होती है तथा बच्चे अधिकतर समय अपनी माताओं के साथ ही रहते हैं। इसलिए, वे घरेलू कार्य के साथ-साथ सीमित संसाधनों में भी खेल-खेल में बच्चों के सर्वांगीण विकास में अहम भूमिका निभा सकती है। प्रशिक्षक श्रीमती उमेश्वरी साहू ने बताया कि किस प्रकार ÷थामस अल्वा एडिसन÷ जो की बचपन में एक मानसिक बीमार बच्चा था जिसे स्कूल से निकालने के बाद उनकी मां ने घर पर ही शिक्षा देकर महान वैज्ञानिक बनाया था।

मरवाही विधायक शामिल हुए संकल्प यात्रा में

बस्ती बगरा/नवप्रदेश। जिले के हर ग्राम पंचायत में पंहुच रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा। आज बस्ती में पंहुचा। इसमें 100 से अधिक आवेदन आए साथ ही मरवाही विधायक प्रणव मरपच्ची ने की शिरकत सुनी लोगों की समस्या। नोडल अधिकारी ने किया विभागों के स्टालों का निरीक्षण।

गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की दूरस्थ ग्राम पंचायत बस्ती जहां मंगलवार को संकल्प शिविर का लगाई गई। इससे पहले यह शिविर ग्राम पंचायत लमना में हुई , बस्ती के माध्यमिक शाला ग्राउंड में आयोजित शिविर में अलग अलग विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे । जिन्होंने जनता की समस्या को सुना और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया । शिविर की शुरुआत विधायक व अन्य अतिथियों के द्वारा महापुरूषों के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर की गई। विकसित भारत की शपथ प्रणव के द्वारा दिलाई गई। मितानिनों को सम्मानित किया गया। महिला बाल विकास की गोद भराई रस्म भी विधायक ने कराई। छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मरवाही विधायक ने केंद्र व राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र किया। साथ ही कार्य के प्रति लापरवाही करने वाले अधिकारियों खास कर राजस्व विभाग को चेताया भी इस कार्यक्रम में भाजपा नेता लूसन राठौर, हुक्मचन्द यादव, महाजन पोर्ते,बरत पैकरा, राजकुमार, धरम यादव,ग्राम पंचायत बस्ती की सरपंच शकुंतला कोरीम उप सरपंच आदि के साथ अन्य ग्राम पंचायतों के पंच सरपंच के साथ बड़ी संख्या में ग्रामीण महिला पुरुष उपस्थित थे।

आवासीय भवन निर्माण के लिए निविदा 19 तक आमंत्रित

नारायणपुर/नवप्रदेश। एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत श्रेणी द से अ तक के सक्षम श्रेणी के पंजीकृत ठेकेदारों से जिला नारायणपुर अंतर्गत विकासखण्ड नारायणपुर के ग्राम पंचायत बागडोंगरी एवं करलखा तथा विकासखण्ड ओरछा के ग्राम पंचायत ओरछा, कोहकमेटा, कुन्दला, गोमे, आदेर में निवासरत विशेष रुप से कमजोर जनजाति समूह, अबुझमाड़िया का आवासीय भवन निर्माण कार्य कराये जाने हेतु मैनुअल पध्दति से 19 जनवरी को शाम 5.30 बजे तक निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र प्रदाय की अंतिम तिथि 23 जनवरी सायं 5.30 बजे तक, निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि (पंजीकृत डाक से) 29 जनवरी शाम 3 बजे तक तथा निविदा खोले जाने की तिथि 29 जनवरी सायं 3.30 बजे तक निर्धारित किया गया है।

बस्तर के सामाजिक सद्भाव को तोड़ने की कोशिश

नारायणपुर से दंतेवाड़ा तक निकली सामाजिक सद्भाव यात्रा

कोंडागांव/नवप्रदेश। मंगलवार 9 जनवरी को नारायणपुर से दंतेवाड़ा तक जनजातीय समाज द्वारा यात्रा की शुरुआत की गई। बस्तर सांस्कृतिक सुरक्षा मंच के संयोजक महेश कश्यप ने बताया कि भारतीय इतिहास में बस्तर की सांस्कृतिक पारंपरिक परंपरा अनोखा एवम अद्भुत रहा है, हजारों वर्षों के गुलामी काल में भी अंग्रेज, मुगल लोग आए परंतु बस्तर की संस्कृति परंपरा को तोड़ नहीं पाए। किंतु दुर्भाग्य से आजाद भारत के कुछ वर्षों से बस्तर की सांस्कृतिक परंपराओं को षड्यंत्र पूर्वक खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। बाहरी लोगों द्वारा सेवा शिक्षा स्वास्थ्य के बहाने अवैध धर्म परिवर्तन करना तो कहीं वामपंथी माओवादी की आड़ में जल जंगल जमीन का अधिकार दिलाने का झूठा प्रपंच कर आपस में लड़ा कर आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार शिक्षा स्वास्थ्य सड़क बिजली पानी मुख्य धारा से काटकर निर्मम हत्याएं करना आम बात हो गई है। इसके साथ ही सांस्कृतिक रूप से विमर्श खड़े करने के लिए आदिवासी हिंदू नहीं हैं हम रावण एवं महिषासुर के वंशज हैं सामाजिक विद्वेष लाकर आपस में लड़ाना धर्मांतरण और वामपंथी विचारधारा को बढ़ावा देना आम बात हो गई है। बस्तर में अनेक जाति समाज के लोग सदियों से निवास करते आ रहे हैं। आयोजन समिति के समन्वयक मगाऊ राम कावड़े ने कहा की अलग-अलग जाति पार्टी सामाजिक नीति नियम व्यवस्था होने के बाद भी गांव में एकता भाईचारा कायम रहा है। समाज को धर्म संस्कृति परंपरा से तोड़कर बस्तर को मुख्य धारा से अलग करना इनका मुख्य उद्देश्य है। अलोकतांत्रिक विदेशी अलगाववादियों के खिलाफ हमारे बस्तर सदियों पुराना सामाजिक व्यवस्था मांझी पुजारी पटेल सिरहा गुनिया गायता नायक पाइका मिलकर जल जंगल जमीन संस्कृति को बनाए रखें है।

700 शवों का पोस्टमॉर्टम करने वाली संतोषी को मिला रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा का आमंत्रण

कांकेर/नवप्रदेश। 'जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहिं हर कोई' श्रीरामचरितमानस के अरण्यकांड की यह चौपाई बहुत विख्यात है। प्रभु श्रीराम के वनगमन के दौरान महर्षि अगस्त्य के आश्रम में आगमन हुआ, उसके ठीक पहले उन्होंने यह बात कही। जिस पर प्रभु श्रीराम की कृपा होती है उस पर सम्पूर्ण जगत की कृपा हो जाती है। उक्त चौपाई को चरितार्थ करती एक प्रसंग कांकेर से सामने आया है। यहां जिले की जनपद पंचायत नरहरपुर के भगतसिंह वार्ड क्रमांक 5 में रहने वाली संतोषी दुर्गा को अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को भगवान श्रीराम की प्राण-प्रतिष्ठा के लिए आमंत्रण मिला है। संतोषी इस आमंत्रण से इतनी भावविभोर हो गई कि उनकी आंखों से खुशी से छलक गए। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साधुवाद करते हुए कहा कि छोटी सी नौकरी करने वाली के काम को इतना बड़ा सम्मान मिला। वह अति सौभाग्यशाली है जहां बड़े-बड़ों को आमंत्रण नहीं मिला, वहीं उनको प्रभु श्रीरामलला का बुलावा आया। अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाली संतोषी दुर्गा के परिवार में उनके पति रविन्द्र दुर्गा सहित छह सदस्य हैं। दुर्गा अपने तीन बच्चे अभिषेक, योगेश्वरी और धानी सहित उनकी बहन बिंदू सिंदूर का भी पालन-पोषण वह स्वयं करती हैं।

20 सालों में 700 से ज्यादा पोस्टमॉर्टम कर चुकी

पेशे से स्वीपर संतोषी दुर्गा (36 वर्ष) नरहरपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 20 साल में 700 से ज्यादा पोस्टमॉर्टम कर चुकी हैं। श्रीराम मंदिर ट्रस्ट की ओर से 06 जनवरी 2024 को संतोषी को जब निमंत्रण मिला तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्हें मिले आमंत्रण से पूरे नरहरपुर में खुशी का वातावरण है।

पिता की शराब की लत को छुड़ाने खुद शुरू किया काम

संतोषी दुर्गा ने शव विच्छेदन का काम अपनाने की कहानी कहते हुए बताया कि उनके पिता भी इसी स्वास्थ्य केंद्र नरहरपुर में नौकरी करते थे। पोस्टमॉर्टम करते वक्त वह बदबू और शव की वीभत्सता से बचने शराब का सेवन करते थे, जिसके चलते उन्हें नशे की लत हो गई। उन्होंने बताया कि जब पिता से शराब छोड़ने की मनुहार करतीं तो उनके पिता सीधा-सपाट एक लाइन में जवाब दे देते- 'शव का चीरफाड़ होशोहवास में कोई कर ही नहीं सकता।

सीएसआर मद से लगाया गया सोलर लाइट

किरन्दुल/नवप्रदेश। किरन्दुल स्थित आर्सेलर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया सीएसआर द्वारा परियोजना उज्वला के अंतर्गत पटेलपारा किरंदुल बस्ती में परियोजना उज्ज्वला के तहत सौर स्ट्रीटलाइट प्रणाली, 35 सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीटलाइट्स और 3 किलोवाट सौर के साथ 65 अर्ध-एकीकृत सौर लाइटें स्थापित करके लोगों को ऊर्जा-सचेत प्रकाश समाधान प्रदान करने के लिए पूरी हो गई है।बिजली की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली। यह ऑफ-ग्रिड सोलर सिस्टम प्रतिदिन 12-15 यूनिट बचाता है।उक्त सौर ऊर्जा स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन बुधवार शाम एएम एनएस कंपनी के महाप्रबंधक वाई वी राघवेलु ने किया।बता दें सौर ऊर्जा स्ट्रीटलाइट्स सार्वजनिक सड़कों को रोशन करने,पैदल चलने वालों,साइकिल चालकों और मोटर चालकों के लिए एक सुरक्षित और अच्छी रोशनी वाला वातावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।सौर ऊर्जा से चलने वाली प्रणाली सड़कों और सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए काफी हद तक नवीन और टिकाऊ प्रकाश समाधान प्रदान कर सकती है। प्रोजेक्ट उज्ज्वला एएम/एनएस इंडिया के तहत सूर्यास्त के बाद महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने और गांव में काम के घंटों को बढ़ाने के लिए ग्रामीण गांवों में सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश सुविधाएं प्रदान करके ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिससे बाद में आर्थिक गतिविधियों को भी सक्षम बनाया जा सके।

एक दीया कौशल्या के राम के नाम: रेणुका

विधायक ने सोशल मीडिया के माध्यम से की अपील

मनेन्द्रगढ़/नवप्रदेश/नवप्रदेश। पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री व भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से प्रदेशवासियों से राम मंदिर उद्घाटन के दिन एक दीया कौशल्या के राम के नाम छत्तीसगढ़ के भांचा प्रभु श्रीराम के नाम जलाने की अपील की है। रेणुका सिंह ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यह लिखा है कि, प्रभुश्री राम ने छत्तीसगढ़ में जहां से अपने पाँव पखारे, वनवास के दौरान प्रभु श्रीराम और माता सीता के छत्तीसगढ़ में पहले कदम भरतपुर सोनहत विधानसभा में पड़े और यह भूमि पुण्य भूमि हो गई। मेरा सौभाग्य है कि, वहां की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। रेणुका सिंह ने लिखा है कि, जिस मवई नदी को पार कर श्रीराम भगवान ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया। उस नदी में खेलकर उनका भी बचपन बीता। छत्तीसगढ़ प्रभु श्रीराम का ननिहाल है वनवास के दौरान श्रीराम भगवान ने छत्तीसगढ़ में 12 वर्ष बिताए। उन्होंने लिखा कि 500 वर्षों के अंतराल के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर रामलला 22 जनवरी को विराजने जा रहे हैं। इन 500 वर्ष के दौरान भारत की करीब 25 पीढ़ियों ने राम मंदिर के मुद्दे पर देश के संघर्ष को देखा। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हमारे सामने राम मंदिर निर्माण का सपना साकार होने जा रहा है। विधायक रेणुका सिंह ने प्रदेशवासियों व अपने विधानसभा क्षेत्र के परिजनों से यह आग्रह किया है कि, अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण यह केवल एक मंदिर का निर्माण नहीं है, अपितु राष्ट्रीय स्वाभिमान के जागरण का उद्घोष भी है। श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के साथ ही भारत देश को दुनिया के सामने एक समर्थ शक्तिशाली एवं समृद्ध भारत के रूप में खड़ा करना है। रामराज्य की परिकल्पना को साकार करने के लिए आप सभी से आग्रह है कि 22 जनवरी को अपने घर के बाहर दो दीपक जलाएं एक भगवान श्रीराम के नाम और एक राष्ट्र के नाम।

पीएम की अपील पर करें

अमल-पूर्व केंद्रीय मंत्री व विधायक रेणुका सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई अपील पर अमल करने की बात कहते हुए कहा, कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से अपने आस पास के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं। मंदिर परिसरों को साफ सुथरा रखें। 22 जनवरी ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है।

प्रथम पृष्ठ का शेष

रायपुर समेत पांच निकायों को ...

मुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदेश और नगरीय निकायों की इस उपलब्धि पर संबंधित निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, समन्वयकों तथा स्वच्छता दीदियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इनके उत्कृष्ट कार्यों के कारण आज प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित होने का मौका मिला है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य के शहरों को साफ-सुथरा एवं कचरामुक्त रखने के लिए ये आगे भी अपने बेहतरीन कार्यों को जारी रखेंगे और अन्य नगरीय निकायों के लिए प्रेरणास्रोत बनेंगे।

शहरों में दूसरे स्थान पर रहा पाटन : स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य के पांच नगरीय निकायों रायपुर, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग और पाटन को भी समारोह में पुरस्कृत किया गया है। एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सातवीं बार इंदौर पहले स्थान पर रहा। सूरत को भी इंदौर के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान मिला। महाराष्ट्र का नवी मुंबई तीसरे, आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम चौथे और मध्य प्रदेश का भोपाल पांचवें नंबर पर रहा। वहीं एक लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का सासवड पहले, छत्तीसगढ़ का पाटन दूसरे और महाराष्ट्र का लोनावाला तीसरे स्थान पर रहा।

किसी को यह नहीं ...

जिन राज्यों में विपक्षी चुनाव हुए है, वहां मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस चुनाव लड़ती है। अब इंडिया अलाइंस सीट को लेकर फैसला करेगी। हम छत्तीसगढ़ में इतिहास बदलने आये हैं। भाजपा सरकार के 10 साल हो गए है। जनता के सामने उनकी असलियत आ चुकी है। सचिन पायलट ने कहा, 14 तारीख से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा शुरू करने की अनुमति मणिपुर सरकार ने आंशिक रूप से दी है। यात्रा का उद्देश्य वंचित वर्ग को न्याय दिलाना है। यात्रा में गरीबो , वंचितों की बात सुनी जाएगी। 20 मार्च को यात्रा का समापन मुंबई में होगा। छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा 5 दिन की होगी। यात्रा का माडल पिछली यात्रा से अलग रहेगा।

क्रेन से पहनाया गया 40 फीट का गजमाला : छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुबोध हरितवाल ने समर्थकों के साथ क्रेन की मदद से 40 फीट की गजमाला सचिन पायलट को पहनाकर स्वागत किया। जिस पर पायलट ने सुबोध समेत सभी युवा साथियों का आभार व्यक्त कर खुशी जाहिर की। स्वागत में गुलाब की पंखुड़ियां डाली गईं। वहीं एयरपोर्ट से लेकर राजीव भवन तक जगह-जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट का जोशिला स्वागत किया।

केंद्र पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का लगाया आरोप

सचिन पायलट ने कहा कि यात्रा का उद्देश्य यही है कि 10 सालों में केंद्र सरकार ने जो हालात पैदा किए है। उन सब असलियतों को उजागर करना है। हम सब जानते हैं दबाव की राजनीति हो रही है। केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करके 10 सालों में लोकतंत्र को खोखला किया गया है। लोकसभा के लिए इंडिया अलाइंस मजबूत है। जल्द ही सीट शेयरिंग होगी। प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम लोगों की आवाज को उठाएं।

देश का सबसे लंबा समुद्री ...

4:15 बजे, प्रधानमंत्री नवी मुंबई में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री का विजन शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करके नागरिकों की 'ईज ऑफ मोबिलिटी' को बेहतर बनाना है। इस विजन के अनुरूप, मुंबई ट्रांसहार्बर लिंक (एमटीएचएल), का नाम अब 'अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी-न्हावा शेवा अटल सेतु' रखा गया है,जो अब तैयार हो गया है। इस पुल का शिलान्यास भी दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री ने किया था। अटल सेतु मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को तेज कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में लगने वाले समय को भी कम करेगा। यह मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा।

नमो महिला सशक्तिकरण अभियान का करेंगे शुभारंभ : कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नमो महिला सशक्तीकरण अभियान की शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण और उद्यमिता विकास के द्वारा महाराष्ट्र राज्य में महिलाओं को अनुभव प्रदान करके सशक्त बनाना है। इस वर्ष इस महोत्सव की मेजबानी महाराष्ट्र कर रहा है।

नवी मुंबई में सार्वजनिक ...

ढांचा विकास होगा जो ऑरेंज गेट और मरीन ड्राइव के बीच यात्रा में लगने वाले समय को भी कम करेगा। प्रधानमंत्री सूर्या क्षेत्रीय थोक पेयजल परियोजना का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह परियोजना जो 1975 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विकसित की गई है।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक यशवंत धोटे द्वारा, मीनल पब्लिकेशन एंड प्रोडक्शन प्रा.लि. शेड नंबर 74, सेक्टर-सी, उरला इंडस्ट्रियल एरिया रायपुर, से मुद्रित कर तृतीय तल, सुपर मार्केट कॉम्प्लेक्स, राजा रघुराज सिंह स्टेडियम के सामने अग्रसेन चौक, बिलासपुर से प्रकाशित, संपादक- चन्द्रशेखर धोटे, स्थानीय संपादक अशोक शर्मा, फोन नंबर : 0771-3526755, डाक पंजीयन क्रमांक G-2-112/CG/BPL/108/2020-22

साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

"मिनी रत्न कम्पनी"

आदेश (Speaking Order)

ई आफीस-1333220

एसईसीएल दीपका क्षेत्र की दीपका विस्तार परियोजना हेतु अन्य ग्रामों की भूमियों के साथ ही साथ ग्राम सुआभोंड़ी की 38.788 हेक्ट. भूमि का अर्जन कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दो पार्ट में किया गया है। ग्राम सुआभोंड़ी की भूमि का प्रथम पार्ट हेतु भू-अर्जन की धारा 9 (i) की अधिसूचना क्रमांक 3095 दिनांक 24-11-2004 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 04-12-2004 को तथा द्वितीय पार्ट में भू-अर्जन हेतु धारा 9 (i) की अधिसूचना क्रमांक 758 दिनांक 15-03-2010 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 20-03-2010 को किया गया है।

1. ग्राम सुआभोंड़ी की अधिग्रहित निजी भूमियों के मुआवजा राशि निर्धारण हेतु आवश्यक राजस्व अभिलेख, पचक-5 एवं पचक-6 का ग्राम के पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार हरदी बाजार द्वारा सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई गयी जिसके अनुसार ग्राम सुआभोंड़ी स्थित श्री लोकेश कुमार पिता रामचंद पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 376/40 रकबा 0.077 हेक्टेयर /0.19 एकड़ एवं ना. योगेश कुमार, लोकेश कुमार पिता रामचंद पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 359/3, 376/30 रकबा 0.073 हेक्टेयर /0.18 एकड़ का अधिग्रहण किया गया है।
2. उक्त अधिग्रहित भूमि के मुआवजा का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19-03-2010 के अनुसार वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि हेतु निर्धारित दर एवं RFCTLARR 2013 में जो अधिक है, के अनुसार किया गया है तथा अधिग्रहित भूमि पर निर्मित मकान एवं अन्य परिसंपत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण तत्कालीन समय की राज्य शासन के केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड रायपुर के गाईड लाइन तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली द्वारा गठित कमेटी के द्वारा किए गए सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।
3. ग्राम सुआभोंड़ी स्थित श्री लोकेश कुमार पिता रामचंद पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 376/40 रकबा 0.077 हेक्टेयर /0.19 एकड़ एवं ना. योगेश कुमार, लोकेश कुमार पिता रामचंद पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 359/3, 376/30 रकबा 0.073 हेक्टेयर /0.18 एकड़ की मुआवजा राशि क्रमशः 152213.60 रुपए व 144306.40 रुपए तथा ग्राम सुआभोंड़ी की ख.नं. 376/30 पर स्थित मकान व अन्य परिसंपत्तियों की मुआवजा राशि 3098083.80 रुपये निर्धारित किया गया है।
4. ग्राम सुआभोंड़ी के अर्जित भूमियों के मुआवजा निर्धारण के पश्चात, इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को वर्ष 2017 से निरंतर मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार श्री लोकेश कुमार पिता रामचंद एवं ना. योगेश कुमार, लोकेश कुमार पिता रामचंद मुआवजा राशि प्राप्त कर लेने हेतु अनेक बार लिखित एवं मौखिक रूप से सूचित किया जा चुका है। ग्राम पंचायत मैनपुर एवं तहसील कार्यालय हरदी बाजार के माध्यम से भी मुआवजा वितरण की सूचना भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को दी गयी है। इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों दिनांक 26-02-2017, 09-08-2019, 10-05-2020, 07-06-2020 तथा 05-06-2022 में भी अर्जित भूमि के खातेदारों के नाम सहित आमसूचना प्रकाशित की गयी है। परंतु श्री लोकेश कुमार पिता रामचंद एवं ना. योगेश कुमार, लोकेश कुमार पिता रामचंद द्वारा अभी तक मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के समक्ष, आवश्यक दस्तावेजों सहित संपर्क नहीं किया गया है। कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु श्री. लोकेश कुमार पिता रामचंद निम्नलिखित पत्राचार किए गए हैं :-

a. पत्र क्रमांक 1439 दिनांक 06/02/2017
b. माननीय उच्च न्यायालय (छ.ग) में दायर याचिका क्र 240/2017 में पारित आदेश दिनांक 21/02/2017 के परिपालन में पत्र क्र 28 दिनांक 26/05/2017
c. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 32 दिनांक 13-07-2020 *"लेने से इंकार"*
d. माननीय उच्च न्यायालय (छ.ग) में दायर याचिका क्र 3119/2022 में पारित आदेश दिनांक 18/07/2022 के परिपालन में पत्र क्र 1486 दिनांक 16/09/2022
e. (क) पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 153 दिनांक 23/09/2023

5. उपरोक्त जारी पत्रों के माध्यम से श्री लोकेश कुमार पिता रामचंद एवं ना. योगेश कुमार, लोकेश कुमार पिता रामचंद अनेकों बार सूचित किया गया है कि भूमि एवं उस पर निर्मित मकान का मुआवजा राशि, जिसका उल्लेख कंडिका 3 में किया गया है, को लेकर भूमि एवं मकान का आधिपत्य एसईसीएल के सुपुर्द करें परंतु आजपर्यंत तक श्री लोकेश कुमार पिता रामचंद एवं ना. योगेश कुमार, लोकेश कुमार पिता रामचंद द्वारा उक्त मुआवजा राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
6. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि, ग्राम सुआभोंड़ी की कुल अधिग्रहित निजी भूमि 35.162 हेक्टेयर के लगभग 76.23 प्रतिशत खातेदारों को 5.30 करोड़ रुपये मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है।
7. श्रीमान कलेक्टर जिला कोरबा के अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पुनर्वास समिति (डीआरआरसी) द्वारा दीपका विस्तार परियोजना हेतु ग्राम सुआभोंड़ी की अधिग्रहित भूमि से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्रामवासियों की सहमति से बैठक दिनांक 23-11-2016 एवं लिए गए निर्णयों के अनुसार कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 एवं छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्वास नीति 2007 के प्रावधानों में जो भू-विस्थापितों के लिए अधिक लाभकारी हो, के अनुसार रोजगार एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किया जाता है। अतः यह पाया गया कि कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 भू-विस्थापितों के लिए अत्यधिक लाभकारी है, जिसके अनुसार ग्राम सुआभोंड़ी की कुल अर्जित भूमि रकबा 86.88 एकड़ के एवज में प्रत्येक 2 एकड़ भूमि के अनुपात में कुल 43 रोजगार के पद स्वीकृत है। तदनुसार 43 भूविस्थापितों को उनके अर्जित भूमि के रकबे अनुसार घटते क्रम में कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित वरियता सूची अनुसार एसईसीएल में स्थायी रोजगार प्रदान किया जा रहा है। उक्त सूची अनुसार कट आफ पॉइंट 0.50 एकड़ तक के भूस्वामियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। शेष वंचित भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से न्यूनतम 50 हजार रुपये मुआवजा राशि प्रदान की जा रही है।
8. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान स्थिति में कुल स्वीकृत 43 रोजगार के पदों में 27 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है तथा 16 व्यक्तियों को रोजगार प्रकरण प्रक्रियाधीन है। रोजगार से वंचित 99 भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में 5 लाख रुपये प्रति एकड़ कि दर से मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है तथा 109 भूविस्थापितों का रोजगार के एवज में मुआवजा हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
9. कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित भूमि के रकबे के अनुसार भूविस्थापितों के घटते क्रम की सूची में श्री लोकेश कुमार पिता रामचंद का नाम सरल क्रमांक 98 पर स्थित है। जो कि अंतिम कट ऑफ रकबा 0.50 एकड़ से नीचे होने के कारण श्री लोकेश कुमार प्रचलित पुनर्वास नीति के अनुसार रोजगार की पात्रता नहीं रखते हैं। रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से श्री लोकेश कुमार अपनी अर्जित भूमि के रकबे 0.19 एकड़ व 0.18 एकड़ होने के कारण क्रमशः 95000.00 रुपए व 90000.00 रुपए मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु हकदार है।
10. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली के पत्र क्रमांक 1387 दिनांक 24-12-2021 के द्वारा ग्राम सुआभोंड़ी के अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास बसाहट हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची के अनुसार श्री लोकेश कुमार पिता रामचंद एवं ना. योगेश कुमार, लोकेश कुमार पिता रामचंद बसाहट की सुविधा हेतु पात्रता नहीं रखते हैं।
11. **कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत**

"The Competent authority may, by notice in writing require any person in possession of any land acquired under this Act to surrender or deliver possession of the land within such period as may be specified in the notice, and if a person refuse or fails to comply with any such notice, the competent authority may enter upon and take possession of the land and for that purpose may use or cause to be used such force as may be necessary."

केन्द्र सरकार से अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकृत होकर सीबीए एक्ट की धारा-12 के अनुसार श्री लोकेश कुमार पिता रामचंद एवं ना. योगेश कुमार, लोकेश कुमार पिता रामचंद को आदेशित किया जाता है कि 07 दिवस के अंदर अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि क्रमशः **152213.60/- व 144306.40/- रुपए, *मकान के एवज में मुआवजा राशि* 3098083.80/- रुपये** तथा रोजगार के एवज में मुआवजा राशि क्रमशः **95000.00/- रुपये व 90000.00/-** रुपये का भुगतान उचित माध्यम/प्रक्रिया से प्राप्त करें, अन्यथा कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

महाप्रबंधक,एसईसीएल, दीपका क्षेत्र

——00——

एसईसीएल दीपका क्षेत्र की दीपका विस्तार परियोजना हेतु अन्य ग्रामों की भूमियों के साथ ही साथ ग्राम सुआभोंड़ी की 38.788 हेक्ट. भूमि का अर्जन कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दो पार्ट में किया गया है। ग्राम सुआभोंड़ी की भूमि का प्रथम पार्ट हेतु भू-अर्जन की धारा 9 (i) की अधिसूचना क्रमांक 3095 दिनांक 24-11-2004 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 04-12-2004 को तथा द्वितीय पार्ट में भू-अर्जन हेतु धारा 9 (i) की अधिसूचना क्रमांक 758 दिनांक 15-03-2010 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 20-03-2010 को किया गया है।

1. ग्राम सुआभोंड़ी की अधिग्रहित निजी भूमियों के मुआवजा राशि निर्धारण हेतु आवश्यक राजस्व अभिलेख, पचक-5 एवं पचक-6 का ग्राम के पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार हरदी बाजार द्वारा सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई गयी जिसके अनुसार ग्राम सुआभोंड़ी स्थित श्री महेंद्र कुमार पिता सत्यानंद पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 376/45 रकबा 0.129 हेक्टेयर /0.32 एकड़ का अधिग्रहण किया गया है।
2. उक्त अधिग्रहित भूमि के मुआवजा का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19-03-2010 के अनुसार वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि हेतु निर्धारित दर एवं RFCTLARR 2013 में जो अधिक है, के अनुसार किया गया है तथा अधिग्रहित भूमि पर निर्मित मकान एवं अन्य परिसंपत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण तत्कालीन समय की राज्य शासन के केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड रायपुर के गाईड लाइन तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली द्वारा गठित कमेटी के द्वारा किए गए सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।
3. ग्राम सुआभोंड़ी स्थित श्री महेंद्र कुमार पिता सत्यानंद पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 376/45 रकबा 0.129 हेक्टेयर /0.32 एकड़ की मुआवजा राशि 255007.20 रुपए तथा उस पर स्थित मकान व अन्य परिसंपत्तियों की मुआवजा राशि 236422.40 रुपये निर्धारित किया गया है।
4. ग्राम सुआभोंड़ी के अर्जित भूमियों के मुआवजा निर्धारण के पश्चात, इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को वर्ष 2017 से निरंतर मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार श्री महेंद्र कुमार पिता सत्यानंद को मुआवजा राशि प्राप्त कर लेने हेतु अनेक बार लिखित एवं मौखिक रूप से सूचित किया जा चुका है। ग्राम पंचायत मैनपुर एवं तहसील कार्यालय हरदी बाजार के माध्यम से भी मुआवजा वितरण की सूचना भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को दी गयी है। इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों दिनांक 26-02-2017, 09-08-2019, 10-05-2020, 07-06-2020 तथा 05-06-2022 में भी अर्जित भूमि के खातेदारों के नाम सहित आमसूचना प्रकाशित की गयी है। परंतु श्री महेंद्र कुमार पिता सत्यानंद द्वारा अभी तक मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के समक्ष, आवश्यक दस्तावेजों सहित संपर्क नहीं किया गया है। कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु श्री महेंद्र कुमार पिता सत्यानंद के साथ निम्नलिखित पत्राचार किए गए हैं :-
   a. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 15 दिनांक 13-07-2020 *"पते पर नहीं मिले"*
   b. माननीय उच्च न्यायालय (छ.ग) में दायर याचिका क्र 3119/2022 में पारित आदेश दिनांक 18/07/2022 के परिपालन में पत्र क्र 1487 दिनांक 16/09/2022
   c. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 157 दिनांक 23/09/2023
5. उपरोक्त जारी पत्रों के माध्यम से श्री महेंद्र कुमार पिता सत्यानंद को अनेकों बार सूचित किया गया है कि भूमि एवं उस पर निर्मित मकान का मुआवजा राशि, जिसका उल्लेख कंडिका 3 में किया गया है, को लेकर भूमि एवं मकान का आधिपत्य एसईसीएल के सुपुर्द करें परंतु आजपर्यंत तक श्री महेंद्र कुमार पिता सत्यानंद द्वारा उक्त मुआवजा राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
6. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि, ग्राम सुआभोंड़ी की कुल अधिग्रहित निजी भूमि 35.162 हेक्टेयर के लगभग 76.23 प्रतिशत खातेदारों को 5.30 करोड़ रुपये मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है।
7. श्रीमान कलेक्टर जिला कोरबा के अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पुनर्वास समिति (डीआरआरसी) द्वारा दीपका विस्तार परियोजना हेतु ग्राम सुआभोंड़ी की अधिग्रहित भूमि से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्रामवासियों की सहमति से बैठक दिनांक 23-11-2016 एवं लिए गए निर्णयों के अनुसार कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 एवं छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्वास नीति 2007 के प्रावधानों में जो भू-विस्थापितों के लिए अधिक लाभकारी हो, के अनुसार रोजगार एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किया जाता है। अतः यह पाया गया कि कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 भू-विस्थापितों के लिए अत्यधिक लाभकारी है, जिसके अनुसार ग्राम सुआभोंड़ी की कुल अर्जित भूमि रकबा 86.88 एकड़ के एवज में प्रत्येक 2 एकड़ भूमि के अनुपात में कुल 43 रोजगार के पद स्वीकृत है। तदनुसार 43 भूविस्थापितों को उनके अर्जित भूमि के रकबे अनुसार घटते क्रम में कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित वरियता सूची अनुसार एसईसीएल में स्थायी रोजगार प्रदान किया जा रहा है। उक्त सूची अनुसार कट आफ पॉइंट 0.50 एकड़ तक के भूस्वामियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। शेष वंचित भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से न्यूनतम 50 हजार रुपये मुआवजा राशि प्रदान की जा रही है।
8. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान स्थिति में कुल स्वीकृत 43 रोजगार के पदों में 27 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है तथा 16 व्यक्तियों को रोजगार प्रकरण प्रक्रियाधीन है। रोजगार से वंचित 99 भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में 5 लाख रुपये प्रति एकड़ कि दर से मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है तथा 109 भूविस्थापितों का रोजगार के एवज में मुआवजा हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
9. कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित भूमि के रकबे के अनुसार भूविस्थापितों के घटते क्रम की सूची में श्री महेंद्र कुमार पिता सत्यानंद का नाम सरल क्रमांक 61 पर स्थित है जो कि अंतिम कट ऑफ रकबा 0.50 एकड़ से नीचे होने के कारण श्री महेंद्र कुमार प्रचलित पुनर्वास नीति के अनुसार रोजगार की पात्रता नहीं रखते हैं। रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से श्री महेंद्र कुमार पिता सत्यानंद अपनी अर्जित भूमि का रकबा 0.32 एकड़ होने के कारण 255007.20 रुपए मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु हकदार
10. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली के पत्र क्रमांक 1387 दिनांक 24-12-2021 के द्वारा ग्राम सुआभोंड़ी के अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास बसाहट हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची के अनुसार श्री महेंद्र कुमार पिता सत्यानंद बसाहट की सुविधा हेतु पात्रता नहीं रखते हैं।
11. **कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत**

"The Competent authority may, by notice in writing require any person in possession of any land acquired under this Act to surrender or deliver possession of the land within such period as may be specified in the notice, and if a person refuse or fails to comply with any such notice, the competent authority may enter upon and take possession of the land and for that purpose may use or cause to be used such force as may be necessary."

केन्द्र सरकार से अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकृत होकर सीबीए एक्ट की धारा-12 के अनुसार महेंद्र कुमार पिता सत्यानंद को आदेशित किया जाता है कि 07 दिवस के अंदर अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि **255007.20 रुपए, *मकान के एवज में मुआवजा राशि* 236422.40 रुपये** तथा रोजगार के एवज में मुआवजा राशि **160000.00 रुपये** का भुगतान उचित माध्यम/प्रक्रिया से प्राप्त करें, अन्यथा कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

महाप्रबंधक,एसईसीएल, दीपका क्षेत्र

——00——

एसईसीएल दीपका क्षेत्र की दीपका विस्तार परियोजना हेतु अन्य ग्रामों की भूमियों के साथ ही साथ ग्राम सुआभोंड़ी की 38.788 हेक्ट. भूमि का अर्जन कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दो पार्ट में किया गया है। ग्राम सुआभोंड़ी की भूमि का प्रथम पार्ट हेतु भू-अर्जन की धारा 9 (i) की अधिसूचना क्रमांक 3095 दिनांक 24-11-2004 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 04-12-2004 को तथा द्वितीय पार्ट में भू-अर्जन हेतु धारा 9 (i) की अधिसूचना क्रमांक 758 दिनांक 15-03-2010 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 20-03-2010 को किया गया है।

1. ग्राम सुआभोंड़ी की अधिग्रहित निजी भूमियों के मुआवजा राशि निर्धारण हेतु आवश्यक राजस्व अभिलेख, पचक-5 एवं पचक-6 का ग्राम के पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार हरदी बाजार द्वारा सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई गयी जिसके अनुसार ग्राम सुआभोंड़ी स्थित श्री सतीश कुमार पिता धनसिंह पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 355/5 रकबा 0.142 हेक्टेयर /0.35 एकड़ का अधिग्रहण किया गया है।
2. उक्त अधिग्रहित भूमि के मुआवजा का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19-03-2010 के अनुसार वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि हेतु निर्धारित दर एवं RFCTLARR 2013 में जो अधिक है, के अनुसार किया गया है तथा अधिग्रहित भूमि पर निर्मित मकान एवं अन्य परिसंपत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण तत्कालीन समय की राज्य शासन के केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड रायपुर के गाईड लाइन तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली द्वारा गठित कमेटी के द्वारा किए गए सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।
3. ग्राम सुआभोंड़ी स्थित श्री सतीश कुमार पिता धनसिंह पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 355/5 रकबा 0.142 हेक्टेयर /0.35 एकड़ की मुआवजा राशि 280705.60 रुपए तथा उसपर स्थित मकान व अन्य परिसंपत्तियों की मुआवजा राशि 140934.42 रुपये निर्धारित किया गया है।
4. ग्राम सुआभोंड़ी के अर्जित भूमियों के मुआवजा निर्धारण के पश्चात, इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को वर्ष 2017 से निरंतर मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार श्री सतीश कुमार पिता धनसिंह को मुआवजा राशि प्राप्त कर लेने हेतु अनेक बार लिखित एवं मौखिक रूप से सूचित किया जा चुका है। ग्राम पंचायत मैनपुर एवं तहसील कार्यालय हरदी बाजार के माध्यम से भी मुआवजा वितरण की सूचना भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को दी गयी है। इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों दिनांक 26-02-2017, 09-08-2019, 10-05-2020, 07-06-2020 तथा 05-06-2022 में भी अर्जित भूमि के खातेदारों के नाम सहित आमसूचना प्रकाशित की गयी है। परंतु श्री सतीश कुमार पिता धनसिंह द्वारा अभी तक मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के समक्ष, आवश्यक दस्तावेजों सहित संपर्क नहीं किया गया है। कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु श्री सतीश कुमार पिता धनसिंह के साथ निम्नलिखित पत्राचार किए गए हैं:-

a. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 04 दिनांक 13-07-2020 *"लेने से इंकार"*
b. कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान बाबत पत्र क्र. SECL/GM/DPK/L&R/2017/1490 दिनांक 06/02/2017
c. माननीय उच्च न्यायालय (छ.ग) में दायर याचिका क्र 3119/2022 में पारित आदेश दिनांक 18/07/2022 के परिपालन में पत्र क्र. 1484 दिनांक 16/09/2022
d. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 134 दिनांक 23/09/2023

5. उपरोक्त जारी पत्रों के माध्यम से श्री महेंद्र कुमार पिता सत्यानंद को अनेकों बार सूचित किया गया है कि भूमि एवं उस पर निर्मित मकान का मुआवजा राशि, जिसका उल्लेख कंडिका 3 में किया गया है, को लेकर भूमि एवं मकान का आधिपत्य एसईसीएल के सुपुर्द करें परंतु आजपर्यंत तक श्री महेंद्र कुमार पिता सत्यानंद द्वारा उक्त मुआवजा राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
6. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि, ग्राम सुआभोंड़ी की कुल अधिग्रहित निजी भूमि 35.162 हेक्टेयर के लगभग 76.23 प्रतिशत खातेदारों को 5.30 करोड़ रुपये मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है।
7. श्रीमान कलेक्टर जिला कोरबा के अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पुनर्वास समिति (डीआरआरसी) द्वारा दीपका विस्तार परियोजना हेतु ग्राम सुआभोंड़ी की अधिग्रहित भूमि से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्रामवासियों की सहमति से बैठक दिनांक 23-11-2016 एवं लिए गए निर्णयों के अनुसार कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 एवं छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्वास नीति 2007 के प्रावधानों में जो भू-विस्थापितों के लिए अधिक लाभकारी हो, के अनुसार रोजगार एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किया जाता है। अतः यह पाया गया कि कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 भू-विस्थापितों के लिए अत्यधिक लाभकारी है, जिसके अनुसार ग्राम सुआभोंड़ी की कुल अर्जित भूमि रकबा 86.88 एकड़ के एवज में प्रत्येक 2 एकड़ भूमि के अनुपात में कुल 43 रोजगार के पद स्वीकृत है। तदनुसार 43 भूविस्थापितों को उनके अर्जित भूमि के रकबे अनुसार घटते क्रम में कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित वरियता सूची अनुसार एसईसीएल में स्थायी रोजगार प्रदान किया जा रहा है। उक्त सूची अनुसार कट आफ पॉइंट 0.50 एकड़ तक के भूस्वामियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। शेष वंचित भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से न्यूनतम 50 हजार रुपये मुआवजा राशि प्रदान की जा रही है।
8. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान स्थिति में कुल स्वीकृत 43 रोजगार के पदों में 27 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है तथा 16 व्यक्तियों को रोजगार प्रकरण प्रक्रियाधीन है। रोजगार से वंचित 99 भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में 5 लाख रुपये प्रति एकड़ कि दर से मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है तथा 109 भूविस्थापितों का रोजगार के एवज में मुआवजा हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
9. कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित भूमि के रकबे के अनुसार भूविस्थापितों के घटते क्रम की सूची में श्री सतीश कुमार पिता धनसिंह का नाम सरल क्रमांक 49 पर स्थित है जो कि अंतिम कट ऑफ रकबा 0.50 एकड़ से नीचे होने के कारण श्री सतीश कुमार प्रचलित पुनर्वास नीति के अनुसार रोजगार की पात्रता नहीं रखते हैं। रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से श्री सतीश कुमार पिता धनसिंह अपनी अर्जित भूमि का रकबा 0.35 एकड़ होने के कारण 280705.60 रुपए मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु हकदार है।
10. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली के पत्र क्रमांक 1387 दिनांक 24-12-2021 के द्वारा प्रेषित, ग्राम सुआभोंड़ी के अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास बसाहट हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची के अनुसार श्री सतीश कुमार पिता धनसिंह बसाहट की सुविधा हेतु पात्रता रखते हैं।
11. **कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत**

"The Competent authority may, by notice in writing require any person in possession of any land acquired under this Act to surrender or deliver possession of the land within such period as may be specified in the notice, and if a person refuse or fails to comply with any such notice, the competent authority may enter upon and take possession of the land and for that purpose may use or cause to be used such force as may be necessary."

केन्द्र सरकार से अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकृत होकर सीबीए एक्ट की धारा-12 के अनुसार सतीश कुमार पिता धनसिंह को आदेशित किया जाता है कि 07 दिवस के अंदर अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि क्रमशः **280705.60 रुपए, *मकान के एवज में मुआवजा राशि* 140934.42 रुपये** तथा रोजगार के एवज में मुआवजा राशि **175000.00 रुपये** का भुगतान उचित माध्यम/प्रक्रिया से प्राप्त करें, अन्यथा कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

महाप्रबंधक, एसईसीएल, दीपका क्षेत्र

——00——

एसईसीएल दीपका क्षेत्र की दीपका विस्तार परियोजना हेतु अन्य ग्रामों की भूमियों के साथ ही साथ ग्राम सुआभोंड़ी की 38.788 हेक्ट. भूमि का अर्जन कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दो पार्ट में किया गया है। ग्राम सुआभोंड़ी की भूमि का प्रथम पार्ट हेतु भू-अर्जन की धारा 9 (i) की अधिसूचना क्रमांक 3095 दिनांक 24-11-2004 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 04-12-2004 को तथा द्वितीय पार्ट में भू-अर्जन हेतु धारा 9 (i) की अधिसूचना क्रमांक 758 दिनांक 15-03-2010 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 20-03-2010 को किया गया है।

1. ग्राम सुआभोंड़ी की अधिग्रहित निजी भूमियों के मुआवजा राशि निर्धारण हेतु आवश्यक राजस्व अभिलेख, पचक-5 एवं पचक-6 का ग्राम के पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार हरदी बाजार द्वारा सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई गयी जिसके अनुसार ग्राम सुआभोंड़ी स्थित श्रीमति उषा देवी पति कमल किशोर पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 378/8 रकबा 0.085 हेक्टेयर /0.21 एकड़ का अधिग्रहण किया गया है।
2. उक्त अधिग्रहित भूमि के मुआवजा का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19-03-2010 के अनुसार वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि हेतु निर्धारित दर एवं RFCTLARR 2013 में जो अधिक है, के अनुसार किया गया है तथा अधिग्रहित भूमि पर निर्मित मकान एवं अन्य परिसंपत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण तत्कालीन समय की राज्य शासन के केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड रायपुर के गाईड लाइन तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली द्वारा गठित कमेटी के द्वारा किए गए सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।
3. ग्राम सुआभोंड़ी स्थित श्रीमति उषा देवी पति कमल किशोर पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 378/8 रकबा 0.085 हेक्टेयर /0.21 एकड़ की मुआवजा राशि 168028.60 रुपए तथा उसपर स्थित मकान व अन्य परिसंपत्तियों की मुआवजा राशि 711445.74 रुपये निर्धारित किया गया है।
4. ग्राम सुआभोंड़ी के अर्जित भूमियों के मुआवजा निर्धारण के पश्चात, इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को वर्ष 2017 से निरंतर मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार श्रीमति उषा देवी पति कमल किशोर को मुआवजा राशि प्राप्त कर लेने हेतु अनेक बार लिखित एवं मौखिक रूप से सूचित किया जा चुका है। ग्राम पंचायत मैनपुर एवं तहसील कार्यालय हरदी बाजार के माध्यम से भी मुआवजा वितरण की सूचना भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को दी गयी है। इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों दिनांक 26-02-2017, 09-08-2019, 10-05-2020, 07-06-2020 तथा 05-06-2022 में भी अर्जित भूमि के खातेदारों के नाम सहित आमसूचना प्रकाशित की गयी है। परंतु श्रीमति उषा देवी पति कमल किशोर द्वारा अभी तक मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के समक्ष, आवश्यक दस्तावेजों सहित संपर्क नहीं किया गया है। कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु श्रीमति उषा देवी पति कमल किशोर के साथ निम्नलिखित पत्राचार किए गए हैं :-

a. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 27 दिनांक 13-07-2020 *"पते पर नहीं मिले"*
b. कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान बाबत पत्र क्र. SECL/GM/DPK/L&R/2017/1517 दिनांक 07/02/2017
c. माननीय उच्च न्यायालय (छ.ग) में दायर याचिका क्र 3119/2022 में पारित आदेश दिनांक 18/07/2022 के परिपालन में पत्र क्र. 1485 दिनांक 16/09/2022
d. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 155 दिनांक 23/09/2023

5. उपरोक्त जारी पत्रों के माध्यम से श्रीमति उषा देवी पति कमल किशोर को अनेकों बार सूचित किया गया है कि भूमि एवं उस पर निर्मित मकान का मुआवजा राशि, जिसका उल्लेख कंडिका 3 में किया गया है, को लेकर भूमि एवं मकान का आधिपत्य एसईसीएल के सुपुर्द करें परंतु आजपर्यंत तक श्रीमति उषा देवी पति कमल किशोर द्वारा उक्त मुआवजा राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
6. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि, ग्राम सुआभोंड़ी की कुल अधिग्रहित निजी भूमि 35.162 हेक्टेयर के लगभग 76.23 प्रतिशत खातेदारों को 5.30 करोड़ रुपये मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है।
7. श्रीमान कलेक्टर जिला कोरबा के अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पुनर्वास समिति (डीआरआरसी) द्वारा दीपका विस्तार परियोजना हेतु ग्राम सुआभोंड़ी की अधिग्रहित भूमि से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्रामवासियों की सहमति से बैठक दिनांक 23-11-2016 एवं लिए गए निर्णयों के अनुसार कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 एवं छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्वास नीति 2007 के प्रावधानों में जो भू-विस्थापितों के लिए अधिक लाभकारी हो, के अनुसार रोजगार एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किया जाता है। अतः यह पाया गया कि कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 भू-विस्थापितों के लिए अत्यधिक लाभकारी है, जिसके अनुसार ग्राम सुआभोंड़ी की कुल अर्जित भूमि रकबा 86.88 एकड़ के एवज में प्रत्येक 2 एकड़ भूमि के अनुपात में कुल 43 रोजगार के पद स्वीकृत है। तदनुसार 43 भूविस्थापितों को उनके अर्जित भूमि के रकबे अनुसार घटते क्रम में कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित वरियता सूची अनुसार एसईसीएल में स्थायी रोजगार प्रदान किया जा रहा है। उक्त सूची अनुसार कट आफ पॉइंट 0.50 एकड़ तक के भूस्वामियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। शेष वंचित भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से न्यूनतम 50 हजार रुपये मुआवजा राशि प्रदान की जा रही है।
8. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान स्थिति में कुल स्वीकृत 43 रोजगार के पदों में 27 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है तथा 16 व्यक्तियों को रोजगार प्रकरण प्रक्रियाधीन है। रोजगार से वंचित 99 भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में 5 लाख रुपये प्रति एकड़ कि दर से मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है तथा 109 भूविस्थापितों का रोजगार के एवज में मुआवजा हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
9. कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित भूमि के रकबे के अनुसार भूविस्थापितों के घटते क्रम की सूची में श्रीमति उषा देवी पति कमल किशोर का नाम सरल क्रमांक 99 पर स्थित है जो कि अंतिम कट ऑफ रकबा 0.50 एकड़ से नीचे होने के कारण श्रीमति उषा देवी प्रचलित पुनर्वास नीति के अनुसार रोजगार की पात्रता नहीं रखती हैं। रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से श्रीमति उषा देवी पति कमल किशोर अपनी अर्जित भूमि का रकबा 0.21 एकड़ होने के कारण 105000.00 रुपए मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु हकदार है।
10. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली के पत्र क्रमांक 1387 दिनांक 24-12-2021 के द्वारा प्रेषित, ग्राम सुआभोंड़ी के अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास बसाहट हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची के अनुसार श्रीमति उषा देवी पति कमल किशोर बसाहट की सुविधा हेतु पात्रता रखती है।
11. **कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत**

"The Competent authority may, by notice in writing require any person in possession of any land acquired under this Act to surrender or deliver possession of the land within such period as may be specified in the notice, and if a person refuse or fails to comply with any such notice, the competent authority may enter upon and take possession of the land and for that purpose may use or cause to be used such force as may be necessary."

केन्द्र सरकार से अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकृत होकर सीबीए एक्ट की धारा-12 के अनुसार श्रीमति उषा देवी पति कमल किशोर को आदेशित किया जाता है कि 07 दिवस के अंदर अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि क्रमशः **168028.00 रुपए, *मकान के एवज में मुआवजा राशि* 711446.00 रुपये** तथा रोजगार के एवज में मुआवजा राशि **105000.00 रुपये** का भुगतान उचित माध्यम/प्रक्रिया से प्राप्त करें, अन्यथा कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

महाप्रबंधक,एसईसीएल, दीपका क्षेत्र

——00——

एसईसीएल दीपका क्षेत्र की दीपका विस्तार परियोजना हेतु अन्य ग्रामों की भूमियों के साथ ही साथ ग्राम सुआभोंड़ी की 38.788 हेक्ट. भूमि का अर्जन कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दो पार्ट में किया गया है। ग्राम सुआभोंड़ी की भूमि का प्रथम पार्ट हेतु भू-अर्जन की धारा 9 (i) की अधिसूचना क्रमांक 3095 दिनांक 24-11-2004 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 04-12-2004 को तथा द्वितीय पार्ट में भू-अर्जन हेतु धारा 9 (i) की अधिसूचना क्रमांक 758 दिनांक 15-03-2010 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 20-03-2010 को किया गया है।

1. ग्राम सुआभोंड़ी की अधिग्रहित निजी भूमियों के मुआवजा राशि निर्धारण हेतु आवश्यक राजस्व अभिलेख, पचक-5 एवं पचक-6 का ग्राम के पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार हरदी बाजार द्वारा सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई गयी जिसके अनुसार ग्राम सुआभोंड़ी स्थित श्री दीनदयाल पिता देव नारायण पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 359/15 रकबा 0.061 हेक्टेयर /0.15 एकड़ का अधिग्रहण किया गया है।
2. उक्त अधिग्रहित भूमि के मुआवजा का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19-03-2010 के अनुसार वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि हेतु निर्धारित दर एवं RFCTLARR 2013 में जो अधिक है, के अनुसार किया गया है तथा अधिग्रहित भूमि पर निर्मित मकान एवं अन्य परिसंपत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण तत्कालीन समय की राज्य शासन के केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड रायपुर के गाईड लाइन तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली द्वारा गठित कमेटी के द्वारा किए गए सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।
3. ग्राम सुआभोंड़ी स्थित श्री दीनदयाल पिता देव नारायण पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 359/15 रकबा 0.061 हेक्टेयर /0.15 एकड़ की मुआवजा राशि 120584.80 रुपए तथा उसपर स्थित मकान व अन्य परिसंपत्तियों की मुआवजा राशि 358176.00 रुपये निर्धारित किया गया है।
4. ग्राम सुआभोंड़ी के अर्जित भूमियों के मुआवजा निर्धारण के पश्चात, इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को वर्ष 2017 से निरंतर मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार श्री दीनदयाल पिता देव नारायण को मुआवजा राशि प्राप्त कर लेने हेतु अनेक बार लिखित एवं मौखिक रूप से सूचित किया जा चुका है। ग्राम पंचायत मैनपुर एवं तहसील कार्यालय हरदी बाजार के माध्यम से भी मुआवजा वितरण की सूचना भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को दी गयी है। इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों दिनांक 26-02-2017, 09-08-2019, 10-05-2020, 07-06-2020 तथा 05-06-2022 में भी अर्जित भूमि के खातेदारों के नाम सहित आमसूचना प्रकाशित की गयी है। परंतु श्री दीनदयाल पिता देव नारायण द्वारा अभी तक मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के समक्ष, आवश्यक दस्तावेजों सहित संपर्क नहीं किया गया है। कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु श्री दीनदयाल पिता देव नारायण के साथ निम्नलिखित पत्राचार किए गए हैं :-

a. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 45 दिनांक 13-07-2020 *"पते पर नहीं मिले"*
b. कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान बाबत पत्र क्र. SECL/GM/DPK/L&R/2017/1569 दिनांक 07/02/2017
c. माननीय उच्च न्यायालय (छ.ग) में दायर याचिका क्र 3384/2022 में पारित आदेश दिनांक 01/08/2022 के परिपालन में पत्र क्र. 1520 दिनांक 27/09/2022
d. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 158 दिनांक 23/09/2023

5. उपरोक्त जारी पत्रों के माध्यम से श्री दीनदयाल पिता देव नारायण को अनेकों बार सूचित किया गया है कि भूमि एवं उस पर निर्मित मकान का मुआवजा राशि, जिसका उल्लेख कंडिका 3 में किया गया है, को लेकर भूमि एवं मकान का आधिपत्य एसईसीएल के सुपुर्द करें परंतु आजपर्यंत तक श्री दीनदयाल पिता देव नारायण द्वारा उक्त मुआवजा राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
6. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि, ग्राम सुआभोंड़ी की कुल अधिग्रहित निजी भूमि 35.162 हेक्टेयर के लगभग 76.23 प्रतिशत खातेदारों को 5.30 करोड़ रुपये मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है।
7. श्रीमान कलेक्टर जिला कोरबा के अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पुनर्वास समिति (डीआरआरसी) द्वारा दीपका विस्तार परियोजना हेतु ग्राम सुआभोंड़ी की अधिग्रहित भूमि से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्रामवासियों की सहमति से बैठक दिनांक 23-11-2016 एवं लिए गए निर्णयों के अनुसार कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 एवं छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्वास नीति 2007 के प्रावधानों में जो भू-विस्थापितों के लिए अधिक लाभकारी हो, के अनुसार रोजगार एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किया जाता है। अतः यह पाया गया कि कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 भू-विस्थापितों के लिए अत्यधिक लाभकारी है, जिसके अनुसार ग्राम सुआभोंड़ी की कुल अर्जित भूमि रकबा 86.88 एकड़ के एवज में प्रत्येक 2 एकड़ भूमि के अनुपात में कुल 43 रोजगार के पद स्वीकृत है। तदनुसार 43 भूविस्थापितों को उनके अर्जित भूमि के रकबे अनुसार घटते क्रम में कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित वरियता सूची अनुसार एसईसीएल में स्थायी रोजगार प्रदान किया जा रहा है। उक्त सूची अनुसार कट आफ पॉइंट 0.50 एकड़ तक के भूस्वामियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। शेष वंचित भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से न्यूनतम 50 हजार रुपये मुआवजा राशि प्रदान की जा रही है।
8. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान स्थिति में कुल स्वीकृत 43 रोजगार के पदों में 27 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है तथा 16 व्यक्तियों को रोजगार प्रकरण प्रक्रियाधीन है। रोजगार से वंचित 99 भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में 5 लाख रुपये प्रति एकड़ कि दर से मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है तथा 109 भूविस्थापितों का रोजगार के एवज में मुआवजा हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
9. कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित भूमि के रकबे के अनुसार भूविस्थापितों के घटते क्रम की सूची में श्री दीनदयाल पिता देव नारायण का नाम सरल क्रमांक 120 पर स्थित है जो कि अंतिम कट ऑफ रकबा 0.50 एकड़ से नीचे होने के कारण श्री दीनदयाल प्रचलित पुनर्वास नीति के अनुसार रोजगार की पात्रता नहीं रखते हैं। रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से श्री दीनदयाल पिता देव नारायण अपनी अर्जित भूमि का रकबा 0.15 एकड़ होने के कारण 75000.00 रुपए मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु हकदार है।
10. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली के पत्र क्रमांक 1387 दिनांक 24-12-2021 के द्वारा प्रेषित, ग्राम सुआभोंड़ी के अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास बसाहट हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची के अनुसार श्री दीनदयाल पिता देव नारायण बसाहट की सुविधा हेतु पात्रता नहीं रखते हैं।
11. **कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत**

"The Competent authority may, by notice in writing require any person in possession of any land acquired under this Act to surrender or deliver possession of the land within such period as may be specified in the notice, and if a person refuse or fails to comply with any such notice, the competent authority may enter upon and take possession of the land and for that purpose may use or cause to be used such force as may be necessary."

केन्द्र सरकार से अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकृत होकर सीबीए एक्ट की धारा-12 के अनुसार श्री दीनदयाल पिता देव नारायण को आदेशित किया जाता है कि 07 दिवस के अंदर अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि क्रमशः **120584.80 रुपए, *मकान के एवज में मुआवजा राशि* 358176.00 रुपये** तथा रोजगार के एवज में मुआवजा राशि **75000.00 रुपये** का भुगतान उचित माध्यम/प्रक्रिया से प्राप्त करें, अन्यथा कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

महाप्रबंधक,एसईसीएल, दीपका क्षेत्र

——00——

एसईसीएल दीपका क्षेत्र की दीपका विस्तार परियोजना हेतु अन्य ग्रामों की भूमियों के साथ ही साथ ग्राम सुआभोंड़ी की 38.788 हेक्ट. भूमि का अर्जन कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दो पार्ट में किया गया है। ग्राम सुआभोंड़ी की भूमि का प्रथम पार्ट हेतु भू-अर्जन की धारा 9 (i) की अधिसूचना क्रमांक 3095 दिनांक 24-11-2004 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 04-12-2004 को तथा द्वितीय पार्ट में भू-अर्जन हेतु धारा 9 (i) की अधिसूचना क्रमांक 758 दिनांक 15-03-2010 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 20-03-2010 को किया गया है।

1. ग्राम सुआभोंड़ी की अधिग्रहित निजी भूमियों के मुआवजा राशि निर्धारण हेतु आवश्यक राजस्व अभिलेख, पचक-5 एवं पचक-6 का ग्राम के पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार हरदी बाजार द्वारा सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई गयी जिसके अनुसार ग्राम सुआभोंड़ी स्थित श्री जितेंद्र कुमार पिता कोमल प्रसाद पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 379/29 रकबा 0.138 हेक्टेयर /0.34 एकड़ का अधिग्रहण किया गया है।
2. उक्त अधिग्रहित भूमि के मुआवजा का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19-03-2010 के अनुसार वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि हेतु निर्धारित दर एवं RFCTLARR 2013 में जो अधिक है, के अनुसार किया गया है तथा अधिग्रहित भूमि पर निर्मित मकान एवं अन्य परिसंपत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण तत्कालीन समय की राज्य शासन के केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड रायपुर के गाईड लाइन तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली द्वारा गठित कमेटी के द्वारा किए गए सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।
3. ग्राम सुआभोंड़ी स्थित श्री जितेंद्र कुमार पिता कोमल प्रसाद पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 379/29 रकबा 0.138 हेक्टेयर/0.34 एकड़ की मुआवजा राशि 272798.40 रुपए तथा उसपर स्थित मकान व अन्य परिसंपत्तियों की मुआवजा राशि 436870.00 रुपये निर्धारित किया गया है।
4. ग्राम सुआभोंड़ी के अर्जित भूमियों के मुआवजा निर्धारण के पश्चात, इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को वर्ष 2017 से निरंतर मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार श्री जितेंद्र कुमार पिता कोमल प्रसाद को मुआवजा राशि प्राप्त कर लेने हेतु अनेक बार लिखित एवं मौखिक रूप से सूचित किया जा चुका है। ग्राम पंचायत मैनपुर एवं तहसील कार्यालय हरदी बाजार के माध्यम से भी मुआवजा वितरण की सूचना भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को दी गयी है। इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों दिनांक 26-02-2017, 09-08-2019, 10-05-2020, 07-06-2020 तथा 05-06-2022 में भी अर्जित भूमि के खातेदारों के नाम सहित आमसूचना प्रकाशित की गयी है। परंतु श्री जितेंद्र कुमार पिता कोमल प्रसाद द्वारा अभी तक मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के समक्ष, आवश्यक दस्तावेजों सहित संपर्क नहीं किया गया है। कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु श्री जितेंद्र कुमार पिता कोमल प्रसाद के साथ निम्नलिखित पत्राचार किए गए हैं :-

A. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 05 दिनांक 13-07-2020 *"पते पर नहीं मिले"*
B. कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान बाबत पत्र क्र. SECL/GM/DPK/L&R/2017/1603 दिनांक 07/02/2017
C. माननीय उच्च न्यायालय (छ.ग) में दायर याचिका क्र 1843/2017 में पारित आदेश दिनांक 19/04/2017 के परिपालन में पत्र क्र. 29 दिनांक 26/05/2017
D. माननीय उच्च न्यायालय (छ.ग) में दायर याचिका क्र 3384/2022 में पारित आदेश दिनांक 03/08/2022 के परिपालन में पत्र क्र. 1511 दिनांक 27/09/2022
E. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 159 दिनांक 23/09/2023

5. उपरोक्त जारी पत्रों के माध्यम से श्री जितेंद्र कुमार पिता कोमल प्रसाद को अनेकों बार सूचित किया गया है कि भूमि एवं उस पर निर्मित मकान का मुआवजा राशि, जिसका उल्लेख कंडिका 3 में किया गया है, को लेकर भूमि एवं मकान का आधिपत्य एसईसीएल के सुपुर्द करें परंतु आजपर्यंत तक श्री जितेंद्र कुमार पिता कोमल प्रसाद द्वारा उक्त मुआवजा राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
6. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि, ग्राम सुआभोंड़ी की कुल अधिग्रहित निजी भूमि 35.162 हेक्टेयर के लगभग 76.23 प्रतिशत खातेदारों को 5.30 करोड़ रुपये मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है।
7. श्रीमान कलेक्टर जिला कोरबा के अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पुनर्वास समिति (डीआरआरसी) द्वारा दीपका विस्तार परियोजना हेतु ग्राम सुआभोंड़ी की अधिग्रहित भूमि से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्रामवासियों की सहमति से बैठक दिनांक 23-11-2016 एवं लिए गए निर्णयों के अनुसार कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 एवं छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्वास नीति 2007 के प्रावधानों में जो भू-विस्थापितों के लिए अधिक लाभकारी हो, के अनुसार रोजगार एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किया जाता है। अतः यह पाया गया कि कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 भू-विस्थापितों के लिए अत्यधिक लाभकारी है, जिसके अनुसार ग्राम सुआभोंड़ी की कुल अर्जित भूमि रकबा 86.88 एकड़ के एवज में प्रत्येक 2 एकड़ भूमि के अनुपात में कुल 43 रोजगार के पद स्वीकृत है। तदनुसार 43 भूविस्थापितों को उनके अर्जित भूमि के रकबे अनुसार घटते क्रम में कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित वरियता सूची अनुसार एसईसीएल में स्थायी रोजगार प्रदान किया जा रहा है। उक्त सूची अनुसार कट आफ पॉइंट 0.50 एकड़ तक के भूस्वामियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। शेष वंचित भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से न्यूनतम 50 हजार रुपये मुआवजा राशि प्रदान की जा रही है।
8. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान स्थिति में कुल स्वीकृत 43 रोजगार के पदों में 27 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है तथा 16 व्यक्तियों को रोजगार प्रकरण प्रक्रियाधीन है। रोजगार से वंचित 99 भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में 5 लाख रुपये प्रति एकड़ कि दर से मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है तथा 109 भूविस्थापितों का रोजगार के एवज में मुआवजा हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
9. कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित भूमि के रकबे के अनुसार भूविस्थापितों के घटते क्रम की सूची में श्री जितेंद्र कुमार पिता कोमल प्रसाद का नाम सरल क्रमांक 50 पर स्थित है जो कि अंतिम कट ऑफ रकबा 0.50 एकड़ से नीचे होने के कारण श्री जितेंद्र कुमार प्रचलित पुनर्वास नीति के अनुसार रोजगार की पात्रता नहीं रखते हैं। रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से श्री जितेंद्र कुमार पिता कोमल प्रसाद अपनी अर्जित भूमि का रकबा 0.34 एकड़ होने के कारण 170000.00 रुपए मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु हकदार है।
10. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली के पत्र क्रमांक 1387 दिनांक 24-12-2021 के द्वारा प्रेषित, ग्राम सुआभोंड़ी के अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास बसाहट हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची के अनुसार श्री जितेंद्र कुमार पिता कोमल प्रसाद बसाहट की सुविधा हेतु पात्रता नहीं रखते हैं।
11. **कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत**

"The Competent authority may, by notice in writing require any person in possession of any land acquired under this Act to surrender or deliver possession of the land within such period as may be specified in the notice, and if a person refuse or fails to comply with any such notice, the competent authority may enter upon and take possession of the land and for that purpose may use or cause to be used such force as may be necessary."

केन्द्र सरकार से अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकृत होकर सीबीए एक्ट की धारा-12 के अनुसार श्री जितेंद्र कुमार पिता कोमल प्रसाद को आदेशित किया जाता है कि 07 दिवस के अंदर अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि क्रमशः 272798.40 रुपए, **मकान के एवज में मुआवजा राशि 416470.00 रुपये** तथा रोजगार के एवज में मुआवजा राशि **170000.00 रुपये** का भुगतान उचित माध्यम/प्रक्रिया से प्राप्त करें, अन्यथा कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

महाप्रबंधक, एसईसीएल, दीपका क्षेत्र

—00—

एसईसीएल दीपका क्षेत्र की दीपका विस्तार परियोजना हेतु अन्य ग्रामों की भूमियों के साथ ही साथ ग्राम सुवाभोंड़ी की 38.768 हेक्ट. भूमि का अर्जन कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दो पार्ट में किया गया है। ग्राम सुवाभोंड़ी की भूमि का प्रथम पार्ट हेतु भू-अर्जन की धारा 9 (1) की अधिसूचना क्रमांक 3095 दिनांक 24-11-2004 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 04-12-2004 को तथा द्वितीय पार्ट में भू-अर्जन हेतु धारा 9 (1) की अधिसूचना क्रमांक 758 दिनांक 15-03-2010 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 20-03-2010 को किया गया है।

1. ग्राम सुवाभोंड़ी की अधिग्रहित निजी भूमियों के मुआवजा राशि निर्धारण हेतु आवश्यक राजस्व अभिलेख, पत्रक-5 एवं पत्रक-6 का ग्राम के पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार हरदी बाजार द्वारा सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार ग्राम सुवाभोंड़ी स्थित कु. निर्मला पिता गोपाल प्रसाद पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 376/32 रकबा 0.137 हेक्टेयर /0.34 एकड़ का अधिग्रहण किया गया है।
2. उक्त अधिग्रहित भूमि के मुआवजा का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19-03-2010 के अनुसार वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि हेतु निर्धारित दर एवं RFCTLARR 2013 में जो अधिक है, के अनुसार किया गया है तथा अधिग्रहित भूमि पर निर्मित मकान एवं अन्य परिसंपत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण तत्कालीन समय की राज्य शासन के केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड रायपुर के गाईड लाइन तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली द्वारा गठित कमेटी के द्वारा किए गए सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।
3. ग्राम सुवाभोंड़ी स्थित कु. निर्मला पिता गोपाल प्रसाद पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 376/32 रकबा 0.137 हेक्टेयर/0.34 एकड़ की मुआवजा राशि 270821.60 रुपए तथा उस पर मकान व अन्य परिसंपत्तियां स्थित नहीं है।
4. ग्राम सुवाभोंड़ी के अर्जित भूमियों के मुआवजा निर्धारण के पश्चात, इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को वर्ष 2017 से निरंतर मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार कु. निर्मला पिता गोपाल प्रसाद को मुआवजा राशि प्राप्त कर लेने हेतु अनेक बार लिखित एवं मौखिक रूप से सूचित किया जा चुका है। ग्राम पंचायत चैनपुर एवं तहसील कार्यालय हरदी बाजार के माध्यम से भी मुआवजा वितरण की सूचना भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को दी गयी है। इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों दिनांक 26-02-2017, 09-08-2019, 10-05-2020, 07-06-2020 तथा 05-06-2022 में भी अर्जित भूमि के खातेदारों के नाम सहित आमसूचना प्रकाशित की गयी है। परंतु कु. निर्मला पिता गोपाल प्रसाद द्वारा अभी तक मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के समक्ष, आवश्यक दस्तावेजों सहित संपर्क नहीं किया गया है। कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु कु. निर्मला पिता गोपाल प्रसाद के साथ निम्नलिखित पत्राचार किए गए हैं :-

A. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 08 दिनांक 13-07-2020 *"पते पर नहीं मिले"*
B. कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान बाबत पत्र क्र. SECL/GM/DPK/L&R/2017/1615 दिनांक 07/02/2017
C. माननीय उच्च न्यायालय (छ.ग.) में दायर याचिका क्र 3384/2022 में पारित आदेश दिनांक 03/08/2022 के परिपालन में पत्र क्र. 1510 दिनांक 27/09/2022
D. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 160 दिनांक 23/09/2023

5. उपरोक्त जारी पत्रों के माध्यम से श्री जितेंद्र कुमार पिता कोमल प्रसाद को अनेकों बार सूचित किया गया है कि भूमि एवं उस पर निर्मित मकान का मुआवजा राशि, जिसका उल्लेख कंडिका 3 में किया गया है, को लेकर भूमि एवं मकान का आधिपत्य एसईसीएल के सुपुर्द करें परंतु आज पर्यंत तक श्री जितेंद्र कुमार पिता कोमल प्रसाद द्वारा उक्त मुआवजा राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
6. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि, ग्राम सुवाभोंड़ी की कुल अधिग्रहित निजी भूमि 35.162 हेक्टेयर के लगभग 76.23 प्रतिशत खातेदारों को 5.30 करोड़ रुपये मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है।
7. श्रीमान कलेक्टर जिला कोरबा के अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पुनर्वास समिति (डीआरआरसी) द्वारा दीपका विस्तार परियोजना हेतु ग्राम सुवाभोंड़ी की अधिग्रहित भूमि से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्रामवासियों की सहमति से बैठक दिनांक 23-11-2016 एवं लिए गए निर्णयों के अनुसार कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 एवं छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्वास नीति 2007 के प्रावधानों में जो भू-विस्थापितों के लिए अधिक लाभकारी हो, के अनुसार रोजगार एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किया जाता है। अतः यह पाया गया कि कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 भू-विस्थापितों के लिए अत्यधिक लाभकारी है, जिसके अनुसार ग्राम सुवाभोंड़ी की कुल अर्जित भूमि रकबा 86.88 एकड़ के एवज में प्रत्येक 2 एकड़ भूमि के अनुपात में कुल 43 रोजगार के पद स्वीकृत है। तदनुसार 43 भूविस्थापितों को उनके अर्जित भूमि के रकबे अनुसार घटते क्रम में कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित वरियता सूची अनुसार एसईसीएल में स्थायी रोजगार प्रदान किया जा रहा है। उक्त सूची अनुसार कट आफ पॉइंट 0.50 एकड़ तक के भूस्वामियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। शेष वंचित भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से न्यूनतम 50 हजार रुपये मुआवजा राशि प्रदान की जा रही है।
8. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान स्थिति में कुल स्वीकृत 43 रोजगार के पदों से 27 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है तथा 16 व्यक्तियों को रोजगार प्रकरण प्रक्रियाधीन है। रोजगार से वंचित 99 भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में 5 लाख रुपये प्रति एकड़ कि दर से मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है तथा 109 भूविस्थापितों का रोजगार के एवज में मुआवजा हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
9. कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित भूमि के रकबे के अनुसार भूविस्थापितों के घटते क्रम की सूची में कु. निर्मला पिता गोपाल प्रसाद का नाम सरल क्रमांक 53 पर स्थित है जो कि अंतिम कट ऑफ रकबा 0.50 एकड़ से नीचे होने के कारण कु. निर्मला प्रचलित पुनर्वास नीति के अनुसार रोजगार की पात्रता नहीं रखती है। रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से कु. निर्मला पिता गोपाल प्रसाद अपनी अर्जित भूमि का रकबा 0.34 एकड़ होने के कारण 170000.00 रुपए मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु हकदार है।
10. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली के पत्र क्रमांक 1387 दिनांक 24-12-2021 के द्वारा प्रेषित, ग्राम सुवाभोंड़ी के अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास/बसाहट हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची के अनुसार कु. निर्मला पिता गोपाल प्रसाद बसाहट की सुविधा हेतु पात्रता नहीं रखती है।
11. **कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत**

"The Competent authority may, by notice in writing require any person in possession of any land acquired under this Act to surrender or deliver possession of the land within such period as may be specified in the notice, and if a person refuse or fails to comply with any such notice, the competent authority may enter upon and take possession of the land and for that purpose may use or cause to be used such force as may be necessary."

केन्द्र सरकार से अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकृत होकर सीबीए एक्ट की धारा-12 के अनुसार कु. निर्मला पिता गोपाल प्रसाद को आदेशित किया जाता है कि 07 दिवस के अंदर अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि क्रमशः 270821.60 रुपए, **मकान के एवज में मुआवजा राशि 00.00 रुपये** तथा रोजगार के एवज में मुआवजा राशि **170000.00 रुपये** का भुगतान उचित माध्यम/प्रक्रिया से प्राप्त करें, अन्यथा कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

महाप्रबंधक, एसईसीएल, दीपका क्षेत्र

—00—

एसईसीएल दीपका क्षेत्र की दीपका विस्तार परियोजना हेतु अन्य ग्रामों की भूमियों के साथ ही साथ ग्राम सुवाभोंड़ी की 38.768 हेक्ट. भूमि का अर्जन कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दो पार्ट में किया गया है। ग्राम सुवाभोंड़ी की भूमि का प्रथम पार्ट हेतु भू-अर्जन की धारा 9 (1) की अधिसूचना क्रमांक 3095 दिनांक 24-11-2004 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 04-12-2004 को तथा द्वितीय पार्ट में भू-अर्जन हेतु धारा 9 (1) की अधिसूचना क्रमांक 758 दिनांक 15-03-2010 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 20-03-2010 को किया गया है।

1. ग्राम सुवाभोंड़ी की अधिग्रहित निजी भूमियों के मुआवजा राशि निर्धारण हेतु आवश्यक राजस्व अभिलेख, पत्रक-5 एवं पत्रक-6 का ग्राम के पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार हरदी बाजार द्वारा सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार ग्राम सुवाभोंड़ी स्थित श्री राजेश कुमार पिता गोपाल प्रसाद के नाम पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 376/33 रकबा 0.137 हेक्टेयर /0.34 एकड़ का अधिग्रहण किया गया है।
2. उक्त अधिग्रहित भूमि के मुआवजा का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19-03-2010 के अनुसार वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि हेतु निर्धारित दर एवं RFCTLARR 2013 में जो अधिक है, के अनुसार किया गया है तथा अधिग्रहित भूमि पर निर्मित मकान एवं अन्य परिसंपत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण तत्कालीन समय की राज्य शासन के केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड रायपुर के गाईड लाइन तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली द्वारा गठित कमेटी के द्वारा किए गए सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।
3. ग्राम सुवाभोंड़ी स्थित श्री राजेश कुमार पिता गोपाल प्रसाद पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 376/33 रकबा 0.137 हेक्टेयर/0.34 एकड़ की मुआवजा राशि 270821.60 रुपए तथा उस पर मकान व अन्य परिसंपत्तियां स्थित नहीं है।
4. ग्राम सुवाभोंड़ी के अर्जित भूमियों के मुआवजा निर्धारण के पश्चात, इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को वर्ष 2017 से निरंतर मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार श्री राजेश कुमार पिता गोपाल प्रसाद को मुआवजा राशि प्राप्त कर लेने हेतु अनेक बार लिखित एवं मौखिक रूप से सूचित किया जा चुका है। ग्राम पंचायत चैनपुर एवं तहसील कार्यालय हरदी बाजार के माध्यम से भी मुआवजा वितरण की सूचना भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को दी गयी है। इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों दिनांक 26-02-2017, 09-08-2019, 10-05-2020, 07-06-2020 तथा 05-06-2022 में भी अर्जित भूमि के खातेदारों के नाम सहित आमसूचना प्रकाशित की गयी है। परंतु श्री राजेश कुमार पिता गोपाल प्रसाद द्वारा अभी तक मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के समक्ष, आवश्यक दस्तावेजों सहित संपर्क नहीं किया गया है। कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु श्री राजेश कुमार पिता गोपाल प्रसाद के साथ निम्नलिखित पत्राचार किए गए हैं :-

A. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 09 दिनांक 13-07-2020 *"पते पर नहीं मिले"*
B. कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान बाबत पत्र क्र. SECL/GM/DPK/L&R/2017/1466 दिनांक 06/02/2017
C. माननीय उच्च न्यायालय (छ.ग.) में दायर याचिका क्र 3384/2022 में पारित आदेश दिनांक 03/08/2022 के परिपालन में पत्र क्र. 1512 दिनांक 27/09/2022
D. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 162 दिनांक 23/09/2023

5. उपरोक्त जारी पत्रों के माध्यम से श्री राजेश कुमार पिता गोपाल प्रसाद को अनेकों बार सूचित किया गया है कि भूमि एवं उस पर निर्मित मकान का मुआवजा राशि, जिसका उल्लेख कंडिका 3 में किया गया है, को लेकर भूमि एवं मकान का आधिपत्य एसईसीएल के सुपुर्द करें परंतु आज पर्यंत तक श्री राजेश कुमार पिता गोपाल प्रसाद द्वारा उक्त मुआवजा राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
6. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि, ग्राम सुवाभोंड़ी की कुल अधिग्रहित निजी भूमि 35.162 हेक्टेयर के लगभग 76.23 प्रतिशत खातेदारों को 5.30 करोड़ रुपये मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है।
7. श्रीमान कलेक्टर जिला कोरबा के अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पुनर्वास समिति (डीआरआरसी) द्वारा दीपका विस्तार परियोजना हेतु ग्राम सुवाभोंड़ी की अधिग्रहित भूमि से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्रामवासियों की सहमति से बैठक दिनांक 23-11-2016 एवं लिए गए निर्णयों के अनुसार कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 एवं छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्वास नीति 2007 के प्रावधानों में जो भू-विस्थापितों के लिए अधिक लाभकारी हो, के अनुसार रोजगार एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किया जाता है। अतः यह पाया गया कि कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 भू-विस्थापितों के लिए अत्यधिक लाभकारी है, जिसके अनुसार ग्राम सुवाभोंड़ी की कुल अर्जित भूमि रकबा 86.88 एकड़ के एवज में प्रत्येक 2 एकड़ भूमि के अनुपात में कुल 43 रोजगार के पद स्वीकृत है। तदनुसार 43 भूविस्थापितों को उनके अर्जित भूमि के रकबे अनुसार घटते क्रम में कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित वरियता सूची अनुसार एसईसीएल में स्थायी रोजगार प्रदान किया जा रहा है। उक्त सूची अनुसार कट आफ पॉइंट 0.50 एकड़ तक के भूस्वामियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। शेष वंचित भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से न्यूनतम 50 हजार रुपये मुआवजा राशि प्रदान की जा रही है।
8. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान स्थिति में कुल स्वीकृत 43 रोजगार के पदों से 27 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है तथा 16 व्यक्तियों को रोजगार प्रकरण प्रक्रियाधीन है। रोजगार से वंचित 99 भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में 5 लाख रुपये प्रति एकड़ कि दर से मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है तथा 109 भूविस्थापितों का रोजगार के एवज में मुआवजा हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
9. कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित भूमि के रकबे के अनुसार भूविस्थापितों के घटते क्रम की सूची में श्री राजेश कुमार पिता गोपाल प्रसाद का नाम सरल क्रमांक 54 पर स्थित है जो कि अंतिम कट ऑफ रकबा 0.50 एकड़ से नीचे होने के कारण श्री राजेश कुमार प्रचलित पुनर्वास नीति के अनुसार रोजगार की पात्रता नहीं रखते हैं। रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से श्री जितेंद्र कुमार पिता कोमल प्रसाद अपनी अर्जित भूमि का रकबा 0.34 एकड़ होने के कारण 170000.00 रुपए मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु हकदार है।
10. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली के पत्र क्रमांक 1387 दिनांक 24-12-2021 के द्वारा प्रेषित, ग्राम सुवाभोंड़ी के अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास/बसाहट हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची के अनुसार श्री राजेश कुमार पिता गोपाल प्रसाद बसाहट की सुविधा हेतु पात्रता नहीं रखते हैं।
11. **कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत**

"The Competent authority may, by notice in writing require any person in possession of any land acquired under this Act to surrender or deliver possession of the land within such period as may be specified in the notice, and if a person refuse or fails to comply with any such notice, the competent authority may enter upon and take possession of the land and for that purpose may use or cause to be used such force as may be necessary."

केन्द्र सरकार से अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकृत होकर सीबीए एक्ट की धारा-12 के अनुसार श्री राजेश कुमार पिता गोपाल प्रसाद को आदेशित किया जाता है कि 07 दिवस के अंदर अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि क्रमशः 270821.60 रुपए, **मकान के एवज में मुआवजा राशि 00.00 रुपये** तथा रोजगार के एवज में मुआवजा राशि **170000.00 रुपये** का भुगतान उचित माध्यम/प्रक्रिया से प्राप्त करें, अन्यथा कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

महाप्रबंधक, एसईसीएल, दीपका क्षेत्र

—00—

एसईसीएल दीपका क्षेत्र की दीपका विस्तार परियोजना हेतु अन्य ग्रामों की भूमियों के साथ ही साथ ग्राम सुवाभोंड़ी की 38.768 हेक्ट. भूमि का अर्जन कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दो पार्ट में किया गया है। ग्राम सुवाभोंड़ी की भूमि का प्रथम पार्ट हेतु भू-अर्जन की धारा 9 (1) की अधिसूचना क्रमांक 3095 दिनांक 24-11-2004 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 04-12-2004 को तथा द्वितीय पार्ट में भू-अर्जन हेतु धारा 9 (1) की अधिसूचना क्रमांक 758 दिनांक 15-03-2010 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 20-03-2010 को किया गया है।

1. ग्राम सुवाभोंड़ी की अधिग्रहित निजी भूमियों के मुआवजा राशि निर्धारण हेतु आवश्यक राजस्व अभिलेख, पत्रक-5 एवं पत्रक-6 का ग्राम के पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार हरदी बाजार द्वारा सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार ग्राम सुवाभोंड़ी स्थित श्री राजकुमार पिता गोपाल प्रसाद के नाम पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 376/31 रकबा 0.137 हेक्टेयर /0.34 एकड़ का अधिग्रहण किया गया है।
2. उक्त अधिग्रहित भूमि के मुआवजा का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19-03-2010 के अनुसार वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि हेतु निर्धारित दर एवं RFCTLARR 2013 में जो अधिक है, के अनुसार किया गया है तथा अधिग्रहित भूमि पर निर्मित मकान एवं अन्य परिसंपत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण तत्कालीन समय की राज्य शासन के केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड रायपुर के गाईड लाइन तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली द्वारा गठित कमेटी के द्वारा किए गए सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।
3. ग्राम सुवाभोंड़ी स्थित श्री राजकुमार पिता गोपाल प्रसाद पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 376/31 रकबा 0.137 हेक्टेयर/0.34 एकड़ की मुआवजा राशि 270821.60 रुपए तथा उस पर मकान व अन्य परिसंपत्तियां स्थित नहीं है।
4. ग्राम सुवाभोंड़ी के अर्जित भूमियों के मुआवजा निर्धारण के पश्चात, इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को वर्ष 2017 से निरंतर मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार श्री राजकुमार पिता गोपाल प्रसाद को मुआवजा राशि प्राप्त कर लेने हेतु अनेक बार लिखित एवं मौखिक रूप से सूचित किया जा चुका है। ग्राम पंचायत चैनपुर एवं तहसील कार्यालय हरदी बाजार के माध्यम से भी मुआवजा वितरण की सूचना भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को दी गयी है। इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों दिनांक 26-02-2017, 09-08-2019, 10-05-2020, 07-06-2020 तथा 05-06-2022 में भी अर्जित भूमि के खातेदारों के नाम सहित आमसूचना प्रकाशित की गयी है। परंतु श्री राजकुमार पिता गोपाल प्रसाद द्वारा अभी तक मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के समक्ष, आवश्यक दस्तावेजों सहित संपर्क नहीं किया गया है। कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु श्री राजकुमार पिता गोपाल प्रसाद के साथ निम्नलिखित पत्राचार किए गए हैं :-

A. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 10 दिनांक 13-07-2020 *"पते पर नहीं मिले"*
B. कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान बाबत पत्र क्र. SECL/GM/DPK/L&R/2017/1469 दिनांक 06/02/2017
C. माननीय उच्च न्यायालय (छ.ग.) में दायर याचिका क्र WPS 349/2017 में पारित आदेश दिनांक 30/01/2017 के परिपालन में पत्र क्र. 22 दिनांक 12/04/2017
D. माननीय उच्च न्यायालय (छ.ग.) में दायर याचिका क्र 3384/2022 में पारित आदेश दिनांक 03/08/2022 के परिपालन में पत्र क्र. 1513 दिनांक 27/09/2022
E. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 161 दिनांक 23/09/2023

5. उपरोक्त जारी पत्रों के माध्यम से श्री राजकुमार पिता गोपाल प्रसाद को अनेकों बार सूचित किया गया है कि भूमि एवं उस पर निर्मित मकान का मुआवजा राशि, जिसका उल्लेख कंडिका 3 में किया गया है, को लेकर भूमि एवं मकान का आधिपत्य एसईसीएल के सुपुर्द करें परंतु आज पर्यंत तक श्री राजकुमार पिता गोपाल प्रसाद द्वारा उक्त मुआवजा राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
6. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि, ग्राम सुवाभोंड़ी की कुल अधिग्रहित निजी भूमि 35.162 हेक्टेयर के लगभग 76.23 प्रतिशत खातेदारों को 5.33 करोड़ रुपये मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है।
7. श्रीमान कलेक्टर जिला कोरबा के अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पुनर्वास समिति (डीआरआरसी) द्वारा दीपका विस्तार परियोजना हेतु ग्राम सुवाभोंड़ी की अधिग्रहित भूमि से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्रामवासियों की सहमति से बैठक दिनांक 23-11-2016 एवं लिए गए निर्णयों के अनुसार कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 एवं छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्वास नीति 2007 के प्रावधानों में जो भू-विस्थापितों के लिए अधिक लाभकारी हो, के अनुसार रोजगार एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किया जाता है। अतः यह पाया गया कि कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 भू-विस्थापितों के लिए अत्यधिक लाभकारी है, जिसके अनुसार ग्राम सुवाभोंड़ी की कुल अर्जित भूमि रकबा 86.88 एकड़ के एवज में प्रत्येक 2 एकड़ भूमि के अनुपात में कुल 43 रोजगार के पद स्वीकृत है। तदनुसार 43 भूविस्थापितों को उनके अर्जित भूमि के रकबे अनुसार घटते क्रम में कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित वरियता सूची अनुसार एसईसीएल में स्थायी रोजगार प्रदान किया जा रहा है। उक्त सूची अनुसार कट आफ पॉइंट 0.50 एकड़ तक के भूस्वामियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। शेष वंचित भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से न्यूनतम 50 हजार रुपये मुआवजा राशि प्रदान की जा रही है।
8. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान स्थिति में कुल स्वीकृत 43 रोजगार के पदों से 27 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है तथा 16 व्यक्तियों को रोजगार प्रकरण प्रक्रियाधीन है। रोजगार से वंचित 99 भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में 5 लाख रुपये प्रति एकड़ कि दर से मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है तथा 109 भूविस्थापितों का रोजगार के एवज में मुआवजा हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
9. कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित भूमि के रकबे के अनुसार भूविस्थापितों के घटते क्रम की सूची में श्री राजकुमार पिता गोपाल प्रसाद का नाम सरल क्रमांक 55 पर स्थित है जो कि अंतिम कट ऑफ रकबा 0.50 एकड़ से नीचे होने के कारण श्री राजकुमार प्रचलित पुनर्वास नीति के अनुसार रोजगार की पात्रता नहीं रखते हैं। रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से श्री राजकुमार पिता कोमल प्रसाद अपनी अर्जित भूमि का रकबा 0.34 एकड़ होने के कारण 170000.00 रुपए मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु हकदार है।
10. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली के पत्र क्रमांक 1387 दिनांक 24-12-2021 के द्वारा प्रेषित, ग्राम सुवाभोंड़ी के अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास/बसाहट हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची के अनुसार श्री राजकुमार पिता गोपाल प्रसाद बसाहट की सुविधा हेतु पात्रता नहीं रखते हैं।
11. **कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत**

"The Competent authority may, by notice in writing require any person in possession of any land acquired under this Act to surrender or deliver possession of the land within such period as may be specified in the notice, and if a person refuse or fails to comply with any such notice, the competent authority may enter upon and take possession of the land and for that purpose may use or cause to be used such force as may be necessary."

केन्द्र सरकार से अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकृत होकर सीबीए एक्ट की धारा-12 के अनुसार श्री राजकुमार पिता गोपाल प्रसाद को आदेशित किया जाता है कि 07 दिवस के अंदर अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि क्रमशः 270821.60 रुपए, **मकान के एवज में मुआवजा राशि 00.00 रुपये** तथा रोजगार के एवज में मुआवजा राशि **170000.00 रुपये** का भुगतान उचित माध्यम/प्रक्रिया से प्राप्त करें, अन्यथा कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

महाप्रबंधक, एसईसीएल, दीपका क्षेत्र

—00—

एसईसीएल दीपका क्षेत्र की दीपका विस्तार परियोजना हेतु अन्य ग्रामों की भूमियों के साथ ही साथ ग्राम सुवाभोंड़ी की 38.768 हेक्ट. भूमि का अर्जन कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दो पार्ट में किया गया है। ग्राम सुवाभोंड़ी की भूमि का प्रथम पार्ट हेतु भू-अर्जन की धारा 9 (1) की अधिसूचना क्रमांक 3095 दिनांक 24-11-2004 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 04-12-2004 को तथा द्वितीय पार्ट में भू-अर्जन हेतु धारा 9 (1) की अधिसूचना क्रमांक 758 दिनांक 15-03-2010 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 20-03-2010 को किया गया है।

1. ग्राम सुवाभोंड़ी की अधिग्रहित निजी भूमियों के मुआवजा राशि निर्धारण हेतु आवश्यक राजस्व अभिलेख, पत्रक-5 एवं पत्रक-6 का ग्राम के पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार हरदी बाजार द्वारा सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार ग्राम सुवाभोंड़ी स्थित श्री राकेश कुमार पिता गोपाल प्रसाद के नाम पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 376/18 रकबा 0.134 हेक्टेयर /0.33 एकड़ का अधिग्रहण किया गया है।
2. उक्त अधिग्रहित भूमि के मुआवजा का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19-03-2010 के अनुसार वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि हेतु निर्धारित दर एवं RFCTLARR 2013 में जो अधिक है, के अनुसार किया गया है तथा अधिग्रहित भूमि पर निर्मित मकान एवं अन्य परिसंपत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण तत्कालीन समय की राज्य शासन के केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड रायपुर के गाईड लाइन तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली द्वारा गठित कमेटी के द्वारा किए गए सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।
3. ग्राम सुवाभोंड़ी स्थित श्री राजकुमार पिता गोपाल प्रसाद पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 376/18 रकबा 0.134 हेक्टेयर/0.33 एकड़ की मुआवजा राशि 264891.20 रुपए तथा उस पर मकान व अन्य परिसंपत्तियां स्थित नहीं है।
4. ग्राम सुवाभोंड़ी के अर्जित भूमियों के मुआवजा निर्धारण के पश्चात, इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को वर्ष 2017 से निरंतर मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार श्री राकेश कुमार पिता गोपाल प्रसाद को मुआवजा राशि प्राप्त कर लेने हेतु अनेक बार लिखित एवं मौखिक रूप से सूचित किया जा चुका है। ग्राम पंचायत चैनपुर एवं तहसील कार्यालय हरदी बाजार के माध्यम से भी मुआवजा वितरण की सूचना भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को दी गयी है। इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों दिनांक 26-02-2017, 09-08-2019, 10-05-2020, 07-06-2020 तथा 05-06-2022 में भी अर्जित भूमि के खातेदारों के नाम सहित आमसूचना प्रकाशित की गयी है। परंतु श्री राकेश कुमार पिता गोपाल प्रसाद द्वारा अभी तक मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के समक्ष, आवश्यक दस्तावेजों सहित संपर्क नहीं किया गया है। कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु श्री राजकुमार पिता गोपाल प्रसाद के साथ निम्नलिखित पत्राचार किए गए हैं :-

A. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 11 दिनांक 13-07-2020 *"पते पर नहीं मिले"*
B. कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान बाबत पत्र क्र. SECL/GM/DPK/L&R/2017/1470 दिनांक 06/02/2017
C. माननीय उच्च न्यायालय (छ.ग.) में दायर याचिका क्र 3384/2022 में पारित आदेश दिनांक 03/08/2022 के परिपालन में पत्र क्र. 1517 दिनांक 27/09/2022
D. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 163 दिनांक 23/09/2023

5. उपरोक्त जारी पत्रों के माध्यम से श्री राकेश कुमार पिता गोपाल प्रसाद को अनेकों बार सूचित किया गया है कि भूमि एवं उस पर निर्मित मकान का मुआवजा राशि, जिसका उल्लेख कंडिका 3 में किया गया है, को लेकर भूमि एवं मकान का आधिपत्य एसईसीएल के सुपुर्द करें परंतु आज पर्यंत तक श्री राकेश कुमार पिता गोपाल प्रसाद द्वारा उक्त मुआवजा राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
6. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि, ग्राम सुवाभोंड़ी की कुल अधिग्रहित निजी भूमि 35.162 हेक्टेयर के लगभग 76.23 प्रतिशत खातेदारों को 5.30 करोड़ रुपये मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है।
7. श्रीमान कलेक्टर जिला कोरबा के अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पुनर्वास समिति (डीआरआरसी) द्वारा दीपका विस्तार परियोजना हेतु ग्राम सुवाभोंड़ी की अधिग्रहित भूमि से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्रामवासियों की सहमति से बैठक दिनांक 23-11-2016 एवं लिए गए निर्णयों के अनुसार कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 एवं छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्वास नीति 2007 के प्रावधानों में जो भू-विस्थापितों के लिए अधिक लाभकारी हो, के अनुसार रोजगार एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किया जाता है। अतः यह पाया गया कि कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 भू-विस्थापितों के लिए अत्यधिक लाभकारी है, जिसके अनुसार ग्राम सुवाभोंड़ी की कुल अर्जित भूमि रकबा 86.88 एकड़ के एवज में प्रत्येक 2 एकड़ भूमि के अनुपात में कुल 43 रोजगार के पद स्वीकृत है। तदनुसार 43 भूविस्थापितों को उनके अर्जित भूमि के रकबे अनुसार घटते क्रम में कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित वरियता सूची अनुसार एसईसीएल में स्थायी रोजगार प्रदान किया जा रहा है। उक्त सूची अनुसार कट आफ पॉइंट 0.50 एकड़ तक के भूस्वामियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। शेष वंचित भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से न्यूनतम 50 हजार रुपये मुआवजा राशि प्रदान की जा रही है।
8. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान स्थिति में कुल स्वीकृत 43 रोजगार के पदों से 27 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है तथा 16 व्यक्तियों को रोजगार प्रकरण प्रक्रियाधीन है। रोजगार से वंचित 99 भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में 5 लाख रुपये प्रति एकड़ कि दर से मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है तथा 109 भूविस्थापितों का रोजगार के एवज में मुआवजा हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
9. कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित भूमि के रकबे के अनुसार भूविस्थापितों के घटते क्रम की सूची में श्री राकेश कुमार पिता गोपाल प्रसाद का नाम सरल क्रमांक 58 पर स्थित है जो कि अंतिम कट ऑफ रकबा 0.50 एकड़ से नीचे होने के कारण श्री राकेश कुमार प्रचलित पुनर्वास नीति के अनुसार रोजगार की पात्रता नहीं रखते हैं। रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से श्री राकेश कुमार पिता कोमल प्रसाद अपनी अर्जित भूमि का रकबा 0.33 एकड़ होने के कारण 165000.00 रुपए मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु हकदार है।
10. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली के पत्र क्रमांक 1387 दिनांक 24-12-2021 के द्वारा प्रेषित, ग्राम सुवाभोंड़ी के अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास/बसाहट हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची के अनुसार श्री राकेश कुमार पिता गोपाल प्रसाद बसाहट की सुविधा हेतु पात्रता नहीं रखते हैं।
11. **कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत**

"The Competent authority may, by notice in writing require any person in possession of any land acquired under this Act to surrender or deliver possession of the land within such period as may be specified in the notice, and if a person refuse or fails to comply with any such notice, the competent authority may enter upon and take possession of the land and for that purpose may use or cause to be used such force as may be necessary."

केन्द्र सरकार से अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकृत होकर सीबीए एक्ट की धारा-12 के अनुसार श्री राकेश कुमार पिता गोपाल प्रसाद को आदेशित किया जाता है कि 07 दिवस के अंदर अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि क्रमशः 264891.20 रुपए, **मकान के एवज में मुआवजा राशि 00.00 रुपये** तथा रोजगार के एवज में मुआवजा राशि **165000.00 रुपये** का भुगतान उचित माध्यम/प्रक्रिया से प्राप्त करें, अन्यथा कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

महाप्रबंधक, एसईसीएल, दीपका क्षेत्र

—00—

एसईसीएल दीपका क्षेत्र की दीपका विस्तार परियोजना हेतु अन्य ग्रामों की भूमियों के साथ ही साथ ग्राम सुवाभोंड़ी की 38.781 हेक्ट. भूमि का अर्जन कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दो पार्ट में किया गया है। ग्राम सुवाभोंड़ी की भूमि का प्रथम पार्ट हेतु भू-अर्जन की धारा 9 (1) की अधिसूचना क्रमांक 3095 दिनांक 24-11-2004 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 04-12-2004 को तथा द्वितीय पार्ट में भू-अर्जन हेतु धारा 9 (1) की अधिसूचना क्रमांक 758 दिनांक 15-03-2010 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 20-03-2010 को किया गया है।

1. ग्राम सुवाभोंड़ी की अधिग्रहित निजी भूमियों के मुआवजा राशि निर्धारण हेतु आवश्यक राजस्व अभिलेख, पत्रक-5 एवं पत्रक-6 का ग्राम के पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार हरदी बाजार द्वारा सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार ग्राम सुवाभोंड़ी स्थित श्री संजय कुमार पिता कोमल प्रसाद के नाम पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 359/8 रकबा 0.138 हेक्टेयर /0.34 एकड़ का अधिग्रहण किया गया है।
2. उक्त अधिग्रहित भूमि के मुआवजा का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19-03-2010 के अनुसार वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि हेतु निर्धारित दर एवं RFCTLARR 2013 में जो अधिक है, के अनुसार किया गया है तथा अधिग्रहित भूमि पर निर्मित मकान एवं अन्य परिसंपत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण तत्कालीन समय की राज्य शासन के केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड रायपुर के गाईड लाइन तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली द्वारा गठित कमेटी के द्वारा किए गए सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।
3. ग्राम सुवाभोंड़ी स्थित श्री संजय कुमार पिता कोमल प्रसाद पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 359/8 रकबा 0.138 हेक्टेयर/0.34 एकड़ की मुआवजा राशि 272798.40 रुपए तथा उस पर मकान व अन्य परिसंपत्तियां स्थित नहीं है।
4. ग्राम सुवाभोंड़ी के अर्जित भूमियों के मुआवजा निर्धारण के पश्चात, इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को वर्ष 2017 से निरंतर मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार श्री संजय कुमार पिता कोमल प्रसाद को मुआवजा राशि प्राप्त कर लेने हेतु अनेक बार लिखित एवं मौखिक रूप से सूचित किया जा चुका है। ग्राम पंचायत चैनपुर एवं तहसील कार्यालय हरदी बाजार के माध्यम से भी मुआवजा वितरण की सूचना भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को दी गयी है। इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों दिनांक 26-02-2017, 09-08-2019, 10-05-2020, 07-06-2020 तथा 05-06-2022 में भी अर्जित भूमि के खातेदारों के नाम सहित आमसूचना प्रकाशित की गयी है। परंतु श्री संजय कुमार पिता कोमल प्रसाद द्वारा अभी तक मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के समक्ष, आवश्यक दस्तावेजों सहित संपर्क नहीं किया गया है। कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु श्री संजय कुमार पिता गोपाल प्रसाद के साथ निम्नलिखित पत्राचार किए गए हैं :-

A. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 07 दिनांक 13-07-2020 *"पते पर नहीं मिले"*
B. कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार अर्जित भूमि का मुआवजा भुगतान बाबत पत्र क्र. SECL/GM/DPK/L&R/2017/1490 दिनांक 06/02/2017
C. माननीय उच्च न्यायालय (छ.ग.) में दायर याचिका क्र 3384/2022 में पारित आदेश दिनांक 03/08/2022 के परिपालन में पत्र क्र. 1514 दिनांक 27/09/2022
D. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 164 दिनांक 23/09/2023

5. उपरोक्त जारी पत्रों के माध्यम से श्री संजय कुमार पिता कोमल प्रसाद को अनेकों बार सूचित किया गया है कि भूमि एवं उस पर निर्मित मकान का मुआवजा राशि, जिसका उल्लेख कंडिका 3 में किया गया है, को लेकर भूमि एवं मकान का आधिपत्य एसईसीएल के सुपुर्द करें परंतु आज पर्यंत तक श्री राजकुमार पिता गोपाल प्रसाद द्वारा उक्त मुआवजा राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
6. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि, ग्राम सुवाभोंड़ी की कुल अधिग्रहित निजी भूमि 35.162 हेक्टेयर के लगभग 76.23 प्रतिशत खातेदारों को 5.30 करोड़ रुपये मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है।
7. श्रीमान कलेक्टर जिला कोरबा के अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पुनर्वास समिति (डीआरआरसी) द्वारा दीपका विस्तार परियोजना हेतु ग्राम सुवाभोंड़ी की अधिग्रहित भूमि से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्रामवासियों की सहमति से बैठक दिनांक 23-11-2016 एवं लिए गए निर्णयों के अनुसार कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 एवं छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्वास नीति 2007 के प्रावधानों में जो भू-विस्थापितों के लिए अधिक लाभकारी हो, के अनुसार रोजगार एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किया जाता है। अतः यह पाया गया कि कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 भू-विस्थापितों के लिए अत्यधिक लाभकारी है, जिसके अनुसार ग्राम सुवाभोंड़ी की कुल अर्जित भूमि रकबा 86.88 एकड़ के एवज में प्रत्येक 2 एकड़ भूमि के अनुपात में कुल 43 रोजगार के पद स्वीकृत है। तदनुसार 43 भूविस्थापितों को उनके अर्जित भूमि के रकबे अनुसार घटते क्रम में कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित वरियता सूची अनुसार एसईसीएल में स्थायी रोजगार प्रदान किया जा रहा है। उक्त सूची अनुसार कट आफ पॉइंट 0.50 एकड़ तक के भूस्वामियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। शेष वंचित भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से न्यूनतम 50 हजार रुपये मुआवजा राशि प्रदान की जा रही है।
8. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान स्थिति में कुल स्वीकृत 43 रोजगार के पदों से 27 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है तथा 16 व्यक्तियों को रोजगार प्रकरण प्रक्रियाधीन है। रोजगार से वंचित 99 भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में 5 लाख रुपये प्रति एकड़ कि दर से मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है तथा 109 भूविस्थापितों का रोजगार के एवज में मुआवजा हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
9. कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित भूमि के रकबे के अनुसार भूविस्थापितों के घटते क्रम की सूची में श्री संजय कुमार पिता कोमल प्रसाद का नाम सरल क्रमांक 52 पर स्थित है जो कि अंतिम कट ऑफ रकबा 0.50 एकड़ से नीचे होने के कारण श्री संजय कुमार प्रचलित पुनर्वास नीति के अनुसार रोजगार की पात्रता नहीं रखते हैं। रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से श्री संजय कुमार पिता कोमल प्रसाद अपनी अर्जित भूमि का रकबा 0.34 एकड़ होने के कारण 170000.00 रुपए मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु हकदार है।
10. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली के पत्र क्रमांक 1387 दिनांक 24-12-2021 के द्वारा प्रेषित, ग्राम सुवाभोंड़ी के अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास/बसाहट हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची के अनुसार श्री संजय कुमार पिता कोमल प्रसाद बसाहट की सुविधा हेतु पात्रता नहीं रखते हैं।
11. **कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत**

"The Competent authority may, by notice in writing require any person in possession of any land acquired under this Act to surrender or deliver possession of the land within such period as may be specified in the notice, and if a person refuse or fails to comply with any such notice, the competent authority may enter upon and take possession of the land and for that purpose may use or cause to be used such force as may be necessary."

केन्द्र सरकार से अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकृत होकर सीबीए एक्ट की धारा-12 के अनुसार श्री संजय कुमार पिता कोमल प्रसाद को आदेशित किया जाता है कि 07 दिवस के अंदर अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि क्रमशः 272798.40 रुपए, **मकान के एवज में मुआवजा राशि 00.00 रुपये** तथा रोजगार के एवज में मुआवजा राशि **170000.00 रुपये** का भुगतान उचित माध्यम/प्रक्रिया से प्राप्त करें, अन्यथा कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

महाप्रबंधक, एसईसीएल, दीपका क्षेत्र

—00—

एसईसीएल दीपका क्षेत्र की दीपका विस्तार परियोजना हेतु अन्य ग्रामों की भूमियों के साथ ही साथ ग्राम सुवाभोंड़ी की 38.781 हेक्ट. भूमि का अर्जन कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दो पार्ट में किया गया है। ग्राम सुवाभोंड़ी की भूमि का प्रथम पार्ट हेतु भू-अर्जन की धारा 9 (1) की अधिसूचना क्रमांक 3095 दिनांक 24-11-2004 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 04-12-2004 को तथा द्वितीय पार्ट में भू-अर्जन हेतु धारा 9 (1) की अधिसूचना क्रमांक 758 दिनांक 15-03-2010 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 20-03-2010 को किया गया है।

1. ग्राम सुवाभोंड़ी की अधिग्रहित निजी भूमियों के मुआवजा राशि निर्धारण हेतु आवश्यक राजस्व अभिलेख, पत्रक-5 एवं पत्रक-6 का ग्राम के पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार हरदी बाजार द्वारा सत्यापित प्रति उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार ग्राम सुवाभोंड़ी स्थित श्रीमति संतोषी पिता कोमल प्रसाद के नाम पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 376/35 रकबा 0.137 हेक्टेयर /0.34 एकड़ का अधिग्रहण किया गया है।
2. उक्त अधिग्रहित भूमि के मुआवजा का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19-03-2010 के अनुसार वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि हेतु निर्धारित दर एवं RFCTLARR 2013 में जो अधिक है, के अनुसार किया गया है तथा अधिग्रहित भूमि पर निर्मित मकान एवं अन्य परिसंपत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण तत्कालीन समय की राज्य शासन के केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड रायपुर के गाईड लाइन तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली द्वारा गठित कमेटी के द्वारा किए गए सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।
3. ग्राम सुवाभोंड़ी स्थित श्रीमति संतोषी पिता कोमल प्रसाद पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 376/35 रकबा 0.137 हेक्टेयर/0.34 एकड़ की मुआवजा राशि 270821.60 रुपए तथा उस पर मकान व अन्य परिसंपत्तियां स्थित नहीं है।
4. ग्राम सुवाभोंड़ी के अर्जित भूमियों के मुआवजा निर्धारण के पश्चात, इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को वर्ष 2017 से निरंतर मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार श्रीमति संतोषी पिता कोमल प्रसाद को मुआवजा राशि प्राप्त कर लेने हेतु अनेक बार लिखित एवं मौखिक रूप से सूचित किया जा चुका है। ग्राम पंचायत चैनपुर एवं तहसील कार्यालय हरदी बाजार के माध्यम से भी मुआवजा वितरण की सूचना भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को दी गयी है। इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों दिनांक 26-02-2017, 09-08-2019, 10-05-2020, 07-06-2020 तथा 05-06-2022 में भी अर्जित भूमि के खातेदारों के नाम सहित आमसूचना प्रकाशित की गयी है। परंतु श्रीमति संतोषी पिता कोमल प्रसाद द्वारा अभी तक मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के समक्ष, आवश्यक दस्तावेजों सहित संपर्क नहीं किया गया है। कार्यालयीन अभिलेख के अनुसार मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु श्रीमति संतोषी पिता कोमल प्रसाद के साथ निम्नलिखित पत्राचार किए गए हैं :-

A. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 11 दिनांक 13-07-2020 *"पते पर नहीं मिले"*
B. माननीय उच्च न्यायालय (छ.ग.) में दायर याचिका क्र WPS 1819/2017 में पारित आदेश दिनांक 18/04/2017 के परिपालन में पत्र क्र. 26 दिनांक 26/05/2017
C. माननीय उच्च न्यायालय (छ.ग.) में दायर याचिका क्र 3384/2022 में पारित आदेश दिनांक 03/08/2022 के परिपालन में पत्र क्र. 1515 दिनांक 27/09/2022
D. पंजीकृत डाक द्वारा पत्र क्रमांक 165 दिनांक 23/09/2023

5. उपरोक्त जारी पत्रों के माध्यम से श्रीमति संतोषी पिता कोमल प्रसाद को अनेकों बार सूचित किया गया है कि भूमि एवं उस पर निर्मित मकान का मुआवजा राशि, जिसका उल्लेख कंडिका 3 में किया गया है, को लेकर भूमि एवं मकान का आधिपत्य एसईसीएल के सुपुर्द करें परंतु आज पर्यंत तक श्री राजकुमार पिता गोपाल प्रसाद द्वारा उक्त मुआवजा राशि प्राप्त नहीं किया गया है।
6. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि, ग्राम सुवाभोंड़ी की कुल अधिग्रहित निजी भूमि 35.162 हेक्टेयर के लगभग 76.23 प्रतिशत खातेदारों को 5.30 करोड़ रुपये मुआवजा राशि का वितरण किया जा चुका है।
7. श्रीमान कलेक्टर जिला कोरबा के अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पुनर्वास समिति (डीआरआरसी) द्वारा दीपका विस्तार परियोजना हेतु ग्राम सुवाभोंड़ी की अधिग्रहित भूमि से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु ग्रामवासियों की सहमति से बैठक दिनांक 23-11-2016 एवं लिए गए निर्णयों के अनुसार कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 एवं छत्तीसगढ़ राज्य पुनर्वास नीति 2007 के प्रावधानों में जो भू-विस्थापितों के लिए अधिक लाभकारी हो, के अनुसार रोजगार एवं अन्य सुविधाएं प्रदान किया जाता है। अतः यह पाया गया कि कोल इंडिया पुनर्वास नीति 2012 भू-विस्थापितों के लिए अत्यधिक लाभकारी है, जिसके अनुसार ग्राम सुवाभोंड़ी की कुल अर्जित भूमि रकबा 86.88 एकड़ के एवज में प्रत्येक 2 एकड़ भूमि के अनुपात में कुल 43 रोजगार के पद स्वीकृत है। तदनुसार 43 भूविस्थापितों को उनके अर्जित भूमि के रकबे अनुसार घटते क्रम में कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित वरियता सूची अनुसार एसईसीएल में स्थायी रोजगार प्रदान किया जा रहा है। उक्त सूची अनुसार कट आफ पॉइंट 0.50 एकड़ तक के भूस्वामियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। शेष वंचित भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से न्यूनतम 50 हजार रुपये मुआवजा राशि प्रदान की जा रही है।
8. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान स्थिति में कुल स्वीकृत 43 रोजगार के पदों से 27 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है तथा 16 व्यक्तियों को रोजगार प्रकरण प्रक्रियाधीन है। रोजगार से वंचित 99 भूविस्थापितों को रोजगार के एवज में 5 लाख रुपये प्रति एकड़ कि दर से मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है तथा 109 भूविस्थापितों का रोजगार के एवज में मुआवजा हेतु प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
9. कलेक्टर कोरबा द्वारा अनुमोदित भूमि के रकबे के अनुसार भूविस्थापितों के घटते क्रम की सूची में श्रीमति संतोषी पिता कोमल प्रसाद का नाम सरल क्रमांक 56 पर स्थित है जो कि अंतिम कट ऑफ रकबा 0.50 एकड़ से नीचे होने के कारण श्रीमति संतोषी पिता कोमल प्रसाद प्रचलित पुनर्वास नीति के अनुसार रोजगार की पात्रता नहीं रखती है। रोजगार के एवज में पाँच लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से श्रीमति संतोषी पिता कोमल प्रसाद अपनी अर्जित भूमि का रकबा 0.34 एकड़ होने के कारण 170000.00 रुपए मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु हकदार है।
10. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली के पत्र क्रमांक 1387 दिनांक 24-12-2021 के द्वारा प्रेषित, ग्राम सुवाभोंड़ी के अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास/बसाहट हेतु पात्र व्यक्तियों की सूची के अनुसार श्रीमति संतोषी पिता कोमल प्रसाद बसाहट की सुविधा हेतु पात्रता नहीं रखती है।
11. **कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत**

"The Competent authority may, by notice in writing require any person in possession of any land acquired under this Act to surrender or deliver possession of the land within such period as may be specified in the notice, and if a person refuse or fails to comply with any such notice, the competent authority may enter upon and take possession of the land and for that purpose may use or cause to be used such force as may be necessary."

केन्द्र सरकार से अधोहस्ताक्षरकर्ता अधिकृत होकर सीबीए एक्ट की धारा-12 के अनुसार श्रीमति संतोषी पिता कोमल प्रसाद को आदेशित किया जाता है कि 07 दिवस के अंदर अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि क्रमशः 270821.60 रुपए, **मकान के एवज में मुआवजा राशि 00.00 रुपये** तथा रोजगार के एवज में मुआवजा राशि **170000.00 रुपये** का भुगतान उचित माध्यम/प्रक्रिया से प्राप्त करें, अन्यथा कोल बेयरिंग एरियाज (ए एण्ड डी) एक्ट 1957 की धारा-12 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

महाप्रबंधक, एसईसीएल, दीपका क्षेत्र

एसईसीएल दीपका क्षेत्र की दीपका विस्तार परियोजना हेतु अन्य ग्रामों की भूमियों के साथ ही ग्राम ग्राम सुवाभोंडी की 18.788 हेक्ट. भूमि का अर्जन कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत भारत सरकार के कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दो पार्ट में किया गया है। ग्राम सुवाभोंडी की भूमि का प्रथम पार्ट हेतु भू-अर्जन की धारा 9 (i) की अधिसूचना क्रमांक 3095 दिनांक 24-11-2004 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 04-12-2004 को तथा द्वितीय पार्ट में भू-अर्जन हेतु धारा 9 (i) की अधिसूचना क्रमांक 758 दिनांक 15-03-2010 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 20-03-2010 को किया गया है।

1. ग्राम सुवाभोंडी की अधिग्रहित निजी भूमियों के मुआवजा राशि निर्धारण हेतु आवश्यक राजस्व अभिलेख, पंचक-5 एवं पंचक-6 का ग्राम के पटवारी, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार हरदी बाजार द्वारा सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई गयी जिसके अनुसार ग्राम सुवाभोंडी स्थित सुनीता पिता कोमल प्रसाद के नाम पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 376/34kh रकबा 0.109 हेक्टेयर /0.27 एकड़ का अधिग्रहण किया गया है।
2. उक्त अधिग्रहित भूमि के मुआवजा का निर्धारण छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19-03-2010 के अनुसार वाणिज्यिक एवं औद्योगिक परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि हेतु निर्धारित दर एवं RFCTLARR 2013 में जो अधिक है, के अनुसार किया गया है तथा अधिग्रहित भूमि पर निर्मित मकान एवं अन्य परिसंपत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण तत्कालीन समय की राज्य शासन के केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड रायपुर के गाईड लाइन तथा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पाली द्वारा गठित कमेटी के द्वारा किए गए सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर किया गया है।
3. ग्राम सुवाभोंडी स्थित सुनीता पिता कोमल प्रसाद पर अभिलिखित भूमि खसरा नं. 376/34kh रकबा 0.109 हेक्टेयर/0.27 एकड़ की मुआवजा राशि 215471.20 रुपए तथा उस पर मकान व अन्य परिसम्पत्तियां स्थित नहीं है।
4. ग्राम सुवाभोंडी के अर्जित भूमियों के मुआवजा निर्धारण के पश्चात, इस कार्यालय द्वारा भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को वर्ष 2017 से निरंतर मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। कार्यालयीन अभिलेखों के अनुसार सुनीता पिता कोमल प्रसाद को मुआवजा राशि प्राप्त कर लेने हेतु अनेक बार लिखित एवं मौखिक रूप से सूचित किया जा चुका है। ग्राम पंचायत चैनपुर एवं तहसील कार्यालय हरदी बाजार के माध्यम से भी मुआवजा वितरण की सूचना भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को दी गयी है। इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों दिनांक 26-02-2017, 09-08-2019, 10-05-2020, 07-06-2020 तथा 05-06-2022 में भी अर्जित भूमि के [illegible]

[illegible]

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, प्रक्षेत्र-दुर्ग (छ.ग.)

छ.ग.गृह निर्माण मण्डल के आवासीय भूखण्डों/आवासीय भवनों को फ्री होल्ड के रूप में परिवर्तन करने के संबंध में छ.ग. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय रायपुर के आदेश क्रमांक एफ. 1-100/2009/32 रायपुर दिनांक 30.12.2011 एवं समसंख्यक आदेश दिनांक 13.03.2012 के परिपालन में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मण्डल के निम्नलिखित हितग्राहियों के द्वारा जिनके नाम व कॉलोनी का नाम एवं आवासीय भू-खण्ड/भवन क्रमांक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा आबंटित है, को फ्री-होल्ड के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस आम सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के अन्दर यदि कोई आपत्ति हो तो मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय दिवस में प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

क्रं.	आबंटी का नाम	पिता/पति का नाम	कॉलोनीयों का नाम	भवन/भूखण्ड/दुकान क्रं.
1	श्री कन्हैया लाल पटेल एवं श्रीमती मीनाक्षी बेन पटेल	आ. श्री बी.एम. पटेल एवं पति श्री कन्हैया लाल पटेल	तालपुरी भिलाई	जूही-520
2	श्री के. संतोष कुमार	आ. स्व. के. नागैया	उमदा भिलाईएल.आई.जी.-239	
3	श्रीमती निर्मला साहू	पति श्री सुभाष साहू	आदित्य नगर	दुकान नं.-10
4	श्री रमेशचंद्र कामड़े	आ. स्व. एस.के. कामड़े	आदित्य नगर	दुकान नं.-12
5	श्री भूपेश रहांडले	आ. स्व. मंशाराम	आदित्य नगर	दुकान नं.-13,14
6	श्री के.के. एन. सिंह एवं श्रीमती प्रेमासिंह	आ. श्री जे.पी. सिंह एवं पति श्री के.के. एन. सिंह	तालपुरी भिलाई	मोगरा-146
7	श्री शारद कुमार देवांगन	आ. श्री बाबूलाल देवांगन	आदित्य नगर	दुकान नं.-17,18
8	श्री गणेश सिंह यादव	आ. श्री कृष्णादेव सिंह यादव	आदित्य नगर	दुकान नं.-13
9	श्री शुशांतदुखहरण सिंह	आ. स्व. दुखहरण सिंह	कुरूद भिलाई	ई.डब्ल्यू.एस.-215
10	श्री शुशांत सिंह	आ. स्व. दुखहरण सिंह	कुरूद भिलाई	ई.डब्ल्यू.एस.-220
11	श्रीमती साधना सिंह	पति श्री अजय सिंह	कुरूद भिलाई	ई.डब्ल्यू.एस.-216
12	तरनजीत सिंह	स्व. रंगा सिंह	औ.क्षेत्र भिलाई	व्यवसायिक भूखंण्ड 2/बी

सम्पदा अधिकारी
छ.ग. गृह निर्माण मण्डल,
प्रक्षेत्र-दुर्ग (छ.ग.)

कोयलीबेड़ा में पेंशन समाधान शिविर आयोजित

कांकेर/नवप्रदेश। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार जिले के विकासखण्डों में जिला कोषालय द्वारा लंबित पेंशन प्रकरणों के समाधान के लिए पेंशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज उप कोषालय कार्यालय कोयलीबेड़ा में पेंशन समाधान शिविर का आयोजन किया गया। जिला कोषालय अधिकारी ने बताया कि शिविर में कुल 04 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें नॉमिनी द्वारा ओपीएस विकल्प प्रस्तुत किया गया था, जिसका प्रकरण तैयार करने संबंधित आवश्यक जानकारी दी गई तथा जिला कोषालय प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा बीईओ कोयलीबेड़ा के एक प्रकरण में जीपीएफ फाइनल पेमेंट में ऋणात्मक शेष संबंधित समस्या का निवारण पश्चात् कोषालय मे बिल प्रस्तुत करने कहा गया है। बीईओ अंतर्गत एक सेवानिवृत्त कर्मचारी का अपने बच्चों के साथ संयुक्त खाता होने के कारण प्रकरण तैयार नहीं किया गया था जिसका खाता पृथक कर प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं। साथ ही सेवानिवृत्त पूर्व पेंशन प्रकरण की तैयारी करने विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ए.एस. पैकरा, जिला कोषालय अधिकारी रामानंद कुंजाम एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

कार्यालय नगर पालिक निगम, जगदलपुर जिला-बस्तर (छ.ग.)

मैनुअल पद्धति तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना

क्रमांक 3921 का.पा.अ./ज.प्र.शा./न.पा.नि./2023 जगदलपुर, दिनांक 9/01/2024

नगर पालिक निगम, जगदलपुर की जलप्रदाय शाखा के अंतर्गत नयामुण्डा फिल्टर प्लांट के मरम्मत एवं संधारण का कार्य संपादित किये जाने हेतु इच्छुक संस्थानों से फार्म 'A' में स्पीड पोस्ट/रजिस्ट्र्ड पोस्ट द्वारा दिनांक 29.01.2024 को अपरान्हः 05.00 बजे तक मुहरबंद मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र मुल्य	कार्य की अवधि
1	फिल्टर प्लांट का मरम्मत एवं संधारण कार्य।	Rs-8.89 Lacs	Rs-27000.00	Rs-750.00	अनुबंध संपादन उपरांत वर्षभर अनुसार

प्राप्त निविदायें दिनांक 30.01.2024 को पूर्वान्हः 11.30 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र कार्यालय से जारी किया जावेगा। इस हेतु कोरे निविदा प्रपत्र दिनांक 23.01.2024 को सायं 05.30 बजे तक आवेदन पत्र के साथ निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित शुल्क सहित प्रस्तुत करने पर दिनांक 24.01.2024 को कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा प्रपत्र (फार्म 'A') विस्तृत नियम तथा शर्तें एवं सामग्रियों का विस्तृत विवरण नगर पालिक निगम, जगदलपुर की विभागीय वेबसाईट www.nagarnigamjagdalpur.in एवं http://uad.cg.gov.in तथा Potal (http://eproc.cgstate.gov.in/offline Tender पर अवलोकन किया जा सकता है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम, जगदलपुर

कलेक्टर चौहान बरमकेला के स्कूल, छात्रावास और धान खरीदी केन्द्र का किए निरीक्षण

बिलाईगढ़/नवप्रदेश। कलेक्टर के एल चौहान ने बरमकेला विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला डोंगरीपाली का निरीक्षण किया एवं कक्षा 7 के छात्रों से 13 एवं 17 का पहाड़ा पूछा, छात्रों ने उत्साहपूर्वक पहाड़ा बताया तो कलेक्टर ने खुश होकर छात्राओं को चाकलेट देकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान कलेक्टर श्री चौहान ने बच्चों संग साथ बैठकर मध्यान्ह भोजन ग्रहण किया। भोजन उपरांत कलेक्टर ने कृषि मंडी डोंगरीपाली का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तौल की जानकारी, हमालों की संख्या, बारदाना की उपलब्धता की जानकारी ली एवं स्वयं कम्प्यूटर में जांच किया। इसके साथ ही धान विक्रय करने आए किसानों से धान की पैदावार के बारे में जानकारी ली और नमी की जांच की। उपस्थित किसानों एवं स्थानीय नागरिकों ने इस दौरान एटीएम की मांग किए, जिस पर कलेक्टर ने जांच कर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने ग्राम दुलोपाली में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत बने रहे आवास का निरीक्षण किया और हितग्राही रामजीलाल साव के घर जाकर उन्हें अपने हाथों से एक घरेलु उपयोग के पुरस्कार प्रदान किया, जिस पर श्री साव ने कलेक्टर को धन्यवाद ज्ञापित किया। कलेक्टर ने बरमकेला तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया एवं उपस्थित स्टाफ से उनके कार्यो के बारे में जानकारी लिया।

कोंडागांव में अंगना मा शिक्षा का प्रशिक्षण

कोंडागांव/नवप्रदेश। जिला मुख्यालय कोंडागांव के बीआरसी भवन कोंडागांव में 10 जनवरी को ÷अंगना मा शिक्षा÷ के प्रथम चरण का प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया था ,जिसमें माताओं एवं बच्चों के बीच किए जाने वाले विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों की प्रदर्शन कर जानकारी दी गई। इस मौके पर विशेष कर नवपदस्थ शिक्षिकाओं ने उत्साहपूर्वक गतिविधियों में भागीदारी दी।इस संबंध में जिला मीडिया प्रभारी शैलेंद्र ठाकुर ने बताया कि जनवरी,फरवरी मार्च के अंतिम सप्ताह में भाषाई एवं गणितीय गतिविधि कराया जाएगा। प्रत्येक माह में दो विषय पर गणित एवं भाषा के कौशल विकास हेतु पहली, दूसरी कक्षा के बच्चों एवं उनके माताओं के बीच सहज गतिविधि सम्पन्न कराया जाएगा एवं आगामी 25 अप्रैल को पढ़ाई तिहार आयोजित होगा । छत्तीसगढ़ के महिला शिक्षिकाओं द्वारा विकसित इस कार्यक्रम की प्रशंसा पूरे देश में हो चुकी है। यह प्रशिक्षण डीआरजी शिक्षक प्रशिक्षक दीपमाला वैष्णव एवम् प्रियंका पटेल के द्वारा सम्पन्न कराया गया। इस प्रशिक्षण में खण्ड श्रोत समन्वयक रामलाल नेताम, एपीसी रुपसिंह सलाम,एफएलएन जिला प्रभारी टोपेश्वर साहू ने प्रशिक्षणार्थियों से फीडबैक प्राप्त कर प्रसन्नता जाहिर करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में सभी को प्राथमिक शिक्षा के दौरान स्थानीय भाषा के प्रयोग पर विशेष ध्यान देने की बात कही। इस दौरान विकास खण्ड के विभिन्न संकुल केंद्र से एक-एक महिला शिक्षिकाएं एवं संकुल समन्वयक गण उपस्थित थे।

आपदा पीड़ितों के 4 वारिसों को 16 लाख रुपए की मदद

बीजापुर/नवप्रदेश। कलेक्टर अनुराग पाण्डेय द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र (6)4 के तहत् प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों को प्रत्येक को 4-4 लाख रुपए कुल 16 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। जिसके अंतर्गत पानी में डूबने से मृत्य के 4 प्रकरण में मृतक कुम्मा लेकामी के निकटतम वारिस उनकी पत्नी श्रीमती पोलो लेकामी, मृतक यालम रामा के निकटतम वारिस उनके पुत्र मुन्ना यालम, मृतका दुब्बा रटनक्का के निकटतम वारिस उनके पति साम्बैया एवं मृतका सरिता पोयाम के निकटतम वारिस उनके पिता बोटी राम पोयाम निवास ग्राम जांगला तहसील भैरमगढ़ जिला बीजापुर को प्रत्येक को 4-4 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।

■ न्यूज गैलरी

सात दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ

मुंगेली/नवप्रदेश। सात दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन स्वर्गीय बेचूराम साहू के वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर पथरिया में किया जा रहा है। कार्यक्रम में भागवताचार्य पंडित घनश्याम बेरला बेमेतरा द्वारा प्रतिदिन कथा सुनाये जा रहे हैं। कथा का समापन 12 जनवरी को होगा। यजमान कृष्ण कुमार साहू एवं तिरीथ साहू है। भगवान श्रीकृष्ण के बाल-लीलाओं को बहुत ही सुंदर शैली में सुनाया गया तथा कृष्ण रुक्मणी विवाह की कथा को जीवंत झांकी के माध्यम से दिखाया गया, जो बहुत ही सराहनीय रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने विष्णु प्रसाद साहू, गुत्तेश्वर साहू, डीकेश्वर साहू, सत्येंद्र साहू, गुरुकांत साहू, भागीरथी साहू, नितेश साहू एवं कार्यकर्तागण लगे हुए हैं। उक्त जानकारी जनपद सदस्य जानकी डॉ. रामकुमार साहू ने दी।

राजिम जयंती पर निकली कलश यात्रा

मुंगेली/नवप्रदेश। ग्राम चातरखार में युवा प्रकोष्ठ तहसील साहू संघ मुंगेली के द्वारा साहू समाज का आराध्य देवी भक्तिन माता राजिम जयंती के शुभ अवसर में बजरंग चैक में माता राजिम की पूजा अर्चना कर बूंदी प्रसाद वितरण किया गया। साथ ही अक्षत यात्रा का भव्य स्वागत कर पूरे ग्राम में कलश यात्रा किया गया। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ तहसील साहू संघ चुणामड़ी साहू, तहसील मिडिया प्रभारी धर्मेन्द्र साहू, रेशकुमार दिवाकर सरपंच ग्राम पंचायत चातरखार, ग्रामीण अध्यक्ष लखन साहू, नंदू, सतीश, मुकेश, पेखन, अश्विनी, रुपू, गोकुल, बैसाखु, रामस्वरूप, दिलहरन, यशवंत, श्यामसुंदर, मुरारी, टुकेश्वर, कृष्णा, रामभरोस साहू, विकास बैरागी एवं समस्त ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ

मुंगेली/नवप्रदेश। युवा क्रिकेट क्लब सेतगंगा के तत्वावधान में रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्राचीन श्रीराम जानकी के पुजारी राधेश्याम दास, सामाजिक कार्यकर्ता जय देवांगन, कमल लोचन टोन्डर, कंन्हैया सिंह बैस, नरेन्द्र जायसवाल, अखिल टोन्डर, भागीरथी सिंह, प्रमोद सोनी, सतीश देवांगन, राजकुमार चैहान, हरिशंकर गुप्ता, किशन गुप्ता, संतोष देवांगन, अभिषेक जायसवाल, अमर दास टोन्डर ने फीता काटकर किया। क्रिकेट कलब अध्यक्ष ने बताया कि मुंगेली व झलियापुर के मध्य शुभारंभ मैच हुआ। जिसमे मुंगेली के टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए झलियापुर के टीम को 44 रन से जीत दर्ज की। संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि राधेश्याम ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। सरपंच जय देवांगन ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है केवल उन्हें मंच की आवश्यकता है। कार्यक्रम में शेखर भास्कर, पोसगी देवांगन, रमाकांत जायसवाल, बलराम देवांगन, मोंटू जायसवाल, राजकुमार चैहान, अभिषेक जायसवाल, सुनील देवांगन, श्रवण श्रीवास, दिलीप देवांगन, मुरारी गुप्ता, अभिषेक जायसवाल, विक्की, दिनेश, जितेश, देवेंद्र, विजय निर्मलकर, ईश्वर टोन्डर, सुप्रीमो भास्कर, गणेश निर्मलकर, हनुमान श्रीवास, रामू, श्रीधर, समीर, राजा ठाकुर, गज्जू, दादा चैहान, भवानी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

भव्य संध्या फेरी निकाली

मुंगेली/नवप्रदेश। 22 जनवरी को हो रहे राम जन्म भूमि के प्राण प्रतिष्ठा पर जहां सारा देश राममय हो गया है। नगर में भी प्रभात फेरी के अलावा संध्या फेरी निकालकर राम जन्म भूमि की प्राण प्रतिष्ठा में अपना योगदान दे रहे है। समस्त हिन्दू धर्मावलंबियों के द्वारा 22 जनवरी तक प्रतिदिन नगर में भव्य संध्या फेरी निकाली जा रही है जो शनि मंदिर पुराना बस स्टैण्ड से निकलकर नगर के विभिन्न मार्गो से होते हुए शनि मंदिर पुराना बस स्टैण्ड में समाप्त हुई। प्रथम दिन ही लगभग 100 से 150 लोगों ने इसमें अपनी सहभागिता दी। राम नाम का जाप करते हुए शहर के प्रमुख मार्गो से यह सांध्य रैली निकलते हुए शनि मंदिर में समाप्त हुई। जिसमें विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल के सदस्यों एवं श्रद्धालुजन शामिल रहे।

स्टालों का उप मुख्यमंत्री ने किया अवलोकन

स्टालों का उप मुख्यमंत्री ने किया अवलोकन

मुंगेली/नवप्रदेश। विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की सामाजिक आर्थिक उन्नति एवं बैगा आदिवासी परिवारों को विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ एक मंच पर दिलाने के लिए पीएम जनमन योजना अंतर्गत लोरमी विकासखंड के ग्राम खुड़िया में आज विशेष मेगा शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने शिविर में लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया और विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी ली।

शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री अरूण साव शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री श्री साव का शिविर स्थल में पहुंचने पर खुमरी पहनाकर तथा प्रतिकात्मक हल प्रदान कर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरूआत उप मुख्यमंत्री श्री साव ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने शिविर में लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया और विभाग द्वारा संचालित योजनाओं एवं लाभान्वित हितग्राहियों की जानकारी ली। उन्होंने शिविर स्थल में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के अंतर्गत प्रचार वैन में चल रहे प्रधानमंत्री का रिकार्डेड संदेश और चलचित्र के प्रसारण का भी अवलोकन किया। शिविर में उप मुख्यमंत्री श्री साव ने 20 बैगा आदिवासी युवाओं को अतिथि शिक्षक के लिए नियुक्ति पत्र एवं विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को चेक एवं सामाग्री वितरण कर लाभान्वित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए आज खुड़िया में पीएम जनमन मेगा शिविर लगाया गया है। एक ही मंच पर विभिन्न विभागों द्वारा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से संबंधित शिविर लगाया गया है। शिविर के माध्यम से सरकार को आपके गांव में लाकर खड़ा किया गया है। शिविर में जितने स्टॉल लगे है उनका जरूर अवलोकन करें। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि पहली बार ऐसी योजना बना है, जिसमें गांव, गरीब के द्वार तक सरकार पहुंच रही है और वंचित पात्र हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी के साथ उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आप सभी की समस्याओं का हल करने के लिए तत्पर है। हम सब मिलकर मोदी जी के सपना को साकार करेंगे। खुशहाल भारत, विकसित भारत का निर्माण करेंगे। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि जब तक गांव, गरीब किसान की तरक्की नहीं होगी। तब तक देश की तरक्की नहीं होगी। सरकार बनने के बाद हमने मोदी की गारंटी को पूरा करने की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले 18 लाख गरीब परिवारों का आवास बनाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद प्रदेश के 12 लाख किसानों के खाते में लंबित बोनस की राशि का अंतरण किया गया। उन्होंने कहा कि 31 सौ रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी की जाएगी। गरीब परिवार के जीवन में खुशहाली आए। इसका इंतजाम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया है। आज एक किसान आदिवासी समाज का बेटा प्रदेश का मुख्यमंत्री बना है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ खुड़िया क्षेत्र के विकास के लिए चर्चा हुई है, जिसमें उन्होंने क्षेत्र की तरक्की के लिए काम करने हेतु भरोसा दिलाया है। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने 03 एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना- उप मुख्यमंत्री साव ने सुदूर वनांचल क्षेत्र परिवारों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने शिविर से तीन एंबुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

डायवर्सन, ऋण पुस्तिका व नामांतरण के लिए भटक रहे लोग

मुंगेली/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री साय ने राजस्व प्रकरणों के जल्द निपटारे के साथ ही आम लोगों को सहुलियत देने कहा है। सरकार आम लोगों के लिए राजस्व प्रकाणों में सरलीकरण की कोशिशों में लगी हुई है, लेकिन सीएम के बयान और सरकार की पहल के बाद भी जिले में स्थिति नहीं बदला है। नजूल सहित डायवर्सन से लेकर ऋण पुस्तिका व नामांतरण के लिए लोगो को दलाल के साथ- साथ स्वय को लगातार दफ्तरों के चक्कर काटने पड रहे है। पिछले कुछ सालों से शुरू हुआ लूट का खेल अब भी जारी है। तहसील के साथ हो जिले के सभी अनुविभागीय दफ्तर बकायदा रेट कार्ड तय कर दिए गए हैं। जिनके अनुसार ही डायवर्सन से लेकर ऋण पुस्तिका व नामांतरण तक के लिए तब रकम लेने लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं अपना काम कराने के लिए लगातार दफ्तरों के चक्कर काटकर परेशान होने के बाद जब लोग अपना काम करने के लिए तय रकम दे रहे हैं तो भी उनका काम जल्दी नहीं हो रहा है।

श्याम महोत्सव में नंदू शर्मा के भजन पर श्रद्धालु झूमे

पेंड्रा। नगर के श्याम मंदिर परिसर में अहमदाबाद के प्रसिद्ध भजन गायक नंदू शर्मा मधुर भक्ति गंगा की प्रस्तुति देकर लोगों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने लोकिप्रिय भजन कीर्तन की है रात..., बाबा आज थाने आणो हैं...., दुनिया में श्याम हमको तेरा ही सहारा..., भरदे रे श्याम झोली भरदे साथी... साथ कई प्रसिद्ध भजन गाए। श्याम महोत्सव में उन्होंने श्याम प्रभु खाटू वालों की महिमा का गुणगान किया। उनकी भजन को सुनकर श्रद्धालु झूम उठे। इससे पूर्व श्याम परिवार के सदस्यों ने श्याम बाबा की गई पूजा अर्चना की। इसके बाद भजन गायक नंदू शर्मा ने एक से बढ़कर भजन की प्रस्तुति दी। साथ ही में कोलकाता गायिका ने भी टीटी भजन से लोगों को भावभक्ति की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के समापन के बाद साथ भजन गायक नंदू शर्मा पेंड्रा निवासी विनोद पंसारी और स्व. राकेश शर्मा के निज निवास में पहुंचकर उनके स्वजन से मुलाकात किए। उस्मान इसी दौरान आयुष्मान शर्मा से भी मुलाकात की इस अवसर पर श्याम मंडली म छप्पन भोग का भी इंतजाम किया गया था।

ट्रेक्टर को बस ने मारी ठोकर, जुर्म दर्ज

मुंगेली/नवप्रदेश। धान बेचकर लौट रहे ट्रेक्टर को पक्षीराज बस ने ठोकर मार दिया। जिससे ट्रेक्टर में सवार श्रमिक बादल यादव के बाये पैर में चोटे आई। जिसे 108 की सहायता से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी प्राथमिक उपचार पश्चात बिलासपुर सिम्स रिफर किया गया। प्रार्थी की सूचना पर पुलिस धारा 279, 337 के तहत जुर्म दर्ज कर मामले की विवेचना कर रही है। 9 जनवरी को ट्रेक्टर क्रमांक सीजी 10 डी 6774 को लेकर लेवर बादल यादव, विरेन्द्र यादव, देवेन्द्र सतनामी के साथ रावणभाठा से धान लेकर बायपास गये थे वहां से धान खाली कर वापस मुंगेली आ रहे थे उसी समय करीब 3.30 बजे दोपहर में साइंस कालेज के आगे मेन रोड में पीछे से आ रही पक्षीराज बस क्रमांक एमपी 07 पी 4299 के चालक के द्वारा तेज एवं लापरवाही पूर्वक बस चलाकर ट्रेक्टर के पीछे को ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया।

आवेदन जमा करने और जानकारी लेने के लिए कार्यालय के चक्कर काट रहे लोग

मुंगेली/नवप्रदेश। महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाएं ग्राम पंचायत से लेकर जनपद कार्यालयों में आवेदन जमा करने तथा जानकारी लेने के लिए चक्कर काट रहे है। वार्डों में महतारी वंदन के फॉर्म भरने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं से महिलाएं राशि में देरी होने से नाराज होकर तकादा कर रही हैं। ऐसे में भाजपा कार्यकर्ता महिलाओं को आश्वासन देने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आगामी केबिनेट की बैठक में इस संदर्भ में चर्चा किये जाने की संभावना है।

विधानसभा चुनाव में भाजपा ने महिलाओं के लिए सबसे बड़ा चुनावी वादा महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को 12 हजार रुपए के सालाना देने का किया था। सूत्र यह भी बता रहे है कि भाजपा की सरकार बनने के बाद मंत्रालय में अमली जामा पहनाने का काम जोरों पर चल रहा है। ताकि लोकसभा चुनाव के पहले महिलाओं से किए वादे पूरा कर सके। विधानसभा चुनाव के पहले इस संबंध में महिलाओं को फार्म बांटे गए थे। जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव के बाद भी जनप्रतिनिधियों द्वारा शेष बचे फॉर्म को भराया गया था। जिसमें खाता नंबर सहित अन्य जानकारियां मांगी गई थी। लेकिन सरकार बनने के बाद महिलाएं राशि नही आने से कार्यालयों का चक्कर काट रही है। ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत में महिलाएं योजना के संबंध में फार्म भरने एवं अन्य जानकारियों के लिए कार्यालय के चक्कर काट रहे है। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र की कम्प्यूटर दुकानों में भी महिलाएं संपर्क कर पूछताछ कर रही है। दुकानदार उन्हे जनपद पंचायत कार्यालय में संपर्क करने के लिए कह रहे है। महतारी वंदन योजना के संबंध में महिलाएं जनपद कार्यालय में पहुंची महिलाओं को पंचायत निरीक्षक ने बताया कि अभी इस संबंध में किसी प्रकार की कोई शासन से निर्देश नही आया है।

दिव्यांग बच्चों ने दिखाया खेल कौशल

सक्ती/नवप्रदेश। राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार आज जिले के आत्मानंद स्कूल प्रांगण कसेरपारा सक्ति में समावेशी शिक्षा अंतर्गत दिव्यांग बच्चों का जिला स्तरीय खेल का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम प्रारंभ में खेल आयोजन मां सरस्वती की छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित की गई, इसके उपरांत खेल प्रारंभ किया गया। खेल गतिविधियों में अस्थि बाधित बालक बालिकाओं की पृथक पृथक ट्राई साइकिल दौड़, बैसाखी दौड़, श्रवण बाधित बच्चों का 50 मीटर दौड़, मानसिक मंदता वाले बच्चों का जलेबी दौड़, सॉफ्ट बोल थ्रो, श्रवण बाधित बच्चों का कुर्सी दौड़, मटका फोड़, अन्य दिव्यांग बच्चों का रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियां आयोजित किये गए।

कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन का वार्षिक कैलेण्डर विमोचित

सक्ती/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन जिला इकाई सक्ती का शासकीय अवकाश कैलेण्डर 2024 का विमोचन कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना एवं पुलिस अधीक्षक एम.आर.आहिरे के कर कमलो से आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ आर.के.खुटें अपर कलेक्टर वीरेन्द्र लकड़ा, डिप्टी कलेक्टर के.एस.पैकरा, नोडल अधिकारी बी.पी.भारद्वाज, तहसीलदार मनमोहन प्रताप सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी बी.एल.खरे, मंचस्थ रहे, इस अवसर पर फेडरेशन के जिला संयोजक राधे लाल भारद्वाज प्रमुख संरक्षक रमेश तिवारी, विजय बहादुर सिंह, सक्ती तहसील संयोजक राधे श्याम साहू, मालखरौदा तहसील संयोजक विकास चौबे, जैजैपुर तहसील संयोजक बंशी बिहारी बनाफर, वरिष्ट उपाध्यक्ष अशोक कुमार राठौर, डिप्लोमा इन्जीनीयरिंग एशोसिएशन जिला अध्यक्ष वाई.आर.एस.माण्डलेकर, रामनाथ ध्रुव, महेन्द्र कपूर कुर्रे, सुमित राजपूत, ज्ञानिक चन्द्र जांगडे, धंनजय चन्द्रा, सहायक शिक्षक फेडरेशन जिला अध्यक्ष भोलाशंकर साहू, सिकन्दर सिंह खुटें, श्याम कुमार सोने, पी.एच.ई., पीयूष पाण्डेय, सरिता खुटें, पायल देवागन, संतोष मेहरा, नितिश कंवर, देव भारद्वाज, विकास तिवारी, शिव सहाय नृसिंह, रोशन पटेल, यू.आर.पटेल, श्याम लाल सितारे, अनिता अग्रवाल आदि कर्मचारी-अधिकारी उपस्थित रहे।

शिविर में 150 से ज्यादा लोगों की नि :शुल्क स्वास्थ्य जांच

अंबिकापुर/नवप्रदेश। केन्द्र सरकार की विभिन्न जनहितकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन सभी पंचायतों में किया जा रहा है।

इसी कड़ी में गत दिवस जनपद क्षेत्र मैनपाट के ग्राम पंचायत कुदारीडीह में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में सीईओ जिला पंचायत नूतन कुमार कंवर एवं उप संचालक पंचायत यशपाल प्रेक्षा, सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। इस अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी शिविर में उपस्थित लोगों को दी गई। इसके साथ ही जनसमूह को पात्रता अनुसार इन योजनाओं का लाभ लेने प्रोत्साहित भी किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 169 लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच का लाभ दिया गया और 8 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जोड़ते हुए आयुष्मान कार्ड का वितरण किया । योजना के तहत 19 हितग्राहियों का पंजीयन किया गया। इस दौरान स्थानीय ग्रामीण कलाकारों द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई।

प्रतिभा को सम्मान मिलने से प्रोत्साहन मिलता है-अक्षय

पेंड्रा/नवप्रदेश। दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय जिमनास्टिक क्रीडा प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाली शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकोला की 13 जिमनास्टिक छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित कर उनका अभिनंदन किया गया तथा उनके सम्मान में भोज एवं भंडारे का आयोजन किया गया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला सकोला विकासखंड पेंड्रा जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में राष्ट्रीय जिमनास्टिक क्रीडा प्रतियोगिता में भाग लेने वाली विद्यालय की 13 जिमनास्टिक छात्राओं का सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि विद्यालय के जन भागीदारी अध्यक्ष सतीश शर्मा थे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के प्राचार्य अक्षय नामदेव ने की। इस अवसर पर प्राचार्य अक्षय नामदेव ने कहा कि सम्मान से आगे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली इन छात्रों ने अपनी उपलब्धियां से न सिर्फ विद्यालय का बल्कि अपने जिले एवं राज्य का नाम रोशन किया है। विद्यालय जन भागीदारी के अध्यक्ष सतीश शर्मा ने छात्राओं को उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हुए कहा कि इसी तरह वह मेहनत करते रहे और हमारे जिले का नाम रोशन करते रहें।

समापन नवाडीह स्कूल में राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर

रासेयो मानवीय गुणों के विकास का मंच- चौधरी

रायगढ़/नवप्रदेश। शास उच्च मा वि बड़े भंडार शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ से संबद्ध राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का सात दिवसीय विशेष शिविर का समापन सुशील भोई जनपद पंचायत अध्यक्ष, गोपी चौधरी जनपद पंचायत उपाध्यक्ष ,विधायक प्रतिनिधि नरेश तिवारी के आतिथ्य में सरपंच विष्णु प्रिया गुप्ता के अध्यक्षता में प्राचार्य एस एल सिदार के संरक्षण में कार्यक्रम अधिकारी पुष्पांजलि दासे के नेतृत्व एवम दिशा निर्देशन में लोकेंद्र डनसेना सुरेश डेंजारे के सहयोग से ग्राम नवाडीह के प्राथमिक शालेय प्रांगण में संपन्न हुआ। नशा मुक्त समाज के लिए युवा विषय पर आधारित शिविर का समापन रासेयो प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद जी के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर समापन समारोह प्रारंभ हुआ।रूपा मैत्री और लता मैत्री द्वारा सुमधुर ध्वनि में स्वागत गीत और सरस्वती वन्दना की प्रस्तुति हुई। लोकेंद्र दनसेना और शिविरार्थी छात्र शिवम पटेल द्वारा शिविर प्रतिवेदन दिया गया। सात दिन तक विभिन्न रचनात्मक कार्य, स्थायी निर्माण कार्य जैसे सोखता गड्ढा,कचरा निस्तारण के लिए कूड़ा दान,वृक्ष चबूतरा निर्माण,दीवाल रंग रोगन विद्यालय परिसर की साफ सफाई, गांव गलियों की सफाई, जलाशयों की सफाई,सांस्कृतिक कार्यक्रम , नाटकों के जरिए नशा मुक्ति,सड़क दुर्घटना, सोशल मीडिया के बढ़ते दुष्प्रभाव आदि ज्वलंत मुद्दों के लिए संदेश दिया गया। योग, प्रभात फेरी आदि कार्य संपादित किए गए। गोपी चौधरी ने रासेयो को उत्कृष्ट जीवन और अनुशासन का प्लेटफार्म बताते हुए कहा शिविर छात्र जीवन का सबसे सुंदरतम पल है।यहीं से मनुष्यता का विकास होता है। सरपंच विष्णु प्रिया गुप्ता द्वारा शिविर में हुए कार्यों की भूरी ढ्भूरी प्रशंसा किया गया।

प्रधान पाठक सावित्री पटेल छात्रों की प्रतिभा और लगन को देखकर गदगद हुई तथा उनके कार्यों को देखकर पुनः अगले वर्ष शिविर लगाने के लिए अनुरोध किया।

कमलेश गुप्ता ने छात्रों के अनुशासन और कर्मठता की मुक्त कंठ से सराहना किया।और शिविर के दिनचर्या को जीवन भर आत्मसात करने के लिए आग्रह किया।भगवतिया छत्तर ने स्वामी विवेकानन्द जी से जुड़े संस्मरण छात्रों के साथ साझा करते हुए उनके चरित्र को मनन करने के लिए प्रेरित किया।प्रधान पाठक लीला राम सि दा र ने स्वागत उद्बोधन दिया । वीरेंद्र पंडा कांवरिहा,धर्मेंद्र उपाध्याय आदि अतिथियों द्वारा सभा को संबोधित करते हुए रा से यो शिविर के कार्यों की प्रशंसा किए ।

गायत्री महायज्ञ के लिए हुआ भूमिपूजन

मुंगेली/नवप्रदेश। ग्राम चारभाठा के शिवाजी क्रिकेट मैदान पर आयोजित होने वाले 108 कुंडली गायत्री महायज्ञ का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। ग्राम चारभाठा में जिला स्तरीय 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ 8 फरवरी से 11 फरवरी तक आयोजित किया जाना है।

जिसके लिए अखिल विश्व गायत्री परिवार के समस्त कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए हैं। शांतिकुंज हरिद्वार से आए दिव्य शक्ति कलश का भ्रमण जिले की समस्त ग्रामों में 8 जनवरी से 7 फरवरी तक किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रतिदिन विभिन्न संस्कार कार्यक्रम भी निःशुल्क रूप से कराई जाएगी। यह कार्यक्रम राष्ट्र जागरण अभियान के तहत शांतिकुंज हरिद्वार के तत्वाधान में किया जा रहा है। भूमिपूजन कार्यक्रम में शांतिकुंज प्रतिनिधि एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी जोन प्रमुख सुखदेव निर्मलकर, छत्तीसगढ़ जोन प्रमुख आदर्श वर्मा दीदी, उपजोंन बिलासपुर से श्रीमती नंदनी पाटनवार, जिला समन्वयक बिलासपुर गायत्री महायज्ञ के आयोजन समिति के अध्यक्ष अभिषेक सोनी, जिला समन्वयक मुंगेली गायत्री प्रसाद साहू, मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी गायत्री परिवार बिलासपुर हेमराज वैद्य, सहायक प्रबंध ट्रस्टी उर्मिला विश्वकर्मा, राम कुमार श्रीवास, शत्रुघ्न कश्यप, गणेश प्रसाद शिवाजी, रामगोपाल कश्यप, द्वारिका पटेल, उधो राम प्रजापति, भारती कश्यप, दाताराम प्रजापति, साधुराम कौशिक, ममता वर्मा बेमेतरा, नंदिनी, पदमा, शारदा राजपूत, शिरोमणि साहू, अनिल गुप्ता, सुजाता सरकार, नंदिनी कश्यप, ज्ञान सिंह राजपूत, शंकर सिंह राजपूत, दूधेश्वर साहू, गुरुजी डॉक्टर संतोष जायसवाल पंडरिया, बीपी निषाद, बोधी राम साहू, टीकाराम साहू, देवीदयाल साहू, किरण गुप्ता, राजेश केसरवानी, विवेक केसरवानी, डॉक्टर हीरालाल साहू, सरपंच ग्राम पंचायत चारभाठा अर्जुन लाल साहू, पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत चारभाठा रामावतार चंद्राकर सहित विभिन्न जिलों के वरिष्ठ कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। 108 कुंडली गायत्री महायज्ञ आयोजन समिति के सचिव नर्मदा सिंह राजपूत ने दिया।

हेटमायर को वनडे और टी-20 स्क्वॉड में जगह नहीं मिली

लेफ्ट हैंड के विस्फोटक बैटर शिमरोन हेटमायर को वेस्टइंडीज के वनडे और टी-20 स्क्वॉड में जगह नहीं मिली है। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने गुरुवार सुबह ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए व्हाइट बॉल स्क्वॉड घोषित किया। पूर्व कप्तान जेसन होल्डर और ऑलराउंडर काइल मेयर्स ने टी-20 टीम में वापसी की है।कई नए खिलाड़ियों को भी स्क्वॉड में शामिल कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया में वेस्टइंडीज तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेलने जा रही है। 17 जनवरी से टेस्ट सीरीज शुरू होगी, वहीं फरवरी में वनडे और टी-20 सीरीज खेली जाएगी।

वेस्टइंडीज के ऑस्ट्रेलिया दौरे की शुरुआत टेस्ट से होगी। दोनों टीमों के बीच 17 जनवरी को एडिलेड में पहला मुकाबला खेला जाएगा। वेस्टइंडीज की टेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है और इस समय क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इलेवन के खिलाफ वॉर्म-अप मैच खेल रही है।टेस्ट स्क्वॉड में जेसन होल्डर शामिल नहीं किए गए। उन्होंने खुद को टेस्ट दौरे के लिए अवेलेबल नहीं किया क्योंकि उनका फ्रेंचाइजी टीमों से कॉन्ट्रैक्ट है। टेस्ट टीम की कप्तानी क्रैग ब्रेथवेट करेंगे। वहीं टीम में अल्जारी जोसेफ, टेविन इमलाक, गुडाकेश मोटी और एलिक एथनाज ही 4 प्लेयर्स हैं, जो लिमिटेड ओवर्स की सीरीज भी खेलेंगे।काइल मेयर्स और जेसन होल्डर ने फ्रेंचाइजी लीग के लिए टेस्ट टीम में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। दोनों प्लेयर्स को टेस्ट के साथ वनडे टीम में भी जगह नहीं मिली। टी-20 टीम के ब्रैंडन किंग और शेरफन रदरफोर्ड को भी सीरीज से पहले फ्रेंचाइजी टीमों में शामिल होने की परमिशन मिल गई।विकेटकीपर बैटर शाई होप ऑस्ट्रेलिया में वेस्टइंडीज की वनडे टीम की कमान संभालेंगे। टीम में अनकैप्ड टेडी बिशप और टेविन इमलाक भी शामिल हैं, जिन्हें डेब्यू का मौका मिल सकता है। वहीं ऑलरआउंडर जस्टिन ग्रीव्स और केवम हॉज समेत लेग स्पिनर हेडन वॉल्श जूनियर ने भी वनडे टीम में वापसी की है।शिमरोन हेटमायर पिछले दिनों इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में टीम का हिस्सा थे। तब वे 3 वनडे में 32, 0 और 12 रन बना सके थे, वहीं 2 टी-20 में उनके बैट से कुल 3 रन ही निकले थे। वह सीरीज के 3 टी-20 में बेंच पर बैठे थे। खराब फॉर्म के कारण उन्हें अब ऑस्ट्रेलिया दौरे की टीम में भी जगह नहीं मिली।

वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट 17 जनवरी और दूसरा टेस्ट 25 जनवरी से खेला जाएगा। वनडे सीरीज फरवरी में शुरू होगी। मुकाबले 2, 4 और 6 फरवरी को खेले जाएंगे। इसके ठीक बाद टी-20 सीरीज के 3 मुकाबले 9, 11 और 13 फरवरी को होंगे।वनडे- शाई होप (कप्तान), अल्जारी जोसेफ, एलिक एथनाज, टेडी बिशप, कीसी कार्टी, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जस्टिन ग्रीव्स, केवम हॉज, टेविन इमलाक, गुडाकेश मोटी, केयोर्न ओटले, रोमारियो शेफर्ड, ओशेन थॉमस, हेडन वॉल्श जूनियर।

टी-20- रोवमन पॉवेल (कप्तान), शाई होप, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, जेसन होल्डर, अकील होसेन, अल्जारी जोसेफ, ब्रैंडन किंग, काइल मेयर्स, गुडाकेश मोटी, निकोलस पूरन, आंद्रे रसेल, शेरफन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, ओशेन थॉमस।

डीपीएल ट्रॉफी पर ग्वालियर का कब्जा भोपाल को 16 रनों से हराया

भोपाल। मध्य प्रदेश के मैहर में इंडियन प्रीमियर लीग की तर्ज पर खेले गए पहले राष्ट्रीय दिव्यांग प्रीमियर लीग के रोमांचक फाइनल मुकाबले में ग्वालियर ने भोपाल को 16 रनों से शिकस्त देकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। उस्ताद अलाउद्दीन खां स्टेडियम में तीन दिन तक चले डीपीएल का फाइनल मैच ग्वालियर और भोपाल के बीच खेला गया। फाइनल में भोपाल ने टॉस जीतकर ग्वालियर को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ग्वालियर ने निर्धारित 15 ओवर में 156 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, ग्वालियर के 157 के लक्ष्य को पाने उतरी भोपाल दिव्यांग टीम 140 रन ही बना पाई और ग्वालियर ने 16 रनों से फाइनल मुकाबला जीत लिया। दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन मध्य प्रदेश और मधुरिमा सेवा संस्कार फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित डीपीएल के समापन समारोह के मुख्य अतिथि सतना के महापौर योगेश ताम्रकार और कार्यक्रम की अध्यक्ष समाजसेवी डॉ. स्वप्ना वर्मा ने विजेता और उप विजेता के साथ ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज और सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र रक्षण के पुरस्कार प्रदान किए।

दिनेश कार्तिक भारत-ए दौरे के लिए इंग्लैंड लायंस के बल्लेबाजी सलाहकार

अहमदाबाद। विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को इंग्लैंड लायंस का बल्लेबाजी सलाहकार नियुक्त किया गया है, जो यहां के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 12 जनवरी से भारत-ए के खिलाफ दो दिवसीय अभ्यास मैच के बाद तीन चार दिवसीय मैच खेलेंगे। 2024 की शुरुआत में भारत के खिलाफ इंग्लैंड की पुरुषों की पांच मैचों की टेस्ट श्रृंखला के समानांतर चलने के लिए इंग्लैंड लायंस भारत के एक महीने के दौरे पर जाने के लिए तैयार है। अहमदाबाद में आयोजित लायंस भारत ए के खिलाफ दो दिवसीय अभ्यास मैच खेलेगा, उसके बाद उन्हीं के खिलाफ चार दिवसीय तीन मैच खेलेगा। समूह 12 जनवरी से 4 फरवरी तक यथास्थान रहेगा, जो हैदराबाद में पहला टेस्ट (25 जनवरी से शुरू) और विशाखापत्तनम में दूसरे टेस्ट का पहला भाग (2 फरवरी) के साथ मेल खाएगा। मुख्य कोच के रूप में कार्यभार का नेतृत्व इंग्लैंड के पुरुष एलीट पेस बॉलिंग कोच, नील किलीन करेंगे, जिन्होंने पिछले साल लायंस के श्रीलंका दौरे के दौरान अपने नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया था। लायंस के लिए कोचिंग लाइनअप में क्रिकेट विशेषज्ञता की एक प्रभावशाली श्रृंखला है। इस कोचिंग अभियान में किलेन के साथ भारतीय परिस्थितियों की गहरी समझ रखने वाले व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। उल्लेखनीय अतिरिक्तताओं में भारत के अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय विकेटकीपर-बल्लेबाज, दिनेश कार्तिक शामिल हैं, जो दौरे की शुरुआत में नौ दिनों तक टीम के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा करेंगे। इंग्लैंड पुरुष प्रदर्शन निदेशक मो बोबाट ने कोचिंग समूह के प्रति अपनी संतुष्टि व्यक्त की और उनके द्वारा लाए गए अनुभवों की गहराई और विविधता पर जोर दिया। नील किलीन, लायंस के साथ अपने पिछले कार्यकाल में प्रभावित होकर, एक बार फिर मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। भारत ए के खिलाफ एक रोमांचक चुनौती होने के लिए हमारे खिलाड़ियों का समर्थन करने वाला इतना मजबूत कोचिंग समूह होना बहुत अच्छा है।

आईपीएल खेल चुके मशहूर क्रिकेटर को 8 साल की सजा, नाबालिग से किया था रेप

काठमांडू। नेपाल के क्रिकेटर संदीप लामिछाने को नाबालिग से दुष्कर्म के जुर्म में 8 साल की सजा सुनाई गई है। 10 दिन पहले ही संदीप को अदालत ने दोषी ठहराया था। सजा आज सुनाई गई है। 23 साल के संदीप नेपाल क्रिकेट का बड़ा चेहरा रहे हैं और वो इंडियन प्रीमियर लीग भी खेल चुके हैं। संदीप लामिछाने महज 23 साल की उम्र में नेपाल की ओर से 100 से ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। 2018 में अपने इंटनरेशनल करियर का आगाज करने वाले संदीप ने अब तक खेले कुल 51 वनडे मैचों में 112 विकेट चटकाए हैं। वहीं, टी-20 इंटरनेशनल में यह स्पिन गेंदबाज 52 मैचों में 98 विकेट निकाल चुका है। दुष्कर्म पीड़िता का आरोप था कि लामिछाने ने 2022 में उन्हें 21 अगस्त को काठमांडू और भक्तपुर के विभिन्न स्थानों पर घुमाया। इसके बाद काठमांडू के सिनामंगल के एक होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। संदीप एक लेग स्पिनर हैं। 2016 अंडर-19 वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन शानदार रहा था।

चुक्कू, अंबरी ने एफसी को पूरे अंक दिलाए

भुवनेश्वर। जमशेदपुर एफसी ने पहले हाफ में गोल की कमी को मिटाकर शानदार वापसी की और कलिंगा स्टेडियम में कलिंगा सुपर कप के ग्रुप बी मैच में नॉर्थईस्ट यूनाइटेड को 2-1 से हराया। जमशेदपुर एफसी अब ग्रुप बी में केरला ब्लास्टर्स के साथ संयुक्त नेता है, जिन्होंने दिन के पहले मैच में शिलांग लाजोंग एफसी पर अपनी जीत के दम पर तीन अंक हासिल किए। न तो नॉर्थईस्ट और न ही जमशेदपुर इस समय आईएसएल 10 के बीच में शानदार प्रदर्शन का आनंद ले रहे हैं। दोनों ने 12 राउंड के बाद केवल दो-दो मैच जीते हैं।

जब दोनों टीमें मिलीं, तो खेल कभी भी बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया, हालांकि दोनों ने प्रतिद्वंद्वी रक्षा को तोड़ने के लिए सभी प्रयास किए। एक समय में, जमशेदपुर ने पिच पर छह विदेशियों का इस्तेमाल किया, और इससे निश्चित रूप से उन्हें वांछित परिणाम मिला। नॉर्थईस्ट, जिसने आईएसएल 10 में दोनों के बीच हुई भिड़ंत में जमशेदपुर को एक गोल से हराया था, ने 17वें मिनट में बढ़त बना ली, क्योंकि उन्होंने रक्षात्मक चूक का भरपूर फायदा उठाया। जमशेदपुर की रक्षापंक्ति की ओर से एक दोषपूर्ण क्लीयरेंस को नेस्टर एल्बियाच रोजर ने पकड़ लिया और उन्होंने गोल पर एक शॉट लगाया जो डिफेंडर से टकराकर अंदर चला गया।जमशेदपुर ने बराबरी हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास किया और वांछित परिणाम नहीं मिलने के कारण कुछ मौकों पर वे निश्चित रूप से दुर्भाग्यशाली रहे। एक बार स्थानापन्न फ्रांसीसी स्ट्राइकर स्टीव अंबरी ने एक शॉट लिया जिसने गोलकीपर दीपेश चौहान को छका दिया, लेकिन बार से टकराने के बाद वह वापस खेलने के लिए लौटे। डिफेंडर गौरव बोरा ने गेंद को तेजी से क्लीयर करके अच्छा काम किया।68वें मिनट में आखिरकार जमशेदपुर के लगातार प्रयास का फल मिला। अम्बरी, जिनकी पिच पर मौजूदगी ने साथी फ्रांसीसी जेरेमी मंज़ोरो के साथ बहुत अंतर पैदा किया, ने दाईं ओर से क्रॉस प्रदान करके शानदार काम किया। नाइजीरियाई स्ट्राइकर डैनियल चीमा चुक्कु ने पास का अच्छी तरह से अनुमान लगाया और लक्ष्य हासिल करने के लिए खुद को अच्छी तरह से तैयार किया। अम्बरी आखिरकार 88वें मिनट में जमशेदपुर के लिए मैच विजेता बने।

बिजनेस

अदाणी समूह ने नौसेना के लिए पहले स्वदेशी दृष्टि -10 यूएवी का अनावरण किया

हैदराबाद। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार ने अपने बल के लिए पहले स्वदेश निर्मित दृष्टि'10 'स्टारलाइनर' मानव रहित हवाई वाहन (यूएवी) का अनावरण किया, जो अदाणी डिफेंस एंड एयरोस्पेस द्वारा निर्मित है। अनावरण समारोह हैदराबाद के अदाणी एयरोस्पेस पार्क में आयोजित किया गया। अत्याधुनिक यूएवी, जिसकी क्षमता 36 घंटे है, 450 किलोग्राम पेलोड क्षमता वाला एक उन्नत इंटेलिजेंस, निगरानी और टोही (आईएसआर) प्लेटफॉर्म है। यह स्टानैग 4671 प्रमाणन के साथ सभी मौसमों के लिए उपयुक्त एकमात्र सैन्य मंच है और अलग-अलग दोनों हवाई क्षेत्रों में उड़ान भरने के लिए स्पष्ट है।

नौसेना प्रमुख ने इसे भारतीय नौसेना और 'आत्मनिर्भर' भारत की खोज के लिए एक मील का पत्थर घटना बताया। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए एक सपने के सच होने जैसा है। यह मध्यम-ऊंचाई, उच्च-धीरज यूएवी 60 प्रतिशत से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ भारत में निर्मित किया गया है। यह स्थापित की गई क्षमता को प्रदर्शित करता है। हमें अब पूरा विश्वास है कि यह केवल हमें मजबूत करेगा और समय के साथ हमें और भी बेहतर क्षमता प्रदान करेगा। नौसेना प्रमुख ने कहा कि यह नौसेना के लिए एक बड़ी क्षमता बढ़ाने वाला होगा।

उन्होंने कहा, इसमें उपग्रह संचार भी है, जिसके कारण हम हिंद महासागर में आगे तक जा सकते हैं। एडमिरल हरि कुमार ने कहा, अदाणी समूह ने मानव रहित प्रणालियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है और पिछले कई वर्षों में स्थानीय क्षमताओं को विकसित करने के लिए व्यवस्थित रूप से काम किया है, जो केवल विनिर्माण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एमआरओ के माध्यम से जीविका भी है। हमारे नौसैनिक अभियानों में दृष्टि-10 के एकीकरण से हमारी नौसैनिक क्षमताओं में वृद्धि होगी, जिससे लगातार विकसित होने वाली समुद्री निगरानी और टोही के लिए हमारी तैयारी मजबूत होगी।

यूएवी को अब नौसेना के समुद्री अभियानों में शामिल करने के लिए हैदराबाद से पोरबंदर ले जाया जाएगा। आर्मी एविएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल अजय सूरी ने कहा कि भारतीय नौसेना और भारतीय सेना ने उपग्रह संचार-सक्षम ड्रोन की तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए दो दृष्टि-10 ड्रोन के ऑर्डर दिए हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हैदराबाद में अदाणी एयरोस्पेस पार्क एक अत्याधुनिक सुविधा के रूप में खड़ा है।

पीएम मोदी ने गिफ्ट सिटी में हुई ग्लोबल फिनटेक की बैठक में भाग लिया

गांधीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां की गिफ्ट सिटी में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फोरम की बैठक में भाग लिया। पीएम मोदी ने 'एक्स पर पोस्ट किया, आज गिफ्ट सिटी में ग्लोबल फिनटेक फोरम में भाग लिया। यह वित्त और प्रौद्योगिकी में प्रतिभाशाली दिमागों का एक बड़ा संगम था, जिसमें डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए अभिनव समाधानों पर चर्चा की गई। यह देखना वाकई रोमांचक है कि फिनटेक हमारी दुनिया को कैसे नया आकार दे रहा है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले,राज्य को निवेश केंद्र के रूप में प्रदर्शित करने के लिए वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया। उनकी भागीदारी वैश्विक मंच पर आयोजन के महत्व और राज्य की आर्थिक क्षमता को दर्शाती है।

सैकड़ों हार्डवेयर कर्मचारियों की जाएगी नौकरी, गूगल करने जा रहा छंटनी

सैन फ्रांसिस्को। गूगल सैकड़ों हार्डवेयर कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है, खासकर संवर्धित वास्तविकता (एआर) डिवीजन में, जबकि फिटबिट के सह-संस्थापक जेम्स पार्क, एरिक फ्रीडमैन और अन्य फिटबिट नेता कथित तौर पर कंपनी छोड़ रहे हैं। गूगल ने 2019 में 2.1 बिलियन डॉलर में कंपनी फिटबिट का अधिग्रहण किया था।

गूगल के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, डीएसपीए (डिवाइसेज और सर्विसेज) में कुछ सौ भूमिकाएं खत्म की जा रही हैं, इसका सबसे ज्यादा असर 1पी एआर हार्डवेयर टीम पर पड़ेगा। डिवाइस और सेवा टीमें पिक्सेल, नेस्ट और फिटबिट डिवाइस के लिए जिम्मेदार हैं। प्रवक्ता ने 9टू5 गूगल को बताया, हालांकि हम अपनी 1पी एआर हार्डवेयर टीम में बदलाव कर रहे हैं, गूगल अन्य एआर पहलों, जैसे हमारे उत्पादों में एआर अनुभव और उत्पाद साझेदारी के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है। कंपनी ने कहा कि वह हमारे फिटबिट उपयोगकर्ताओं को अच्छी तरह से सेवा देने, व्यक्तिगत एआई के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में नवाचार करने और पिक्सेल वॉच, पुन- डिज़ाइन किए गए फिटबिट ऐप, फिटबिट प्रीमियम सेवा और फिटबिट ट्रैकर लाइन के साथ गति बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। तकनीकी दिग्गज ने कहा, यह काम हमारे नए संगठन मॉडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहेगा। गूगल एक कार्यात्मक संगठन मॉडल पर स्विच कर रहा है, जहां पिक्सेल, नेस्ट और फिटबिट हार्डवेयर में हार्डवेयर इंजीनियरिंग के लिए जिम्मेदार एक टीम होगी। रिपोर्टों के अनुसार, सभी गूगल हार्डवेयर में ऐसे उत्पादों के लिए एक ही नेता होगा। गूगल ने एआर पर अपना काम एंड्राइड और हार्डवेयर टीमों पर स्थानांतरित कर दिया है।

लाल सागर संकट से बाधित हो सकती है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं

लंदन। लाल सागर में ईरान समर्थित आतंकवादियों के हमलों ने दुनिया के अधिकांश कंटेनर जहाजों और जहाजों के लिए दुनिया के मुख्य व्यापार मार्गों में से एक को प्रभावी ढंग से बंद कर दिया है, जो लगभग हर जरूरी वस्तुओं को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाते हैं। यह बात मीडिया रिपोर्ट में कही गई। जलमार्ग का लंबे समय तक बंद रहना, जो स्वेज़ नहर से जुड़ता है, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकता है और मुद्रास्फीति को हराने की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण में विनिर्मित वस्तुओं की कीमतें बढ़ा सकता है। स्वेज नहर विश्व व्यापार का 10-15 प्रतिशत हिस्सा है, जिसमें तेल निर्यात और वैश्विक कंटेनर शिपिंग मात्रा का 30 प्रतिशत शामिल है।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, यमन स्थित हौथी आतंकवादियों का कहना है कि वे गाजा में हमास के खिलाफ इजरायल के युद्ध का बदला ले रहे हैं। अमेरिकी सेना और उसके सहयोगियों ने समुद्री सुरक्षा बढ़ा दी है, लेकिन हमले जारी हैं, मंगलवार देर रात 21 हौथी मिसाइलों और ड्रोनों को मार गिराया गया।

जैसे-जैसे संकट बना हुआ है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जोखिम बढ़ रहे हैं। खुदरा विक्रेता पहले से ही देरी की चेतावनी दे रहे हैं और माल की शिपिंग की लागत बढ़ रही है। मंगलवार को जारी एक द्विवार्षिक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने चेतावनी दी कि प्रमुख शिपिंग मार्गों में व्यवधान से आपूर्ति नेटवर्क में सुस्ती आ रही है और मुद्रास्फीति संबंधी बाधाओं की संभावना बढ़ रही है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, चालक दल, कार्गो और जहाजों के लिए खतरे ने वाहकों को दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप के आसपास जहाजों का मार्ग बदलने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप तीन सप्ताह तक की देरी हुई है।

ग्रे शेड्स वाली महिलाओं की भूमिका निभाना पसंद : कोंकणा सेनशर्मा

एक्ट्रेस कोंकणा सेनशर्मा डार्क कॉमेडी थ्रिलर सीरीज किलर सूप की रिलीज के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने साझा किया है कि वह गंभीर और अच्छे किरदार के रोल्स करते हुए थक गई हैं। उन्हें ऐसी महिलाओं के किरदार निभाना पसंद है, जो थोड़ी गैर-जिम्मेदार हैं और उनका ग्रे शेड्स हो।कोंकणा ने मनोज बाजपेयी स्टारर किलर सूप में स्वाति शेट्टी की भूमिका निभाई है।अभिषेक चौबे द्वारा निर्देशित, सीरीज प्यार, वासना, रोमांच और रहस्य का एक मिश्रण है।एक्ट्रेस को वेक अप सिड, पेज 3, ओमकारा, लाइफ इन ए... मेट्रो, लिपस्टिक अंडर माई बुर्का समेत कई अन्य फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है।

कोंकणा ने बताया, जब मैं रोल्स की तलाश करती हूं तो सबसे पहले देखती हूं कि स्क्रिप्ट कैसी है। उसमें किरदार अच्छे से लिखे जाने चाहिए, निर्देशक भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।उन्होंने कहा, मैं ऐसे रोल्स चुनने की कोशिश करती हूं जो मुझे दिलचस्प लगते हैं, क्योंकि मैं सीरियस, अच्छे दिखने वाली, ईमानदार महिलाओं के रोल्स से थक गई हूं। मुझे ऐसी महिलाओं का किरदार निभाना पसंद है, जो थोड़ी गैर-जिम्मेदार हैं, जिनका ग्रे-शेड्स है, जो अपनी शर्तों पर अपनी इच्छानुसार जीवन जी रही हैं, इसलिए ये सब मुझे बहुत दिलचस्प लगता है।किलर सूप के बारे में बोलते हुए, तलवार फेम मशहूर एक्ट्रेस ने कहा कि यह शो दिलचस्प और असामान्य है।उन्होंने साझा किया, यह थोड़ा थ्रिलर, डार्क कॉमेडी, विचित्र है, एक बहुत ही असामान्य दुनिया पर आधारित है, जिसे हमने स्क्रीन और वेब सीरीज पर यादा नहीं देखा है। इसमें हर चीज का थोड़ा सा हिस्सा है।तितली फेम एक्ट्रेस ने कहा कि इस रोल से कोई फायदा नहीं है।कोंकणा ने कहा, बात बस इतनी है कि यह उस तरह की सीरीज है, जिसे मैं देखना पसंद करूंगी। मैं वास्तव में इस बात को लेकर उत्सुक हूं कि दर्शक इसे कैसे देखेंगे, क्या उन्हें भी यह रोमांचक लगता है। यह कुछ ऐसा है जिसने मुझे सचमुच गुदगुदाया, हर स्तर पर मुझे रोमांचित किया।कोंकणा, जो एक निर्देशक और लेखिका भी हैं, एक फिल्म निर्माता के रूप में उनकी झोली में लस्ट स्टोरीज 2 और ए डेथ इन द गुंज जैसे प्रोजेक्ट्स हैं।किलर सूप 11 जनवरी से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी।

मलाइका ने शेयर की वर्कआउट फोटो, इंटरनेट पर हो रही वायरल

मॉडल और एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा फिटनेस फ्रीक हैं। उन्होंने सोमवार को अपने सुबह के वर्कआउट की एक झलक दिखाई।इंस्टाग्राम पर 18.8 मिलियन फॉलोअर्स वाली मलाइका ने स्टोरीज सेक्शन में एक तस्वीर साझा की, जिसमें वह अपने घर में वर्कआउट करती नजर आ रही हैं।डांसर, जो छैया छैया गाने में अपने परफॉर्मेंस के लिए सबसे यादा जानी जाती हैं, को ब्लैक शॉर्ट्स और मैचिंग टी-शर्ट पहने देखा जा सकता है।तस्वीर में उनके प्यारे दोस्त - पालतू डॉगी कैस्पर की एक प्यारी झलक भी दिखाई दी।पोस्ट पर एक्ट्रेस ने कैप्शन दिया, मेरा दिन शुरू करने का सबसे अछा तरीका, माई वीक अहेड।वर्कफ्रंट की बात करें तो, वह वर्तमान में सेलिब्रिटी डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 11 में जज के रूप में नजर आ रही हैं।अन्य जज अरशद वारसी और फराह खान हैं। इसे गौहर खान और ऋत्विक धनजानी होस्ट करते हैं।

नदी में डूबने से युवक की मौत

कोरबा/नवप्रदेश। अहिरन नदी में नहाने उतरा व्यक्ति, पानी में डूबकी लगाने के बाद बाहर नहीं निकला। आसपास नहा रहे लोगों ने उसकी खोजबीन की और बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी है। सूचना पर पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई बाद शव स्वजनों को सौंप दिया। घटना बांकीमोंगरा थाना अंतर्गत बल्गी मोड़ के पास अहिरन नदी में हुई।

बताया जा रहा है कि सुराकछार बस्ती निवासी दरश राम यादव 45 वर्ष नदी में नहाने पहुंचा। प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि कपड़ा उतार वह पानी में उतरा और डूबकी लगाया। इसके बाद वापस नहीं आया। आसपास नहा रहे कुछ युवकों ने देखा कि दरश बाहर नहीं निकला है, तब उन्होंने पानी में खोजबीन की, तो दरशराम मिला। बाहर निकाल सीढी पर रखा और परीक्षण किया, तब तक दरश राम की सांसे थम चुकी थी। इस बीच किसी ने घटना की सूचना बांकीमोंगरा पुलिस को दी।

सड़क पर लगे संकेतक को एंगल सहित उड़ा ले गए चोर

- **ग्रमीणों में आक्रोश,सोरम से बेलौदी सड़क का है मामला**

पाटन/नवप्रदेश। वाहन चालकों व पैदल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए जगह-जगह लगाए गए संकेतक बोर्ड व लोहे कीं एंगल पर चोरों की टेढ़ी नजर है। संकेतक बोर्ड व लोहे की ग्रिल एंगल को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी किया जा रहा है। सोरम से धूमा होकर बेलौदी तक सड़क के संकेतक गायब हो गए हैं।

पाटन ब्लॉक में पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई सड़क के संकेतकों पर चोरों की नजर है।ग्राम सोरम धूमा होकर बेलौदी तक लगभग 5 किमी में कई जगह संकेतक बोर्ड लगे हुए थे। संकेतक बोर्ड नहीं होने के कारण वाहन चालकों का ध्यान सिर्फ वाहन की गति या सामने होता है।

धीरे धीरे हो रहे संकेतक गायब

सड़क में मोड़ को दर्शाने के लिए लगाए गए संकेतक को धीरे धीरे चोरी किया जा रहा है,सबसे पहले लोहे की एंगल में लगे बोर्ड को निकाला जाता है ,चूंकि एंगल में बोर्ड सिर्फ कुछ ही नट और बोल्ट से लगे होते हैं इसलिए सिर्फ नट को खोलकर बोर्ड पहले निकाल लेते हैं।

दूसरे स्टेप में कुछ दिनों बाद लोहे की एंगल को धीरे धीरे मोड़ कर टेढ़ा कर दिया जाता है। और अंत मे पूरा तोड़ दिया जाता है।

उक्त सड़क पर बिना बोर्ड के एंगल,मोड़े गए एंगल और पूरा उखाड़े गए एंगल की जगह स्पष्ट दिखाई पड़ रही है।

सुनसान जगहों के संकेतक गायब

विगत वर्षो पाटन नवागांव से होकर बेलौदी तक सड़क बनाई गई थी, इस सड़क में सोरम से लेकर बेलौदी तक आवागमन थोड़ा कम ही होता है ,,इस कारण चोरों ने इस सुनसान सड़क को अपना निशाना बनाया है।सड़क से संकेतक और एंगल चोरी होने से ग्रामीणों में खासी नाराजगी हैं ,ग्रमीणों का कहना है कि ये एक आदमी का काम नही है ,अज्ञात लोग किसी गाड़ी में आकर ये सब समान चोरी कर ले जाते हैं।

सभी मंदिरों की बढ़ेगी चमक, 14 से दीप होंगे प्रज्वलित

कोरबा/नवप्रदेश। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश के हर मंदिर में स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम मंदिर का आगमन हो रहा है, कोई भी मंदिर में अस्वच्छता न रहे। इसके साथ ही कोरबा में भी इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। मंदिरों में तो स्वेच्छा से धार्मिक समितियां मंदिर के साथ परिसर में स्वच्छता अभियान चला कर दीप जलाएंगे।